नया
सोवियत संविधान
भारतीय मूल्यांकन

सम्पादक
जितेन्द्र शर्मा

नवयुग पब्लिशर्स
चांदनी चौक, दिल्ली

विषय-सूची

भूमिका

७ अक्तूबर, १९७७ को सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ का नया संविधान लागू हुआ। इस संविधान की स्वीकृति का स्वागत न केवल सोवियत संघ और सोवियत जनगण के बीच में ही बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना के रूप में किया गया। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है क्योंकि यह संविधान सोवियत जनगण की विपुल उपलब्धियों और सोवियत समाज एवं विश्व की सामाजिक-राजनैतिक स्थिति में हुए गहरे परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करता है। एल. आई. ब्रेझनेव ने उचित ही यह कहा कि नया संविधान सोवियत राज्य में "समूचे साठ वर्षों के दौरान हुए विकास का" प्रतिनिधित्व करता है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अक्तूबर क्रांति द्वारा उद्घोषित विचारों और लेनिन के निर्देशों की व्यवहार में सफलता पूर्वक तामील की जा रही है।

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति ने मानवजाति के इतिहास में नए युग का—कम्युनिज्म की स्थापना के युग का सूत्रपात किया। इसने सोवियत संघ के जनगण और निश्चय ही सम्पूर्ण मानवजाति के भविष्य पर निर्णयात्मक प्रभाव डाला। इसने पूंजीपतियों और जमींदारों के शासन को निर्मूल किया और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना की तथा सोवियत राज्य का निर्माण किया। नया सोवियत राज्य "वर्ग शासन का निकाय, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का निकाय' नहीं रहा। इसनें इंसान के शोषण को सदा-सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया।

आज सोवियत संघ में समाजवादी समाज ने विकसित समाजवादी समाज का निर्माण कर लिया है और यह दृढ़तापूर्वक कम्युनिज्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

इसीलिए नए संविधान को विकसित समाजवादी समाज के जीवन का नियम कहा जा रहा है। विकसित समाजवाद का क्या अर्थ है? एल. आई. ब्रेझनेव के शब्दों में विकसित समाजवाद "नए समाज की परिपक्वता का वह चरण है जिसमें समाजवाद के मूलभूत सामूहिकतावादी सिद्धान्तों के सामाजिक सम्बन्धों की समपूर्ण प.ति की पुनर्रचना का कार्य निष्पादित कर लिया गया हो। फलस्वरूप, समाजवाद के नियमों के परिचालन के लिए पूर्ण अवसर, समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों में इसके लाभों को सामने लाने के लिए पूर्ण अवसर हो। फलस्वरूप, सामाजिक प्रणाली, इसके राजनैतिक स्थायित्व, इसकी अटूट आन्तरिक एकता में आभ्यन्तरिक एकता और गत्यात्मक शक्ति हो। फलस्वरूप, सभी वर्गों और सामाजिक समुदायों में सभी राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं में नैकट्य बढ़े और ऐतिहासिक दृष्टि से नया और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, सोवियत जनगण की संरचना हो। फलस्वरूप, नई समाजवादी संस्कृति का अभ्युदय हो, नई समाजवादी संस्कृति की स्थापना हो, नई समाजवादी जीवन शैली की स्थापना हो।

"निस्सन्देह, उसी समाजवादी समाज को विकसित कहा जा सकता है जो शक्तिशाली, अभिवृद्ध उद्योग पर, बड़े पैमाने पर उच्चकोटि के मशीनीकृत कृषि पर आधारित हो, जो व्यावहारिक रूप में नागरिकों का उन विभिन्न आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर संतुष्टि में सक्षम हो, जिससे वे सामाजिक विकास के मुख्यतम और प्रत्यक्ष लक्ष्य बन सकें।"

कम्युनिज्म के निर्माण के संतरण में विकास के महत्वपूर्ण चरण के ही कारण सोवियत संघ के नए संविधान में सम्पूर्ण विश्व में इतनी अधिक मात्रा में रुचि जागृत हुई है।

इस संविधान को ऐसा दस्तावेज बताया गया है जो संसार को

"कम्युनिज्म के निर्माण के युग के घोषणापत्र" के रूप में समाजवाद और मानवजाति के भविष्य के बारे में सच्चाई बतलाता है।

नए सोवियत्त संविधान को विश्व के कुछ नेताओं ने अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति की विपुल उपलब्धियों का पुष्ट प्रमाण और बिरादराना समाजवादी देशों विकसित समाजवाद और कम्युनिज्म के निर्माण में समृद्धतम ऐतिहासिक अनुभव वैज्ञानिक ज्ञान तथा रचनात्मक प्रेरणा का अजस्र स्रोत बतलाया है।

भारत में भी नए सोवियत संविधान के सम्बन्ध में हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में महती रुचि जागृत की है, जैसा कि अगले पृष्ठों में प्रकाशित सामग्री से प्रकट है। बुद्धिजीवियों और सार्वजनिक नेताओं ने इसे "विशाल डग", अक्तूबर क्रान्ति के सिद्धान्तों की सफलता का आख्यान" बताया है, जिसके "क्षितिज व्यापकतर" हैं, जो "विश्व इतिहास के मार्ग को बदलने मे सक्षम है, जिसमें सोवियत संघ में व्यवहृत और विकसित समाजवादी जनवाद की बहुन विशिष्टताएं और शानदार संदर्भें" वर्णित है।

लेकिन प्रश्न यह उठता है कि नए संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? क्या पुराना संविधान अव्यावहारिक हो गया था? क्या वह सोवियत जनगण द्वारा अपने लिए प्रस्तुत लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में किसी प्रकार कठिनाई उत्पन्न करता था? इस प्रश्न का उत्तर हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सोवियत संघ के सांविधानिक इतिहास पर दृष्टिपात करें।

सोवियत राज्य का पहिला संविधान वही था जो रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र का था और जिसे १० जुलाई १९१८ को, अक्तूबर क्रान्ति के आठ महीने बाद, अलग दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं कि इस पहले संविधान को लागू किये जाने के पूर्व सोवियत राज्य ने ऐसे कोई अधिनियम नहीं बनाए जिनका सांविधानिक महत्व हो। पहले संविधान की

स्वीकृति से पूर्व अनेक सांविधानिक दस्तावेज स्वीकार किए गए थे। जिन्हें अक्तूबर आज्ञप्तियों के नाम से पुकारा जाता है।

२५ अक्तूबर (७ नवम्बर), १९१७ को रूस के मेहनतकशों और किसानों ने द्वितीय अखिल रूस सोवियत कांग्रेस के उद्घाटन के साथ शासन-भार ग्रहण किया। इस कांग्रेस में रूस की बहुल जनसंख्या को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। कांग्रेस ने अभूतपूर्व उत्साह से पारित अनेक अधिनियम जारी किए और सोवियत सत्ता की सांविधानिक स्थापना की नींव डाली। इसने जो निर्णय लिए उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा गया, यथा, अपील, आज्ञप्ति और प्रस्ताव आदि। ये सोवियत सत्ता के पहले सांविधानिक नियम-कानून थे।

इन पहिले सांविधानिक कानूनों में "मेहनतकशों, सैनिकों और किसानों के नाम" अपील थी, जिसमें समाजवादी क्रान्ति की विजय की घोषणा की गई थी और राज्य की सभी प्रकार की सत्ता सोवियतों को हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया को कानूनी रूप दे दिया गया था।

सोवियत राजकीय-तंत्र के संघटन और कार्य इन आज्ञप्तियों में प्रमुख बातें थीं। जारशाही से विरासत में मिले अधिक राजकीय-तंत्र और प्रान्तीय सरकार को समाप्त कर दिया गया और प्रबन्ध, सेना, न्यायालय तथा अन्य निकायों की नई श्रृंखला का निर्माण किया।

सोवियत सत्ता की स्थापना के तुरन्त बाद ही नए सोवियत राज्य के विरुद्ध घरेलू और विदेशी प्रति-क्रांति एक जुट होकर सामने आए। सोवियत राज्य की प्रतिरक्षा के लिए २८ जनवरी १९१८ की आज्ञप्ति द्वारा मेहनतकशों व किसानों की लाल सेना का गठन किया गया, जिसने सोवियत सशस्त्र सेना का आधार तैयार किया।

सांविधानिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आज्ञप्तियों में से एक आज्ञप्ति न्यायालयों के सम्बन्ध में थी, जिसे ५ दिसम्बर, १९१७ को जारी किया गया था। इस आज्ञप्ति द्वारा जारकालीन न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और जन-न्यायालयों को कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जनवरी १९१८ तक नए

सोवियत राज्य का शासनतंत्र अधिकांश रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था।

कम्युनिस्ट घोषणापत्र में कहा गया है कि सर्वहारा वर्ग अपने राजनैतिक आरोहण का लाभ पूंजीपति वर्ग की सम्पूर्ण पूंजी का क्रमशः अपहरण के लिए और श्रम के सभी उपकरणों को समाजवादी राज्य के हाथों में सौंपने के लिए उठायेगा। यह कार्य अनेक अधिनियमों के द्वारा हासिल किया गया। इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थे—भूमि सम्बन्धी आज्ञप्ति, मेहनतकशों के नियन्त्रण सम्बन्धी अध्यादेश, विदेश-व्यापार के राष्ट्रीयकरण, विशालतम उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण और मर्चेंट नेवी के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी आज्ञप्तियां।

भूमि-विषयक आज्ञप्ति द्वारा शाही-परिवार, चर्च और अन्य जागीरदारों की सब जमीन को जब्त कर लिया गया और उसे सोवियतों तथा स्थानीय भूमि-समितियों को सौंप दिया गया। क्रान्ति के बाद के कुछ ही दिनों में ८० करोड़ हैक्टेयर से अधिक जमीन किसानों को बांट दी गई थी और इस प्रकार वे जमींदारों को ५० करोड़ स्वर्ण रूबल देने से बच गए थे। इससे आगे चल कर किसानों को कृषि-सहकारियों में संगठित करने की वस्तुनिष्ठ स्थितियां उत्पन्न हो गईं। मर्चेंट नेवी, तेल उद्योग और बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योगों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी आज्ञप्तियों ने नए सर्वहारा राज्य का दृढ़ आर्थिक आधार प्रस्तुत किया और ये आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की दिशा में पहला कदम थीं।

२७ दिसम्बर १९१७ को बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी आज्ञप्ति जारी की गई। इसके द्वारा सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया और वे सर्वहारा राज्य की सेवा में आ गए।

शान्ति विषयक आज्ञप्ति और रूस के जनगण के अधिकारों की घोषणा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण थीं। शान्ति विषयक आज्ञप्ति ने राष्ट्रों के बीच समानता को असंदिग्ध मान्यता प्रदान की, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य विश्व-युद्ध को समाप्त करने में सहायता करना था। रूस के जनगण के अधिकारों की घोषणा का विषय भूतपूर्व जारशाही साम्राज्य के भू-प्रदेश में रहने वाली जातियों और जातीयताओं की समानता का वैधा-

निक सुदृढ़ीकरण था। राष्ट्रों के स्वतंत्रतापूर्वक आत्मनिर्णय के अधिकार को, जिसमें विच्छेद का और स्वाधीन राज्य के गठन का अधिकार भी शामिल था, अब कानूनी आधार प्रदान कर दिया गया था।

कमकर और शोषित जनगण के अधिकारों के घोषणा-पत्र को स्वयं लेनिन ने तैयार किया था और उसमें उदीयमान सोवियत राष्ट्रों के बीच नए सांविधानिक सम्बन्धों के विकास के लिए क्रान्ति के बाद किए गए मूल्यवान कार्य का समावेश था। इस आज्ञप्ति की सांविधानिक महत्ता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इसे पहले सोवियत संविधान में ज्यों का त्यों समाविष्ट कर लिया गया था।

प्रथम समाजवादी राज्य के मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों को सांविधानिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली आज्ञप्तियों ने अक्तूबर-आज्ञप्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आठ-घण्टे कार्य-दिवस, सामाजिक बीमा, सार्वजनिक शिक्षा, प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने का अधिकार, सिविल मैरिज, अन्तरात्मा, चर्च और धार्मिक सम्प्रदायों की स्वतंत्रता, प्रैस, अवकाश-दिवसों के बारे में नियम तथा अन्य अनेक आज्ञप्तियों ने विश्व के प्रथम समाजवादी राज्य के मेहनतकश लोगों की कानूनी स्थिति पर बल दिया गया था।

२ मार्च, १९१८ को राजधानी की स्थापना की गई और ८ अप्रैल को जनतंत्र के राज्य-चिन्ह निर्धारित किये गए।

इससे यह स्पष्ट है कि राज्य के सभी अधार स्तम्भ, यथा, सामाजिक और राजकीय संरचना, नागरिकों के जनवादी अधिकार और स्वतंत्रताएं, चुनाव प्रणाली और राजकीय निकायों की प्रणाली, जिनसे सोवियत राज्य का संविधान निर्मित हुआ—इन सभी का कानूनी तौर पर समावेश और तामील अक्तूबर आज्ञप्तियों के द्वारा हुई।

रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र का १९१८ का संविधान

मानवजाति के इतिहास में पहला समाजवादी संविधान १० जुलाई

१९१८ को पंचम अखिल रूस सोवियत कांग्रेस में स्वीकृत हुआ—यह रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र का संविधान था।

ऐसा अखिल रूस सोवियतों का तृतीय कांग्रेस के निर्णय के अनुसार किया गया था जिसने अखिल रूस केन्द्रीय कार्यकारी समिति को यह अधिकार प्रदान किया था कि वह रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र के संविधान के समेकित मूलपाठ के आधारभूत प्रावधानों का रूप बनाए और उसे अगली कांग्रेस के सम्मुख निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करे। लेकिन तृतीय कांग्रेस के तुरंत बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तेजी से बिगड़ गई और इसलिए समिति इस मामले पर ज्यादा समय और ध्यान नहीं दे पाई। जब पाँचवी कांग्रेस ने संविधान स्वीकार किया तो यह सोवियत राज्य के सांविधानिक विकास की दिशा में बड़ा डग ही था।

इस संविधान के बारे में बोलते हुए लेनिन ने कहा था कि यह पहला समाजवादी संविधान है। उन्होंने कहा: "अब तक विद्यमान सभी संविधान शासक वर्गों के हितों की संरक्षा करते हैं। सोवियत संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो मेहनतकश लोगों की सेवा करता है और निरंतर करता रहेगा तथा यह समाजवाद के लिए संघर्ष में शक्तिशाली अस्त्र है।

इस संविधान का प्रारूप नए समाजवादी राज्य के निर्माण के लिए क्रान्तिकारी संघर्ष के दौरान तैयार किया गया था, इसलिए उसमें उन उपलब्धियों का प्रतिबिम्ब और दृढ़ीकरण था, जो उस समय तक हासिल की जा चुकी थीं। लेनिन के शब्दों में "जुलाई में अभिपुष्ट सोवियत संविधान, जैसा कि हम सब जानते ही हैं वकीलों द्वारा नहीं बनाया गया न ही यह किन्हीं अन्य संविधानों की नकल है। जैसा हमारा संविधान है, उस प्रकार का संविधान संसार में पहिले कभी नहीं बना। इसमें देश और विदेश दोनों में ही शोषकों के विरुद्ध मेहनतकशों के संगठनों और संघर्ष के अनुभव का समावेश है।"

इस संविधान में सोवियत राजकीय निकायों की सामाजिक एवं राजकीय संरचना के मूलभूत सिद्धान्तों और सोवियत नागरिकों के कर्त्तव्यों का निर्धारण किया गया था। संविधान की तैयारी और स्वी-

क्रांति के प्रत्येक चरण में लेनिन ने अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया। लेनिन की ही प्रेरणा पर मेहनतकश और शोषित जनगण के अधिकारों के घोषणापत्र को इस संविधान के आमुख में सम्मिलित किया गया था। लेनिन की ही पहलकदमी पर रूसी जनतंत्र संघ में बसने वाली जातीयताओं की समानता, उसमें रहने वाले विदेशियों के राजनीतिक अधिकारों और उन विदेशियों को अपने देश में शरण देने, जिन्हें स्वदेश में अपने राजनैतिक और धार्मिक विश्वासों के लिए, प्रताड़ित किया जाता है, अन्तरात्मा की स्वतंत्रता के साथ ही साथ धर्म-विरोधी प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकारों वाले अनुच्छेदों को भी संविधान में सम्मिलित किया गया था। लेनिन के ही आग्रह पर संविधान के १६ वें अनुच्छेद में यह निश्चित गारंटी दी गई कि रूसी जनतंत्र संघ में राज्य द्वारा भौतिक एवं अन्य प्रकार की सहायता से मेहनतकशों और निर्धन किसानों को अपने संगठन स्थापित करने की वास्तविक स्वतंत्रता है।

इस संविधान की अत्यन्त महत्वपूर्ण और नई विशिष्टता इसका २३ वां अनुच्छेद था, जिसमें उन व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों को अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था थी, जो समाजवादी क्रांति के हितों के विरुद्ध इन अधिकारों का प्रयोग करते पाये जाते।

यह संविधान, जिसे लेनिन संविधान कहा जाने लगा उन अन्य सोवियत जनतंत्रों के संविधान के लिए आदर्श बन गया जो भूतपूर्व जारशाही साम्राज्य के राज्य-क्षेत्र पर स्थापित किए गये।

रूस जनतंत्र संघ और अन्य सोवियत जनतंत्रों के संविधान बिना किसी संशोधन के १९२४ तक पूर्ण रूप से लागू रहे। अलबत्ता १९२२ में सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के गठन के फलस्वरूप नए संविधान की अपेक्षा हुई, जिसे १९२४ मे स्वीकृत किया गया।

सोवियत संघ का १९२४ में स्वीकृत संविधान

१९२४ मे सोवियत संघ ने जो संविधान स्वीकृत किया वह कई प्रकार से रूसी जनतंत्र संघ के प्रथम समाजवादी संविधान से भिन्न था। इस

संविधान में सोवियत संघ के गठन के बाबत घोषणा और संधि शामिल थीं। सोवियत संघ के गठन के बाद बहुराष्ट्रीय राज्य के विकास की राष्ट्रीय नीति सच्चे लेनिनवादी सिद्धान्तों के आधार पर घोषणा में अंकित की गई थी। संघ की स्वैच्छिक प्रकृति, वर्तमान और भावी जनतंत्रों के लिए पूर्ण मुक्त प्रवेश और संघ से मुक्त भाव से विच्छेद कर लेने के अधिकार को भी इस घोषणा में रेखांकित किया गया था। संधि में सांविधानिक नियम सम्मिलित थे।

इस संविधान का मुख्य विषय नए संघ के मूलभूत सिद्धान्तों की स्थापना था। १९१८ और १९२४ के संविधानों में रचना और भाव की दृष्टि से जो भेद था, उसका कारण सोवियत सत्ता और इसकी आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ीकरण था। संविधान के दूसरे खंड मे अर्थात् संधि के अन्तर्गत ग्यारह अध्याय थे, जिनमे सभी पहलुओं का समावेश था तथा उसमें दिया गया कानूनी प्रतिपादन अधिक स्पष्ट था।

१९२४ में संविधान की स्वीकृति के बाद संघ जनतंत्रों ने अपने-अपने संविधानों का पर्यालोचन किया और उन्हें संघ के संविधान के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन स्वीकार किए।

१९२४ और १९३६ की अवधि के बीच संविधान में अनेक संशोधन एवं परिवर्द्धन किए गए। संघ और संघ जनतंत्रों की तीव्र आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही ये संशोधन आवश्यक हुए।

सोवियत समाज में आर्थिक संरचना में हुए परिवर्तनों, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों और वर्ग गत परिवर्तनों के कारण ही १९३६ में सोवियत संघ को नया संविधान स्वीकार करने की आवश्यकता हुई।

सोवियत संघ का १९३६ का संविधान

१९३६ के संविधान में पिछले संविधान से दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं थी। इस संविधान में सोवियत संघ में वर्ग-शक्तियों के नए संतुलन के अनुरूप, जो नए समाजवादी उद्योग, सोवियत समाज के अधिकार के रूप में समाजवादी सम्पत्ति की स्थापना और कुलकों (धनी किसानों)

की पराजय और सामूहिक फार्म प्रणाली आदि में परिलक्षित होती थी, राज्य के सामाजिक-आर्थिक आधार को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। इसमें व्यापकतर जनवाद की व्यवस्था की थी, जैसा कि चुनाव प्रणाली तथा उन दूसरी संस्थाओं के बारे में संविधान में प्रस्तुत अध्यायों से प्रकट होता है। ये अन्तर नए नियमों और संस्थाओं में व्यक्त किए गए थे और सांविधानिक सम्बन्धों के अधिक विशद नियमन के कारण १९३६ के संविधान का मूल पाठ काफी अधिक बढ़ गया था। जिन नए अध्यायों को इस संविधान में जोड़ा गया था उनमें निम्न थे: (१) सामाजिक संरचना, (२) राजकीय सत्ता के स्थानीय अंग, (३) निर्वाचन प्रणाली और (४) संविधान संशोधन पद्धति। यह भी उल्लेख कर दें कि न्यायालय और प्रोक्यूरेटर के कार्यालय के बारे में अध्याय लगभग नए ही थे, क्योंकि १९२४ के संविधान में केवल सर्वोच्च न्यायालय और प्रोक्यूरेटर के कार्यालय के कार्य-भार को परिभाषित मात्र किया गया था। तब यह कार्यालय सर्वोच्च न्यायालय का ही अंग था।

१९३६ के संविधान में एक ही अध्याय के अन्तर्गत पहली बार सोवियत नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, कर्त्तव्यों और जनवादी स्वतंत्रताओं को नियम-बद्ध किया गया था। इस अध्याय में स्पष्ट रूप से काम करने के, आराम और अवकाश के अधिकार, व्यक्तिगत निरापदता, बुढ़ापे में और अक्षम हो जाने की अवस्था में भौतिक संरक्षा के अधिकार, आवास की अलंघनीयता और पत्राचार में गोपनीयता के अधिकार की स्थापना की गई थी। अपने सार्वजनिक कर्त्तव्य के ईमानदारी से परिपालन, श्रम-अनुशासन और समाजवादी सामुदायिक जीवन के नियमों के पालन की समाजवादी सम्पत्ति की संरक्षा तथा सोवियत नागरिकों के अन्य अनेक अधिकारों और कर्त्तव्यों को बताया गया था।

निर्वाचन प्रणाली के बावत अध्याय में अत्यन्त महत्वपूर्ण विशिष्टताओं में से एक थी गुप्त मतदान द्वारा सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का प्रवर्तन।

१९३६ के संविधान की स्वीकृति के बाद संघ जनतंत्रों और स्वायत्त जनतंत्रों के संविधानों में संशोधन और बदलाव की प्रक्रिया हुई।

१९३६ के संविधान में अनेक वर्षों के दौरान अनेक संशोधन किए गए। लगभग सभी अध्यायों में संशोधन किया गया और महत्वपूर्ण परिवर्द्धन किए गए। अलबत्ता, अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन राजकीय संरचना और सोवियत राजकीय अंगों में किए गए। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और कर्त्तव्यों में तथा निर्वाचन प्रणाली में भी संशोधन किए गए।

१९३६ के संविधान के स्वीकार किए जाने के बाद से सोवियत संघ के सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में मौलिक महत्व के बड़े परिवर्तन हुए हैं और इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सोवियत संघ के नए संविधान में इन बड़े परिवर्तनों का प्रतिबिम्ब होना ही चाहिए।

यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि १९३६ के संविधान को स्वीकृति के समय, सोवियत संघ ने तभी-तभी समाजवाद की आधारशिलाओं के निर्माण का कार्य पूरा किया था। सामूहिक कृषि-प्रणाली सुदृढ़ नहीं हो पाई थी और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सोवियत संघ पिछड़ा हुआ था। वास्तव में क्रान्ति-पूर्व युग की विरासत अभी भी सोवियत जीवन के अनेक क्षेत्रों में दिखलाई पड़ती थी।

अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। संविधान के प्रारूप पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए एल. आई. ब्रेजनेव ने उन बड़े परिवर्तनों की रूपरेखा बताई थी, जो सोवियत संघ के सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हो चुके हैं। उस समय उन्होंने कहा था : "देश की अर्थव्यवस्था इतनी बदल चुकी है कि उसे पहचानना मुश्किल है। अब इसमें सामाजिक स्वामित्व का प्रशासन सर्वोपरि है। सुसम्बद्ध और शक्तिशाली राष्ट्रीय आर्थिक कार्यांग विद्यमान है, जो सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। इसका विकास वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिक क्रान्ति के संयोजन द्वारा किया जा रहा है, जिसे समाजवादी प्रणाली के सभी लाभ उपलब्ध हैं। देश का सामाजिक रूप-रंग भी बदल चुका है।" ब्रेजनेव ने अपने इसी भाषण में आगे कहा कि सोवियत समाज में बढ़ती हुई समरसता इन सभी परिवर्तनों का सामान्य सूचक है। मेहनतकश वर्ग, सामूहिक फार्म के किसान वर्ग और बौद्धिक कार्यों में संलग्न एवं अन्य पेशेवर कार्यों में संलग्न लोगों के बीच अटूट

एकता और अधिक मजबूत हो चुकी है। बुनियादी सामाजिक वर्गों के बीच का भेद क्रमशः मिटाया जा रहा है। जीवन-प्रवाह ही इस देश की सभी राष्ट्रीयताओं और जातीय वर्गों को निकटतर लाता जा रहा है। सोवियत जन का-नया ऐतिहासिक समुदाय स्थापित हो चुका है।"

इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत ने नए संविधान का मसविदा तैयार करने के लिए प्रस्ताव पास किया और सांविधानिक आयोग नियुक्त किया, जिसके सदस्य प्रख्यात राजनेता और सार्वजनिक नेता थे। एल. आई. ब्रेजनेव इस आयोग के अध्यक्ष थे।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २५वी कांग्रेस ने पार्टी की केन्द्रीय समिति की कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुमोदन करते समय सांविधानिक आयोग को स्पष्ट निर्देश दिये थे। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि "समाजवाद गत्यात्मक रूप से विकासमान समाज है। हमने एक दिन भी आराम में नही बिताया, हम निरन्तर प्रगति कर रहे हैं। इसीलिए हमारे समाज की राजनैतिक प्रणाली में सुधार के लिए किये गए कार्य का गंभीर सामाजिक अर्थ और महत्व है। मैं यह फिर कहता हूं कि बहुत कुछ किया चुका है। अब समय आ गया है कि अब तक जो उपलब्ध किया जा चुका है उसका लेखा-जोखा लिया जाए। सोवियत संघ के नए संविधान का प्रारूप तैयार करते समय यही हमारा आधार वाक्य है।"

और जैसा कि ब्रेजनेव ने वचन दिया था सांविधानिक आयोग ने २५वी कांग्रेस द्वारा बताई गई दिशा के अनुरूप नया संविधान तैयार किया और उसका मसविदा २४ मई, १९७७ को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन में पेश किया गया। इससे पहले केन्द्रीय समिति की राजनैतिक ब्यूरो इसका समर्थन कर चुकी थी और जैसा कि २५वी कांग्रेस ने निर्देश दिया था इस मसविदे को आम-जनता के विचार-विमर्श के लिए प्रकाशित किया गया।

सोवियत जनता ने नए संविधान के प्रारूप के महत्व को समझा

और इस पर बड़े पैमाने पर और बहुसंख्यक लोगों की सहभागिता से विचार-विमर्श और बहस-मुबाहिसे हुए। इस प्रारूप पर राष्ट्रव्यापी बहस में सोवियत जनता की सक्रिय सहभागिता की महत्ता को इसी से भली-भांति समझा जा सकता है कि १४०,०००,००० से अधिक पुरुष और महिलाओं ने, जो सोवियत संघ की वयस्क जनसंख्या का ८० प्रतिशत से अधिक हैं, इसमें भाग लिया। संविधान के प्रारूप पर अभूतपूर्व राष्ट्र-व्यापी बहस का स्वीकृत संविधान के स्वरूप पर प्रभाव पड़ा।

लगभग ४००,००० संशोधन प्रस्ताव आए। इन प्रस्तावों में स्पष्टी-करण, सुधार और अलग-अलग अनुच्छेदों की भाषा में बदलाव की अपेक्षा की गई थी। संशोधन के इन प्रस्तावों और सांविधानिक आयोग द्वारा उन पर विचार किये जाने के फलस्वरूप संविधान के प्रारूप के ११० अनुच्छेदों में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया।

सोवियत संघ का नया संविधान

नया संविधान १९३६ के संविधान के ढांचे पर ही अवलम्बित है। वास्तव में, इस संविधान में रूसी जनतंत्र संघ के १९१८ के संविधान और सोवियत संघ के १९२४ तथा १९३६ के संविधानों के विचारों और सिद्धान्तों का नैरन्तर्य ही विद्यमान है। इसे उचित ही सम्पूर्ण सोवियत सांविधानिक अनुभव का सार प्रस्तुत करने वाला और सोवियत संघ के सामाजिक-आर्थिक विकास के वर्तमान चरण की अपेक्षाओं की सम्पूर्ति में नए तत्वों को प्रविष्ट करने वाला संविधान कहा गया है।

संविधान का मूलपाठ इस पुस्तक में अन्यत्र प्रकाशित है। इसलिएं उसमें सम्मिलित विभिन्न प्रावधानों की गहरी विवेचना आवश्यक नहीं। कुछ विशिष्टताओं का उल्लेख ही पर्याप्त होगा।

अत्यन्त महत्वपूर्ण विशिष्टताओं में से एक यह है कि १९३६ के संविधान में सोवियत संघ को मेहनतकशों और किसानों का समाजवादी राज्य बताया गया था (अनुच्छेद १)। अब इस परिभाषा को बदल

दिया गया है। सोवियत राज्य अब सम्पूर्ण जनता का राज्य है, जो मेहनतकशों, किसानों, बुद्धिजीवी वर्ग और देश की सभी राष्ट्रीयताओं और जातीयताओं के मेहनतकश लोगों की इच्छा और उनके हितों का अभिव्यक्त करता है। मेहनतकशों और किसानों के राज्य से सम्पूर्ण जनता के राज्य में परिवर्तन का यह महत्त्व क्या है?

आज सोवियत संघ में मेहनतकश वर्ग जनसंख्या का दो-तिहाई है, जो शिक्षित है और तकनीकी दृष्टि से समर्थ है तथा राजनैतिक दृष्टि से परिपक्व है और राज्य के मामलों और उसके कार्य संचालन में उनके सहभाग की मात्रा काफी अधिक बढ़ गई है। किसानों में भी ऐसा ही परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। आज के सामूहिक किसान का मानसिक स्वभाव समाजवाद के आधार पर निर्मित है, क्योंकि वह सामूहिक फार्म पर जन्मा और पालित-पोषित हुआ है। वह शिक्षित भी है और आधुनिकतम तकनीकी सुविधाएं उसकी सेवा के लिए तैनात हैं। बुद्धिजीवी वर्ग भी कम्युनिज्म के निर्माण में अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

नए संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता "विदेश नीति" पर नया अध्याय है (अध्याय ४)। २८वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सोवियत संघ शान्ति व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने वाली लेनिनवादी नीति का दृढ़तापूर्वक अनुशीलन कर रहा है। इस अध्याय में कहा गया है कि सोवियत संघ की विदेश नीति का लक्ष्य ऐसी अन्तर-राष्ट्रीय स्थितियों को सुनिश्चित करना है, जो सोवियत संघ में कम्युनिज्म के निर्माण के लिए, विश्व समाजवाद की स्थितियों के सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय मुक्ति एवं सामाजिक प्रगति के लिए संघर्षरत जनगण के समर्थन, आक्रमक युद्धों को रोकने, सार्वभौमिक एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण हासिल करने और विभिन्न सामाजिक प्रणालियों वाले राज्यों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों के क्रियान्वयन के अनुकूल हों। इसमें दो टूक शब्दों मे कहा गया है कि सोवियत संघ में युद्ध के लिए प्रचार वर्जित है।

नए संविधान की अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टता सर्वोच्च सोवियत के

लिए निर्वाचित होने की आयु-योग्यता के बारे में है। १९३६ के संविधान के अनुच्छेद १३५ के अनुसार यह निर्धारित था कि २३ वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में निर्वाचित हो सकता है। अब यह आयु घटा कर २१ वर्ष कर दी गई है (अनुच्छेद ९६)। इसी प्रकार अन्य सभी सोवियतों में निर्वाचित होने की आयु २१ से घटाकर १८ कर दी गई है। यह अन्तर इसलिए रखा गया है क्योंकि सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत को अत्यन्त उत्तर-दायित्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, जिनका सम्बन्ध पूरे राज्य के हितों से होता है और इसलिए वहाँ और अधिक परिपक्व प्रतिनिधित्व को आवश्यक समझा गया।

सोवियत नागरिकों के अधिकारों सम्बन्धी प्रावधानों का भी बहुत महत्व है। १९३६ के संविधान में १०वें अध्याय में इस विषय पर "नागरिकों के मूलभूत अधिकार व कर्त्तव्य" शीर्षक के अन्तर्गत और १६ अनुच्छेदों में सोवियत नागरिकों के अधिकारों और तदनुरूप कर्त्तव्यों को परिभाषित किया गया था। नए संविधान में खण्ड २ में दो अध्याय हैं जिनके शीर्षक उल्लेखनीय हैं। "राज्य और व्यक्ति" से इस प्रश्न के प्रति बुनियादी दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। व्यक्ति के अधिकारों को समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एक अध्याय में नागरिकता और नागरिक के अधिकारों की समानता का उल्लेख है (अध्याय ६)। इस अध्याय के एक प्रभाग में सोवियत नागरिकों की समानता के सामान्य सिद्धान्तों पर बल दिया गया है। इसमें घोषित किया गया है कि सोवियत संघ के नागरिक बिना किसी भेद-भाव के कानून के सम्मुख बराबर हैं और समानता की यही गारंटी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए भी प्रदान की गई है (अनुच्छेद ३४)। सोवियत संघ में स्त्री और पुरुष के बराबर के अधिकार हैं और इसकी गारंटी शिक्षा, रोजगार और उजरत आदि के क्षेत्र में पुरुष के ही बराबर अवसर दिये जाने से विद्यमान है (अनुच्छेद ३५)।

छठवें अध्याय में दी गई नागरिक अधिकारों से सम्बन्धित ...
के अलावा जो ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है वह यह कि ...
अध्याय में "सोवियत संघ के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों ...
ताओं और कर्त्तव्यों" का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में १६...
के संविधान में अंकित मूलभूत अधिकारों के प्रावधानों में अत्यधिक सु...
कर दिया गया है। सोवियत नागरिकों के अधिकारों में यह सुधार ...
परिवर्द्धन सोवियत संघ में विकसित समाजवाद के निर्माण से ही ...
हुआ है।

नया सोवियत संविधान विश्व में पहला ऐसा संविधान है ...
द्वारा सोवियत संघ के नागरिकों को आवास का अधिकार प्रदान ...
गए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस अधिकार को सामाजि...
स्वामित्व वाले आवासीय प्रबन्ध द्वारा सहकारी और व्यक्तिगत ता...
पर गृह-निर्माण में सरकारी सहायता द्वारा तथा गृह-निर्माण ...
की सम्पूर्ति द्वारा सुनिश्चित बनाया जायेगा। संविधान में यह भी निर्धा...
रित किया गया है कि यह नागरिकों का कर्त्तव्य होगा कि उन्हें ...
किए गए आवासों की देखभाल वे उचित और अच्छे ढंग से करें।

सोवियत संघ के नए संविधान में और भी कई नवोन्मेष हैं।

बच्चों के लालन-पालन और उन्हें योग्य सोवियत नागरिक बनाने
का उत्तरदायित्व तो है, बच्चों पर भी यह कर्त्तव्य आरोपित किया गया
है कि अपने माता-पिता की देखभाल करें और उनकी सहायता करें।

एक अन्य उल्लेखनीय विशिष्टता इस संविधान की यह है कि इसमें
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी और पथ-प्रदर्शनकारी
भूमिका की विवरणात्मक व्याख्या की गई है। नए संविधान में सोवियत
समाज और राज्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के वास्तविक
स्थान को परिभाषित किया गया है। १९३६ के संविधान में ऐसा
नहीं था।

नए संविधान में उपर्युक्त तथा अनेक प्रावधान यह प्रकट करते हैं
कि लेनिन के विचारों को सोवियत संघ में अमली जामा पहनाया जा

रहा है। लेनिन के अनुसार संविधान का सार-तत्व सामान्य रूप से राज्य के मूलभूत कानून और प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं के निर्वाचनों में मताधिकार के बारे में उनकी योग्यता आदि के बारे में कानून तथा वर्ग-संघर्ष में शक्तियों के वास्तविक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति है।

नया सोवियत संविधान नए प्रकार के ऐतिहासिक-राज्य का संविधान है। यह सभी सोवियत जन के हितों में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजकीय प्रणाली निर्धारित करता है तथा सम्पूर्ण सोवियत समाज की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को प्रकट करता है। सोवियत संविधान को सोवियत समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इसने न केवल सोवियत समाज में सम्बन्धों को ही दृढ़तापूर्वक परिभाषित किया है बल्कि यह उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके अधिकतम विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक स्थितियां भी निर्मित करता है। नया संविधान सोवियत संघ के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और कर्त्तव्यों समेत मूलभूत जनवादी संस्थाओं की ही उद्घोषणा नहीं करता, अपितु उनकी भौतिक, कानूनी और दूसरी गारंटियों का भी संकेन्द्रण करता है।

नए सोवियत संविधान को निस्सन्देह सोवियत समाज के प्रगतिशील विकास की दिशा में, कम्युनिज्म की दिशा में प्रगति की ओर बढ़ा हुआ डग माना जा सकता है।

इस संग्रह में संकलित मूल्यांकनों में से कतिपय उस समय प्रकट किए गये थे, जब सोवियत संविधान प्रारूप की दशा में था।

समान लक्ष्य और निर्देश

वी. आर. कृष्ण अय्यर

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश

भारत और सोवियत संघ के जनगण के कुछ गुण, कुछ आकांक्षाएं, कुछ लक्ष्य समान हैं। इसलिए सोवियत जनता स्वयं को नया संविधान अर्पित कर रही है, उसके राजनीतिक वैधिक विन्यास के मूल तत्वों का अध्ययन करना समीचीन है।

सोवियत संघ १९१७ से, जब महान लेनिन के नेतृत्व में अक्तूबर क्रांति में सोवियत राजसत्ता का जन्म हुआ था, विलक्षण वेग के साथ प्रगति करता रहा है। वह दो विश्व युद्धों को झेलकर और विजयमंडित हो निकला; राजसत्ता की नींव सुदृढ़ बनी रही, जनता का मनोबल अप्रतिहत रहा। वह १९१७ में समाजवाद न प्राप्त कर सकी क्योंकि १९२४ में भी सोवियत संघ के भीतर पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं के बीच प्रतियोगिता बरकरार थी, जिसमें समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता सिद्ध हो गयी। उन दिनों भूमि का खानगी स्वामित्व भी मौजूद था और सामूहिक कृषि भी चल रही थी। उसने अभी भूस्वामित्व और पूंजीवाद का पूर्ण उन्मूलन आरंभ नहीं किया था। उनके अवशेष मौजूद थे। अतः, संविधान में वह स्थिति परिलक्षित हुई। १९२४ के संविधान को लोगों ने समाजवादी अभिहित नहीं किया क्योंकि अभी समाजवाद की स्थापना नहीं हुई थी। बाद में जब समाजवादी शक्तियां विजयी हो गयीं और उनकी उपलब्धियां सुरक्षित कर ली गयीं तो १९३६ में एक नया संविधान लागू हुआ, जिसने सोवियत संघ को समाजवादी समाज घोषित किया।

उल्लेखनीय तो यह है कि संविधान के निर्माण में सोवियत जनता और नेतृत्व कौन सा दृष्टिकोण अपनाता है। वे संविधान को नेक शब्दों का समुच्चय या ऐसे भविष्यवादी आश्वासन नहीं मानते, जिसे बाद में लागू किया जाना है। मसलन समानता के सवाल को लीजिए जो अनेक संविधानों में प्रदत्त है। वर्ग-आक्रांत समाज में इसका अर्थ है वर्ग के भीतर समानता। दूसरी ओर सोवियत जनता सोवियत समाज के सभी सदस्यों के बीच काफी हद तक समानता स्थापित कर चुकी है और इसे संविधान में भी घोषित किया जा चुका है। अतः, सोवियत जनता के लिए संविधान भविष्य का आश्वासन नहीं, बल्कि वास्तविक यथार्थ का अंकन है।

चालीस साल बाद आज क्या घटित हुआ है? देश में विराट सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आये हैं तथा सोवियत जनता बेहतर जीवन बिताती है। राज्य के संचालन में, जनतांत्रिक प्रक्रिया में कमकर और किसान ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जनता भागीदार बन गयी है। यह अब सम्पूर्ण जनता का जनतंत्र है। तथा नये संविधान का प्रारूप इस वास्तविकता की कानूनी स्वीकृति है, जिससे जनता की उपलब्धियों को पुख्ता किया जा सके।

सोवियत संघ में सम्पूर्ण जनता की बहस की क्रांतिकारी प्रक्रिया से संविधान बनाये जाते रहे हैं। यह मात्र पेशावर वकील या राजनीतिज्ञ का नहीं बल्कि सोवियत संघ के सभी इन्सानों का सरोकार है। अतः जिस समय १९३६ का संविधान तैयार किया गया था, उसे भी वर्तमान प्रारूप की ही तरह जनता में व्यापक रूप में जारी किया गया था, समूचे देश में कमकरों, सामूहिक किसानों, बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों—हर किसी ने उस पर विचार-विमर्श किया था और उसमें सुझाव संशोधन रखे थे। विशेषज्ञों के आयोग ने उनकी छानबीन की थी और जो कुछ श्रेयस्कर था उसे स्वीकार कर लिया गया था। यह संविधान निर्माण की प्रक्रिया में समूची जनता की सक्रिय शिरकत की एक अनोखी मिसाल है।

—(सोवियत संस्कृति भवन, नई दिल्ली में
दिये गए भाषण का अंश)

मानवजाति के लिए एक नया कार्यक्रम

शांति स्वरूप धवन

मैं सबसे पहले उस सवाल पर चर्चा करूंगा जो सोवियत राज्य और सोवियत समाज पर किसी भी वार्ता में भारत का हर बुद्धिमान नागरिक पूछेगा। वह सवाल है: क्या सोवियत राज्य तानाशाही राज्य है? यह एक टेढा सवाल हो सकता है लेकिन इस पर चर्चा आवश्यक है, वरना नये सोवियत संविधान पर चर्चा में वास्तविकता का अभाव रहेगा। मैं यहां सोवियत संघ के पिछले तीन संविधानों का जिक्र नहीं करूंगा, और इस प्रश्न को यों सीमित कर दूंगा: क्या नया संविधान तानाशाही राज्य का निर्माण करेगा?

शुरू में ही हमें इस प्रश्न का जवाब देना होगा: तानाशाही राज्य क्या है? शब्दकोश तानाशाही की व्याख्या इस प्रकार करता क्या है: "एक ऐसा शासन, जो किन्हीं भी विरोधी वफादारियों अथवा पार्टियों की इजाजत नही देता और सभी अधिकारों को, जिनमें वे अधिकार भी शामिल हैं जो सामान्यतया व्यक्तियों के होते हैं खुद अख्तियार कर लेता है।" यह कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं है, लेकिन इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा।

बुनियादी कसौटी यह है कि क्या आम लोग राज्य के फैसलों में हिस्सा लेते हैं और क्या इस प्रकार की एक सतत प्रक्रिया विद्यमान है कि जो लोग नीति-निर्धारण और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जनता की राय बराबर मिलती रहे।

इस कसौटी को लागू करते हुए, मेरा यही विचार बनता है कि नया सोवियत संविधान एक ऐसे राज्यतंत्र की स्थापना करेगा, जिसे किसी भी तरह एक तानाशाही राज्य नही कहा जा सकता, लेकिन एक नये प्रकार का लोकतंत्र कहा जा सकता है।

इस विचार के समर्थन मे मैं कई अनुच्छेदो का जिक्र करूंगा। प्रथम अध्याय सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे मे है और इसमे आठ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद ३ कहता है कि 'सोवियत राज्य जनवादी केंद्रीयतावाद के आधार पर: ऊपर से लेकर नीचे तक राज्य सत्ता के सभी निकायो की निर्वाचनीयता के आधार पर, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही के आधार पर संगठित किया जायेगा और काम करेगा···।" अनुच्छेद ४ कहता है कि "सोवियत राज्य, उसके सभी निकाय समाजवादी कानून-सम्मतता के आधार पर काम करेंगे, और कानून तथा व्यवस्था, समाज के हितों तथा नागरिको के अधिकारो की रक्षा का सुनिश्चित बनायेंगे। राज्यकीय संस्थाए, सार्वजनिक संगठन और अधिकारीगण सोवियत संघ के संविधान और सोवियत कानूनो का पालन करेंगे।" (जोर लेखक का)

ये दोनो अनुच्छेद दो मूलभूत सिद्धान्तो का व्यादेश देते हैं: पहला यह कि राजकीय सत्ता का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यांग और राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति भी सोवियत जनता के सम्मुख अपने व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि जनता संप्रभु है और किसी को भी फ्यूहर अथवा ड्यूस अथवा कायदे आजम का दर्जा हासिल नही होगा और दूसरा यह कि सत्ताधारी प्रत्येक व्यक्ति कानून के मुताबिक काम करेगा और कोई भी कानून की गिरफ्त के बाहर नही होगा।

नए संविधान का पाचवा अनुच्छेद अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुच्छेदो में से है। इस अनुच्छेद के अनुसार जनता ही संप्रभु है। इसमे यह कहा गया है कि यदि मसला महत्वपूर्ण है तो जनता सर्वोच्च सोवियत फैसले को भी रद्द कर सकती है।

अनुच्छेद सात मे यह कहा गया है कि ट्रेड यूनियनें, तरुण कम्युनिस्ट

लीग, सहकारियां और दूसरे जन-संगठन राज्य-प्रशासन और सार्वजनिक मामलों में, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सवालों को हल करने में हाथ बंटायेंगे।

अनुच्छेद ७ के साथ अनुच्छेद ८ पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें यह व्यवस्था है कि "समाज और राज्य के मामलों में मेहनतकश लोगों की अधिक-व्यापक सहभागिता" रहेगी। ये दोनों अनुच्छेद (जो नए हैं) वास्तव में जनवाद की जड़ें आम जनता तक ले जाने की व्यवस्था करते हैं।

नए संविधान के विभिन्न प्रावधानों को साथ मिलाकर देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे सर्वसत्तात्मक राज्य की अवधारणा का निषेध विद्यमान है, जिसमें सत्ता जनता से सत्ताहीन लोगों की ओर प्रवाहित नहीं होती, बल्कि नेता आदेश देते हैं और जनता आज्ञा का पालन करती है।

५२वें अनुच्छेद में अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता का उल्लेख है और उसमें किसी भी धर्म को मानने अथवा धर्म को न मानने की और अनीश्वरवाद का प्रचार करने के अधिकार की गारंटी दी गई है।

नए संविधान में नागरिक-अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के निवारण का प्रावधान है। ५८वें अनुच्छेद (जो नया है) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह राज्य के किसी भी ऐसे अधिकारी के खिलाफ अदालती कार्यवाही अथवा शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसने "कानून के विरुद्ध कार्यवाही की हो"।

नया संविधान व्यवहार में किस प्रकार रहेगा इसका उत्तरदायित्व तो करोड़ों सोवियत नागरिकों के चरित्र और योग्यता पर निर्भर करेगा क्योंकि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो यदि जनता उन उच्च आदर्शों पर अमल न करे, उनकी तामील न करे, जो संविधान में अंकित हैं। लियोनिद ब्रेझनेव ने स्वयं कहा है कि किस प्रकार १९३६ के संविधान को "गैर कानूनी दमन और समाजवादी जनवाद के सिद्धान्तों का उल्लंघन

करके कलंकित किया गया था"। उन्होंने यह वचन दिया इस प्रकार के "उल्लंघन" कभी दोहराये नहीं जायेंगे।

मानवजाति के लिए नया कार्यक्रम

१९१७ में सोवियत राज्य के संस्थापकों ने मानवजाति के लिए नए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। सभ्यता के इतिहास में पहली बार जाति, धर्म, उपासना, भाषा और लिंग भेद की परवाह न करते हुए सभी नागरिकों की समानता के सिद्धान्त के आधार पर राज्य की स्थापना इन दो सिद्धान्तों के आधार की थी कि भौतिक कल्याण, आत्मिक कल्याण का आधार है और भौतिक कल्याण का उपयोग सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से किया जाना चाहिए। नवजात राज्य को नष्ट करने के दृढ़ प्रयत्न किए गए लेकिन एक पीढ़ी तक चलने वाले दुर्धर्ष संघर्ष के बाद राज्य बच गया। नये संविधान में अक्तूबर क्रान्ति के सिद्धान्तों की सफलताओं की शौर्य-गाथा प्रतिबिम्बित है। यह मनन योग्य दस्तावेज है। भारत के सभी न्यायविदों, जजों, शास्त्रीय अध्येताओं और समाजशास्त्रियों को इसका अध्ययन और विश्लेषण वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ भावना से करना चाहिए।

नागरिकों के गारंटीशुदा अधिकार

न्यायमूर्ति वी. रामस्वामी

न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय

प्रत्येक संविधान की व्याख्या और समझ उसके दर्शन और विचार-धारा के प्रकाश में की जाना चाहिए। सोवियत संघ के नए संविधान के प्रारूप की प्रशंसा इसी बात से की जा सकती है कि उसके प्रारम्भ सोवियत राज्य का सर्वोच्च प्रयोजन वर्ग-विहीन कम्युनिस्ट समाज का निर्माण करना है तथा इसका कर्त्तव्य कम्युनिज्म के भौतिक और तकनीकी आधार को बनाना समाजवादी सम्बन्धों को परिशुद्ध करना तथा उन्हें कम्युनिस्ट सम्बन्धों में रूपान्तरित करना कम्युनिस्ट इंसान को गढ़ना और नागरिकों के रहन-सहन के और सांस्कृतिक स्तरों को ऊँचा उठाना है।

निस्सन्देह, यह सब चुटकियों में नहीं किया जा सकता। लेकिन सोवियत समाज निरंतर बढ रहा है और प्रगति कर रहा है। सोवियत संघ का प्रत्येक संविधान, १९१८ में स्वीकृत पहले संविधान से लेकर अब तक के संविधान ने सोवियत समाज के विकास के प्रत्येक सोपान को प्रतिबिम्बित किया है और उपलब्ध प्रगति को कानूनी रूप दिया है ताकि और आगे प्रगति की जा सके और लोग क्रान्ति की उपलब्धियों का उपभोग कर सकें। १९३६, जबकि पुराना संविधान स्वीकार किया गया था, सोवियत समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुए हैं, जिनके फलस्वरूप आज सुविकसित समाजवादी समाज विद्यमान है। इसी

कारण नए संविधान को तैयार करने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

प्रारूप में प्रारम्भ और उन सिद्धान्तों के विषय में अध्यायों के बाद जिनमें सोवियत राज्य की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक संरचना रेखांकित है, जो सम्पूर्ण जनता का राज्य है, जो जन-डिपुटियों वाली सोवियतों के माध्यम से राजकीय सत्ता का उपभोग करता है, संविधान के प्रारूप में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को प्रथम स्थान दिया गया है। सोवियत नागरिकों के वर्तमान गारंटीशुदा अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को केवल पुनर्पुष्ट ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें विकसित समाजवादी समाज की परिस्थितियों के सन्दर्भ और समृद्ध तथा विशद कर दिया गया है, जो उन अधिकारों का और आगे विस्तरण तथा जनता के जीवन की परिस्थितियों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों की सम्पूर्ति के अनुरूप सुनिश्चित बनाते हैं।

व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार

यह अध्याय देने योग्य है कि पहली बार सोवियत नागरिकों को आवास की गारंटी प्रदान की गई है। व्यक्तिगत सम्पत्ति धारण करने के नागरिकों के अधिकार के सन्दर्भ में दीर्घकाल से चले आए पश्चिमी जवाब द्वारा किये जाने वाले प्रचार के फलस्वरूप उत्पन्न गलत धारणा को दूर कर दिया गया है कि सोवियत संघ में कोई जन किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति का स्वामी नहीं हो सकता। सोवियत संघ में नागरिकों को व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में अपनी अर्जित आय, पर, घरेलू पशु और व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुएं रखने का अधिकार है। वे इन चीजों को विरासत में भी हासिल करने के हकदार हैं। लेकिन किसी को भी इसकी अनुमति नहीं कि वह व्यक्तिगत सम्पत्ति को अनर्जित आय के लिए अथवा समाज को हानि पहुंचाने के लिए प्रयुक्त करे।

नएं संविधान के अनुसार व्यक्ति की अलंघनीयता की पूरी तौर पर गारंटी है। बिना आदेश-पत्र के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा

सकता। इसी प्रकार निवास स्थान की अलंघनीयता की भी गारंटी है। इसी प्रकार व्यक्ति की अन्य स्वतन्त्रताओं की भी गारंटी है। संविधान की ये सब विशिष्टताएं व्यक्ति के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के किसी प्रकार के भी उल्लंघन के विरुद्ध ठोस गारंटी प्रदान करती हैं।

(सोवियत संस्कृति सदन, मद्रास में दिए
गए भाषण का अंश)

अतीव प्रगति का प्रतीक

न्यायमूर्ति पी. वी. सावन्त

न्यायाधीश, बम्बई उच्च न्यायालय

नया सोवियत संविधान और सोवियत संघ का नया मूलभूत कानून उस अतीव प्रगति का प्रतिबिम्ब है, जो सोवियत समाज ने आर्थिक समानता स्थापित करने में की है।

पिछले संविधान के अन्तर्गत भी सोवियत नागरिकों को काम का अधिकार प्राप्त था। इसलिए पहले भी वहां कोई बेरोजगार नहीं था। लेकिन नया सोवियत संविधान कुछ और आगे बढ गया है। इसमें कहा गया है कि अब सोवियत नागरिक अपनी योग्यता और अहर्ताओं के अनुसार अपने काम का चयन कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ मनभावन पेशा चुना जा सकता है। यदि व्यक्ति में तदनुरूप योग्यता है। राज्य यह जिम्मेदारी लेता है कि उसे वैसा ही काम दे।

चिकित्सा उपचार पहले भी निःशुल्क था। अब भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब स्वास्थ्य की देखभाल का प्रावधान बढा दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब राज्य सभी नागरिकों, बच्चों-बूढों के स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मा लेता है।

सोवियत नागरिकों को दिया गया आवास का अधिकार भी छोटी बात नहीं। संसार के किसी भी और संविधान में इस प्रकार की गारंटी नहीं है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सब साधारण अधिकार नहीं। ये तो मूलभूत अधिकार हैं और इनकी तामील होनी ही चाहिए।

प्रशासन के किसी भी व्यक्ति द्वारा लिए गए अनुचित निर्णय के विरुद्ध की गई शिकायत को दूर करवाने का अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार पहले संविधान में अंकित नहीं था।

समाजवादी समाज के संविधान का अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नागरिकों को दिये गए सभी अधिकारों की तामील असली रूप से की जाती है। वे सिर्फ कागज़ पर ही लिखे नहीं रहते, जैसा कि अनेक अन्य देशों में पाया जाता है।

हमारे न्यायालयों में ब्रिटेन, अमरीका और कभी-कभी कनाडा व फ्रांस के न्यायालयों के हवाले ही दिये जाते हैं। क्योंकि हमारा संविधान प्रमुखतया ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है।

हमारे देश में विद्यार्थी और वकील इन संविधानों का अध्ययन करते हैं, जबकि सोवियत संविधान में अनेक ऐसी बातें हैं जिनका अनुकरण किया जा सकता है।

—(महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की ६०वीं जयन्ती के अवसर पर बम्बई आयोजित सार्वजनिक सभा में दिये गए भाषण का अंश)

महान उपलब्धियां

न्यायमूर्ति आर. एल. अग्रवाल

न्यायाधीश, बम्बई उच्च न्यायालय

सोवियत जनता के अधिकार और उपलब्धियां आसमान से नहीं गिरीं। सोवियत जनता ने उन्हें कठिन परिश्रम से हासिल किया है, जो उन्होने पिछले ६० वर्षो के दौरान कृत सकल्प होकर किया है।

मैं सोचता हूं कि सोवियत संघ ने जितनी मुसीबतों का सामना किया उन परिस्थितियों में क्या कोई देश, प्रगति की बात तो दूर रही, अपना अस्तित्व भी बनाये रख सकता है।-इतनी कठिनाइयों का सामना होने पर कोई भी अन्य लोग निराश हो चुके होते।

प्रत्येक सविधान मे अधिकारों के साथ ही कर्त्तव्यों का भी समावेश होना चाहिए। अन्यथा कोई देश प्रगति नही कर सकता। सोवियत संघ मे प्रत्येक युवक के लिए सैन्य-प्रशिक्षण अनिवार्य है। मातृ-भूमि की रक्षा करना सीखना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

जब हिटलर ने विश्वास भंग करके सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो सम्पूर्ण सोवियत जन एक व्यक्ति के रूप मे उठ खड़े हुए। महान त्याग करने के बाद उन्होने हिटलरवाद को पराजित कर दिया। वे इसलिए ऐसा करने में समर्थ हुए क्योंकि वे यथाअवसर लड़ने के लिए प्रशिक्षित थे। वे अनुशासनबद्ध लोग हैं। हमे उनसे यह गुण ग्रहण करना चाहिए।

सोवियत संघ हमारा विश्वसनीय मित्र है। हमे सोवियत जनता को बधाई देना चाहिए, क्योकि नए सोवियत सविधान में उनकी उपलब्धियां प्रतिबिम्बित हैं।

सबसे तरुण संविधान

न्यायमूर्ति हरि स्वरूप

न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आज दुनिया का सबसे कम उम्र संविधान सोवियत संविधान है। पर यद्यपि उम्र में यह तरुण है, परिप्रेक्षता और सुबुद्धि में यह परिपक्व है। इसके पास पिछले जन्मों की संचित बुद्धि है। यह महान क्रांति के राजनीतिक-कानूनी बालक का तीसरा पुनर्जन्म है। सोवियत जन के सांविधानिक इतिहास में प्रगतिशील विकास-प्रकिया को दर्शाते हैं। हर संविधान पिछले से बेहतर है। १९७७ का संविधान वहां से शुरू होता है जहां १९३६ का संविधान खत्म होता है।

नया संविधान एक ऐसी संहिता नहीं है जो केवल सोवियत संघ के लोगों को प्रभावित करती है, इसके क्षितिज व्यापकतर हैं; यह विश्व इतिहास की राह को बदल सकता है। यह सोवियत जन को कम्युनिज्म का, मित्रतापूर्ण राष्ट्रों को सहयोग का, और सारी दुनिया को शांति का आश्वासन देता है।

लेनिन के अनुसार एक संविधान केवल एक प्रधान कानूनी कृत्य ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक दस्तावेज भी है। ऐसा होना लाजिमी है, क्योंकि किसी राज्य का निर्माण एक राजनीतिक कृत्य है, और उसका संचालन उन कानूनों पर निर्भर करता है जो लोग बनाते हैं। आधुनिक राज्य कानून के शासन पर आधारित हैं, इसलिए संविधान की रचना कानूनी कृत्य होना चाहिए और उस उद्देश्य तथा तरीके का वर्णन। जिस पर राज्य की मशीनरी चलेगी इसे एक राजनीतिक दस्तावेज का

रूप प्रदान करेगा। सोवियत संघ के हाल में स्वीकृत संविधान में ये दोनों गुण हैं। यह एक बड़ा राजनीतिक दस्तावेज है, क्योंकि यह सरकार के संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धान्तों को प्रतिपादित करता है, उन राजनीतिक ध्येयों को निरूपित करता है जो इसे हासिल करने हैं, और उस राजनीतिक समाज की व्याख्या करता है जिसका इसे निर्माण करना है। यह प्रधान कानूनी कृत्य है, क्योंकि यह देश के बुनियादी कानूनों को प्रतिपादित करता है जिसके अनुरूप और मातहत देश के सभी कानून और सभी कानूनी कृत्य होंगे।

सोवियत संविधान का यही 'राजनीतिक' पहलू ही इसे परम्परागत पश्चिमी संविधानों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है। यह सोवियत संविधान को उस क्रान्ति से सबद्ध कर देता है जिससे सोवियत राज्य का जन्म हुआ था। यह क्रान्ति की उपलब्धियों की पुष्टि करता है, उसके ध्येयों की सार्थकता को स्वीकारता है, और जब तक पूर्ण कम्युनिज्म की प्राप्ति नही होती तब तक क्राति को जारी रखने का वादा करता है।

सोवियत संघ का संविधान क्राति का एक ओजस्वी दस्तावेज है। यह कम्युनिज्म के निर्माण का एक अस्त्र है। यह एक ऐसे जन का संविधान है जिन्होने मार्क्स, एंगिल्स और लेनिन द्वारा परिकल्पित सामाजिक मूल्यों पर आधारित "समाज" के रूप में रहने का निश्चय किया है। इसलिए यह संविधान एक सोवियत व्यक्तित्व के विकास और एक सोवियत समाज के निर्माण का ध्येय लेकर चलता है।

सोवियत संविधान उन सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिपादित करता है, जिनके निर्माण को वह अपना ध्येय मानता है। यह कोई दिशाहीन दस्तावेज अथवा लक्ष्यहीन योजना नहीं है।

यह संविधान इस स्थापना को मानकर चलता है कि समाज अपने घटकों से—अपने व्यक्तियों से—रंग हासिल करता है। यह इस स्थापना को भी स्वीकार करता है कि समाजवाद का निर्माण अत्यन्त विकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसलिए यह उस समाजवादी व्यक्ति के विकास पर जोर देता है जिसकी छवि और प्रतिमा व्लादीमिर

नन ने अब से आधी सदी पहले ही देख ली थी। इसलिए यह संविधान व्यक्ति को प्राथमिक से लेकर उच्चतम स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा गारण्टी प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य संरक्षण की और रोगों के रोध तथा इलाज के लिए बेहतरीन व्यवस्था के अधिकार की भी गारंटी दान करता है। यह ऐसे योग्य नागरिकों की पीढ़ियों के निर्माण को पना ध्येय बनाता है जो एक समाजवादी समाज के निर्माण और रचना समर्थ हो सकें।

सोवियत समाज का सन्निहित ध्येय है हर प्रकार के शोषण से और नीरस काम से व्यक्ति की मुक्ति। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को अव्यावहारिक बनाया जाता है इस बात को असम्भव बना कर कि उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति हो सकें। व्यक्ति की मुक्ति का प्रयास किया जाता है उसे सबसे बड़े समाजवादी अधिकार—"काम के अधिकार" की गारंटी करके, जिसका आदर्श है : "प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार।" नया संविधान इस अधिकार को इस व्यवस्था के जरिए और भी आगे बढ़ाता है कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार मनपसंद काम पाने का अधिकार है। निश्चय ही सोवियत संविधान ऐसे काम या धन्धों की इजाजत नहीं देता जो सामाजिक रूप से उपयोगी न हों अथवा जो समाज या राज्य के हितों के लिए, अथवा अन्य नागरिकों के अधिकारों के लिए हानिकारक हों।

मनुष्य को उबाने और थकाने वाले काम से छुटकारा दिलाने के लिए यह संविधान वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुसंधान को उस दिशा में प्रवृत्त होने का निर्देश देता है जिससे श्रम का बोझ मनुष्य से हटकर मशीन पर जाए। कृषि का भी मशीनीकरण करके उसे एक मशीनीकृत उद्योग में परिणत कर दिया जाएगा। मेहनत या श्रम कमरतोड़ न रहकर एक आनन्दमय कर्म में परिणत हो जाएगा।

सोवियत संघ में समाज में मनुष्य का दर्जा उसके द्वारा किये जाने

वाले सामाजिक रूप से उपयोगी काम और उसके परिणाम के आधार पर निश्चित होगा।

१९७७ के संविधान का प्रयास है कि समाज में सामाजिक सामंजस्य बढ़ाया जाए, शहरी और देहाती रहन-सहन में अंतर को दूर किया जाए, दिमागी और शारीरिक श्रम के. बीच के अन्तर को खत्म किया जाए, और इस प्रकार एक समाजवादी समाज का निर्माण किया जाए। बुनियादी कानून की सारी दिशा ऐसे सामाजिक मूल्यों और हालतों की स्थापना की है, जो वर्गहीन समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा का प्रसार और संस्कृति का जनवादीकरण ही नहीं किया जाएगा, बल्कि गांवों को आधुनिक कस्बों में परिणत किया जाएगा।

नये संविधान के अंतर्गत नागरिकों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों में संवृद्धि की गई है।

यह बात स्पष्ट की गई है कि विचार और अभिव्यक्ति की आजादी में आलोचना का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद ४९ हर आदमी को यह अधिकार देता है कि वह कार्यकलाप में सुधार और उन्नति के लिए सुझाव दे सके और राज्यों के निकायों तथा सार्वजनिक संगठनों के काम में खामियों की आलोचना कर कर सके। सभी राज्यकीय निकायों और सार्वजनिक संगठनों पर यह कर्तव्य आयद है कि वे लोगों के सुझावों और प्रार्थनाओं पर ध्यान दें और उन पर उचित कार्रवाई करें।

नया सोवियत संविधान हर नागरिक के भौतिक योगक्षेम, सुख-कल्याण और सांस्कृतिक उन्नयन की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करता है। यह आवास की, रहने के लिए मकान की भी गारण्टी प्रदान करता है, जो दुनिया का और कोई भी संविधान नहीं करता।

अनुच्छेद ४१ सप्ताह में काम के घंटों की ४१ की सीमा निर्धारित करके व्यक्ति के आराम और अवकाश के अधिकार की भी गारंटी करता है।

महिलाओं की मुक्ति सदा ही सोवियत संविधान की एक विशेषता

रही है। १९३७ के संविधान में महिलाओं के अधिकारों की ओर भी स्पष्ट व्याख्या की गई है।

सोवियत संविधान केवल बौद्धिक प्रकादमिक थीसिस मात्र नहीं है, बल्कि समाजवादी निर्माण का मास्टर-प्लान है, सुस्पष्ट योजना है, जो केवल लक्ष्यों को ही निर्धारित नहीं करती बल्कि उसके साधनों को भी निश्चित करती है। यह संविधान प्रशासक की मर्जी या मौज पर कुछ भी नहीं छोड़ता बल्कि पूरे नक्शे, सम्पूर्ण कार्य योजनाएं निरूपित करता है, और साथ ही साथ सामाजिक, प्रार्थिक और राजनीतिक इंजीनियरों के प्रशिक्षण के तरीके भी निर्धारित करता है। यह वादे करता है, अधिकार प्रदान करता है, और फिर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदमों की व्यवस्था भी करता है।

नया संविधान इस बात को स्वीकार करता है कि प्रधिकारों की गारंटी भर ही काफी नहीं है, जब तक कि उनकी उपलब्धि को सम्भव बनाने के लिए एक उपयुक्त मशीनरी की सांविधानिक गारंटी न हो। यही कारण है कि यह संविधान प्रधिकार की हर गारंटी के साथ उन साधनों का भी जिक्र करता है जिनके जरिए वह उस अधिकार के उपभोग के लिए आवश्यक हालतें पैदा करेगा।

एक सवाल प्रक्सर पूछा जाता है: सोवियत संविधान जनवादी व्यवस्था कायम करना चाहता है, या तानाशाही राज्य कायम करना चाहता है।

यदि लोकतंत्र का अर्थ है जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन, तो सोवियत संघ एक आलातरीन दर्जे का लोकतंत्र है। किसी भी स्तर पर राज्य सत्ता का कोई भी निकाय ऐसा नहीं है जो निर्वाचन की प्रक्रिया के सिवा निर्मित किया गया हो। हां, कुछ मामलों में यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, प्रर्थात निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। किंतु यह लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध किसी भी तरह नहीं जाता।

इस संविधान का अनुच्छेद ६ राजकीय यंत्र में चालक शक्ति का, उद्वेलक शक्ति का ही समावेश नहीं करता, बल्कि नौकरशाही की

सम्भव तानाशाही के खिलाफ एक अजेय कवच भी प्रदान करता है। राज्य का राजनीतिक केन्द्र-बिंदु, कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसे अधिकार दिया गया है और कर्त्तव्य सौंपा गया है कि वह समाज के विकास का आम परिप्रेक्षय निर्धारित करे और सोवितत संघ की आंतरिक तथा विदेश नीतियों का दिशा-निर्देश करे, मार्गदर्शन करे। यह कार्यपालिका शक्ति को राजनीतिक इच्छा शक्ति से जोड़ती है, और इसका उद्देश्य अपनी कार्यकारी हैसियत में मंत्रियों को राज्य के राजनीतिक पक्ष से कट जाने से रोकना और संविधान में सन्निहित राजनीतिक दर्शन से विचलित हो जाने से रोकना है। यह दर्शन को कर्म के साथ, सिद्धान्त को अमल के साथ मिलाने का एक तरीका है। अगर ये दोनों साथ रहते हैं, तो नौकरशाहाना कार्यकलाप और अमल जनता का राजनीतिक इच्छाशक्ति से विलग नहीं हो सकता और दमनकारी नहीं बन सकता।

और सर्वोपरि, यह नया संविधान विश्व शांति को कायम रखने के संकल्प का घोषणा पत्र है, चार्टर है। शांति की नीति अब संविधान का ही एक अंग बन गई है। आक्रामक युद्ध का विचार सोवियत संघ में न तो जन्म ले सकता है और न पनप सकता है।

राज्य की विदेश नीति से सम्बन्धित अनुच्छेद २८ और २९ सोवियत संघ को राष्ट्रों के समुदाय का एक सदस्य मानकर चलते हैं। वे विश्व समाजवाद की स्थितियों को सुदृढ़ बनाने का, राष्ट्रीय मुक्ति तथा सामाजिक प्रगति के लिए जनगण के संघर्षों के समर्थन का, आक्रमक युद्धों को रोकने का, और भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्त के कार्यान्वयन का वादा करते हैं। यह संविधान दुनिया को मैत्रीपूर्ण राष्ट्रों की दुनिया मानता है; जिन्हें शांति के साथ रहने का हक है।

यह संविधान अन्य देशों के विकास में सहयोग का वादा करता है और सोवियत संघ के लिए इस बात को असम्भव बनाता है कि वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्रों का शोषण कर सके।

अनुच्छेद ३० एक विश्व समाजवादी व्यवस्था की ओर समाजवादी

ंतर्राष्ट्रीयतावाद की परिकल्पना करता है। सोवियत संघ स्वयं को इस विश्व समाजवादी व्यवस्था का एक अंग मानता है और समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के आधार पर सभी समाजवादी राज्यों के साथ मैत्री, सहयोग और आपसी सहायता को बढ़ावा देने और सुदृढ़ बनाने का बीड़ा उठाता है। वह सारी दुनिया के मेहनतकशों को एक विशाल समाजवादी परिवार के सहयोगी सदस्य मानता है।

यद्यपि यह संविधान अभी भी एक समाजवादी संविधान है, लेकिन यह कम्युनिज्म के लिए राह तैयार करने का काम भी अंजाम देता है। और आशा की जा सकती है कि समाजवाद की उज्जवल प्रकाश किरण शीघ्र ही देदीप्यमान सूर्य में दीप्त हो उठेगी।

अधिकारों के प्रवर्तन की गारंटी

वी० पी० रामन

तमिलनाडु के महाधिवक्ता

समाजवादी क्रान्ति के बाद १६१८ में स्वीकृत सोवियत संघ के पहिले संविधान मे सोवियत राज्य के मेहनतकश वर्ग राज्य के वर्ग-सार को परिभाषित किया गया था। १६२४ में स्वीकृत दूसरे संविधान में, जिसे सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की स्थापना के बाद स्वीकार किया गया था, सोवियत संघ के संघात्मक स्वरूप को उजागर किया गया था। १६३६ में स्वीकृत संविधान में, जिसे देश में समाजवाद की स्थापना के बाद स्वीकार किया गया था, सोवियत नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और उनके उत्तरदायित्वों को घोषित किया गया था और १८ वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया था। १६३६ के संविधान के बाद से व्यतीत ४० वर्षों के दौरान सोवियत समाज मे ऐसे अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिनके कारण नए संविधान को स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ी। नया संविधान बुनियादी विषय-वस्तु की दृष्टि से पुराने संविधान की भावना से कुछ भिन्न नही। अलबत्ता विवरणात्मक दृष्टि से अन्तर अवश्य है। नए संविधान मे नागरिकों के अधिकार पहले से बढ़ गए हैं और उन्हें अधिक अधिकार प्रदान कर दिये गए हैं। यथा, स्वास्थ्य संरक्षा का अधिकार, निवास स्थान का अधिकार आदि।

नागरिकों के अधिकारों की उद्घोषणा तो अनेक संविधानों मे

उपलब्ध है। यह भी कहा जाता है उनके प्रवर्तन का भी अधिकार ह। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नागरिक को अपने अधिकार की स्थापना के लिए ही उच्चतर न्यायालयों का द्वार खटखटाना पडता है। लेकिन सोवियत संविधान में नागरिकों के अधिकारों की न केवल उद्-घोषणा ही की गई है बल्कि उनकी तामील को सांविधानिक प्रावधानों द्वारा ही निश्चित बना दिया गया है। प्रत्येक अनुच्छेद में, जिसमें नाग-रिक के किसी अधिकार की उद्घोषणा है, उसी मे यह प्रावधान भी है, जिसमें यह बताया गया है कि व्यवहार में इस अधिकार को सुनिश्चित कैसे बनाया जाय। उदाहरण के लिए, जिस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नागरिक को अपनी स्वास्थ्य संरक्षा का अधिकार है, उसमें आगे यह भी कहा गया है कि यह अधिकार राज्य के स्वास्थ्य रक्षा संगठनों द्वारा प्रदत्त उचित चिकित्सा सेवा के कारण निश्चित रहेगा।

व्यक्तिगत सम्पत्ति से सम्बन्धित अनुच्छेद द्वारा इस आम भ्रान्त धारणा को दूर दिया गया है कि सोवियत नागरिक किसी प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामी नही बन सकते। इस अनुच्छेद मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सोवियत नागरिक अर्जित.आय और बचत, घर, प्रतिदिन प्रयोग की वस्तुएं और व्यक्तिगत प्रयोग की चीजें और दूसरी सुविधाओं के स्वामी बने रह सकते हैं। अलबत्ता, वे कारखानों अथवा उपक्रमों के स्वामी नही बन सकते और व्यक्तिगत सम्पदा का उपयोग अनर्जित आय प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते।

निस्सन्देह, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत देश के कानूनों को स्वीकार करने वाली सर्वोच्च सत्ता है। लेकिन सोवियत संघ में मूलभूत कानूनों को सर्वजनिक विचार-विमर्श और अनुसमर्थन के बाद ही स्वी-कृति दी जाती है। यह ऐसा आदर्श है, जिसका अनुसरण दूसरे देश कर सकते हैं। इसी प्रकार, यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधि (डिपुटी) अपने निर्वाचकों का विश्वास खो दे, तो उसे वापस बुलाया जा सकता है। यह अधिकार तो अनूठा ही है। यदि कोई डिपुटी अपने मतदाताओं का विश्वास खो दे तो यह वचन-भंग के सिवा और क्या है!

संविधान में सोवियत विदेश-नीति पर पूरे अध्याय का समावेश विशेष रूप से रुचिकर और महत्वपूर्ण है। पहली बार सोवियत संघ ने सांविधानिक रूप से यह घोषणा की है कि वह समाजवादी समुदाय की अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था का अंग है, जो आर्थिक एकता और अन्तरराष्ट्रीय समाजवादी श्रम विभाजन में सक्रिय हाथ बंटायेगा। इस प्रकार, पहली बार सोवियत संघ के अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप को सांविधानिक ढंग से नए संविधान में प्रविष्ट किया गया है। इस अध्याय में सोवियत संघ की शांतिपूर्ण नीति और अन्य राष्ट्रों से उसके सम्बन्धों का दृढ़-कथन किया गया है।

—(सोवियत संस्कृति भवन, मद्रास में दिये गए भाषण का अंश)

अनूठी विशेषता

के० टी० के तंगमणि

बैरिस्टर

पिछले १९३६ के सोवियत संविधान की स्वीकृति के बाद से व्यतीत ४० वर्षों में सोवियत समाज ने अनेक क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रगति की है। इसी कारण नया सोवियत सविधान विद्यमान बुनियादी अधिकारों को विशद एवं व्यापक रूप देने में समर्थ हुआ है। उदाहरण के लिए, पुराने संविधान में भी काम की गारंटी मौजूद थी। लेकिन नये संविधान में न केवल काम की ही गारंटी है बल्कि काम कौन-सा हो और पेशा क्या अपनाया जाय इस अधिकार की भी गारटी दी गई है। सोवियत संविधान की अनूठी विशेषता यह भी है कि जनता का प्रत्येक बुनियादी अधिकार केवल घोषित अधिकार नहीं बल्कि उसकी गारंटी भी साथ है। यह बात और किसी देश के संविधान में उपलब्ध नहीं। इसी प्रकार नया सोवियत संविधान ऐसा एकमात्र संविधान है। जिसमें संसार के सांविधानिक इतिहास में पहली बार सोवियत संघ की विदेश नीति पर, जो सदैव ही शान्ति की नीति रही है पूरा प्रकरण दर्ज है। इस तरह शान्ति की नीति को राष्ट्र के मूलभूत कानून का दर्जा दे दिया गया है।

अद्वितीय समावेश

टी० चेंगलवन्यान

वकील

सोवियत संविधान ने अपने आमुख में समाजवादी समाज के ऐतिहासिक विकास का, उसके अभ्युदय और विकास की, विकास के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करके विल्कुल नये अध्याय का श्रीगणेश किया है। यह आमुख उस भिन्न प्रकार से निर्मित समाज द्वारा उपलब्ध कीर्ति का विवरण सारांश प्रस्तुत करता है।

सोवियत जनता ने अपने लिए जो संविधान रचा है उसमें उसके तमाम अनुभवों का, अनुभव से अर्जित ज्ञान का, उन खुशियों और तकलीफों का जिन्हें उन्होंने भोगा, अपनी स्वतंत्रता और अपने जीवन-प्रवाह की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों का समावेश है।

विदेश नीति पर सम्मिलित प्रकरण वास्तव में वेमिसाल है। विदेश नीति के प्रति बुनियादी दृष्टिकोण में शान्ति के ध्येय की, सार्वभौमिक शान्ति उद्घोषणा की गई है, जिसकी उपलब्धि सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित बनाए विना संभव नहीं और जिसके परिरक्षण के लिए सभी राज्यों का परस्पर सहयोग आवश्यक है — इन राज्यों की राजनीतिक प्रणालियां चाहे जो हों।

महान् सिद्धान्त का निरूपण

अरुणा आसफ अली

अध्यक्ष, भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ

नया सोवियत संविधान एक अनूठा संविधान है क्योंकि इसमें यह महान सिद्धान्त प्रतिष्ठापित किया गया है कि अगर सभी नर और नारियां जन्म से बराबर नहीं हैं तो भी जो लोग सोवियत नागरिक हैं और उन्हें हर प्रकार के शोषण से मुक्त होने, अपने व्यक्तिगत व सामूहिक श्रम के फलों का उपभोग करने और अपने आंतरिक इच्छाओं के अनुरूप अपनी जीवन पद्धति को चुनने मे समर्थ बनाती है।

यह संविधान इस कारण और भी अनूठा है कि इस क्रांतिकारी दस्तावेज में परिकल्पित समाज में किसी भी प्रकार की परजीविता को न तो प्रोत्साहन दिया जाता है न बर्दाश्त किया जाता है। यह महान समाजवादी राज्य मनुष्यों को जो अवसर प्रदान करता है वे इतने व्यापक हैं कि अगर एक व्यक्ति जन्म से अपाहिज न हो तो इस बात का कोई कारण नहीं कि वह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के उच्चतम मानक हासिल न कर सके, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप बौद्धिक ऊंचाइयों को प्राप्त न कर सके या लालच, ईर्ष्या तथा ऐसी सभी बलाओं से मुक्त मानवीय व्यक्ति के रूप में विकसित न हो सके, जो किसी के व्यक्तित्व में कटुता भरती है।

इस रूप में, इस वस्तुतः श्रेष्ठ दस्तावेज में जिन मूल्यों का पक्षपोषण किया गया है वे विश्व के विभिन्न भागों के नर-नारियों को और खास-

तौर से उनको प्रेरणा प्रदान करता है, जिन्होंने अपने-आपको अपने सह नागरिकों के लिए समानता और खुशहाली लाने के काम के लिए समर्पित कर रखा है।

सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देश लाभप्रद काम देते तथा उसकी वस्तुत: गारंटी करते हैं, शिशु के जन्म से लेकर परिपक्व होने तक उसकी देखरेख को सुनिश्चित बनाते हैं, सामुदायिक सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा व आवास का और वृद्धावस्था अथवा अपाहिज होने की हालत में देखरेख का अधिकार देते हैं और ऐसी अनगिनत सुविधाएं उसे देते हैं जो इससे पूर्णत: भिन्न प्रकार की समाज व्यवस्थाओं में बिल्कुल अकल्पनीय है। इन अधिकारों व सुविधाओं का होना एक ऐसी चीज है जो हमें अपने जनगण के लिए ऐसी ही जीवन पद्धति के वास्ते संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करती है। यदि यह सब बातें पृथ्वी के एक भाग में ६० वर्ष की अल्पावधि में हुई हैं और हो सकती हैं तो अन्य जनगण के लिए इसे उपलब्ध करना असम्भव क्यों हो? यह सच है कि हर महाद्वीप की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। लेकिन अगर समाजवाद में सामाजिक विकास के नियम देश की जनता के एक विशाल बहुमत को स्वीकार्य हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें दबा नहीं सकती। सोवियत संघ के क्रांतिकारी इतिहास की, जैसा कि सोवियत संघ के उस संविधान में परिपूर्णत: प्राप्त हुई है, जिसे सोवियत संघ के नागरिक विश्व की प्रथम समाजवादी राज्य की ६० वीं स्मरणीय जयन्ती पर खुद अपने आपको भेंट कर रहे हैं। सोवियत समाजवादी संरचना के प्रत्येक अध्येता को यह तथ्य बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी नैतिकता मानवीय व्यवहार की पहले की संहिताओं से नितांत भिन्न है। दयालुता, अध्यवसाय, साथी भाव और समस्त मनुष्यों के प्रति मैत्रीभाव जैसे गुणों का समावेश करके सोवियत राजनीति के विचारकों और नेताओं ने एक ऐसी नयी दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया है, जहां लोकतंत्र का सिद्धान्त महज नारा नहीं बल्कि एक ऐसा सक्रिय तत्व होगा जो देश के प्राकृतिक व

भौतिक पर्यावरण को ही रूपांतरित नहीं करता बल्कि अपने विश्वासों पर ईमानदारी से चलने में मनुष्यों की मदद भी करता है।

आज की सोवियत महिलाएं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे एक ऐसे समाज में रहती हैं, जहां समाजवाद राज्य की नीति नहीं है बल्कि उसे वास्तविक रूप से व्यवहार में लाया भी जाता है।

मौजूदा संविधान को इस वर्ष ७ अक्तूबर को स्वीकार करने से पहले भी सोवियत संघ में महिलाओं से शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण सामाजिक-राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के हर क्षेत्र में जोरदार प्रगति कर ली थी।

नये संविधान में उनकी स्थिति पहले के मुकाबले और भी ज्यादा दृढ़ हुई है क्योंकि उसमें इस तथ्य को माना गया है कि महिलाएं सोवियत संघ में बहुमत में है और उनकी उत्पादक क्षमता, अत्यन्त कुशल और विशेषीकृत काम पर बहुत कुछ निर्भर करता है और करेगा। सोवियत संघ की अब तक की चहुंमुखी प्रगति से समाजवादी समाज के निर्माण के काम में कुशलता और मेहनत से काम करने के और भी अधिक अवसरों की गारंटी करना व्यावहारिक हो गया है। यहां तक कि राजनीतिक और राज्य सत्ता के मामलों में महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय हो गयी है।

यह जानना कि नारियों ने यह महत्त्वपूर्ण दर्जा सिर्फ छः दशकों में हासिल कर लिया है, वस्तुतः इस बात पर सोचने समान है कि समाज की इस व्यवस्था में मनुष्य की प्रगति व विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। बशर्ते कि एक क्रान्तिकारी समाज के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति हो सन् १९१७ में सोवियत संघ में महिलाओं का बहुमत अशिक्षित था और कई तरह से पिछड़ा हुआ था। आज वे पुरुषों के साथ सत्ता में सहभागी होने तथा अपने देश की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को तय करने में सक्रिय रूप से हिस्सा तो लेती ही हैं। साथ ही जीवन के ऐसे बहुत क्षेत्रों में उनका प्रभुत्व है, जहां पहले वे प्रविष्ट होने तक की हिम्मत नहीं करती थीं। सोवियत संघ आने वाला हर व्यक्ति इस तथ्य पर गौर किए बिना नहीं रह सकता कि फैक्ट्रियों व फार्मों में काम करने वाली औरतों के अलावा नारियों की एक बहुत बड़ी संख्या डाक्टर, अध्यापि-

काएं व उच्च-शिक्षा संस्थानों में लेक्चरर है। एक समय ऐसा था जब यह समझा जाता था कि विज्ञान के क्षेत्र में सिर्फ पुरुष ही काम कर सकते हैं, लेकिन आज की सोवियत युवतियां भी इस क्षेत्र में प्रविष्ट हो गयी है और आश्चर्यजनक खोजों व आविष्कारों में अपने पुरुष सहयोगियों का सफलता से मुकाबला कर रही है। नये संविधान से उनकी हैसियत और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और यह तथ्य एक बार फिर सिद्ध हो जायेगा कि यदि वास्तविक स्वतंत्रता की गारण्टी हो तो वह महिलाओं को समाजवादी राज्य की रचना मे उल्लेखनीय योगदान करने और उसके नागरिकों के जीवन को समृद्ध बनाने में समर्थ बनाता है। अपने राष्ट्र की भौतिक व आध्यात्मिक सम्पदा के उत्पादन के कार्य में पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर हाथ बंटाने से महिलाओं के निकृष्ट होने की मनगढन्त संकल्पना हमेशा के लिए खत्म हो गयी। हम, जिन्हें अभी शोषण मुक्त व समानतापूर्ण समाज के लक्ष्य तक पहुंचने के मीलों दूर जाना है, सोवियत संघ द्वारा अंगीकृत नये संविधान के सम्बद्ध भागों के अध्ययन से, उनकी कार्यविधि व उनकी विराट ऊर्जा के रहस्य के प्रेक्षण से, उनकी विशाल हृदयता, उदारता तथा उस हर चीज के पर्यवेक्षण से बहुत लाभ उठा सकते हैं जो नारी को सराहनीय बनाती हैं। इसका रहस्य, स्पष्टतः इस तथ्य में निहित है कि जब मनुष्य खुशहाल हो और अपनी मूल आवश्यकताओं को निर्भीकता से पूरा कर सकता हो, भूख, बेकारी, आश्रयहीनता और बीमारी के भय प्रताड़ित न हो तो मनुष्य के श्रेष्ठतम गुण हर बुरे और अपमानजनक गुणों को खत्म कर देते हैं। अपनी सामाजिक परिस्थितियो को सुधारने के संघर्ष में हम अपने आप को भी सुधारते हैं। यही कारण है कि समाजवादी देशों में, उनके नेताओं द्वारा हमेशा न दोहराये जाने के बावजूद, नैतिक नियम ज्यादा कारगर ढंग से काम करते हैं।

जिन देशों में समाजवाद की बजाय पूंजीवाद के नियम लागू होते हैं वहां की औरतों को समाज की मुक्ति के कड़े संघर्ष में सम्मिलित होकर यह सीखना पडता है कि पुरुष की बराबरी कैसे की जाय। हम तभी अपने आपको मुक्त कर सकते हैं।

अत्यन्त उल्लेखनीय विशिष्टता

डी. पी. सिंह
संसद सदस्य

सोवियत संघ के नये संविधान में विदेश नीति के सम्बन्ध में एक विशेष अध्याय का शामिल किया जाना इसकी सबसे अनूठी विशिष्टता है। यह देश की विदेश नीति को मजबूती के साथ शान्ति की आधार-शिला पर टिका देता है। यह सांविधानिक प्रतिबद्धता की सोवियत संघ की विदेश नीति का लक्ष्य होगा विश्व समाजवाद की स्थितियों को सबल बनाना, राष्ट्रीय मुक्ति और सामाजिक प्रगति के लिए जनगण के संघर्ष का समर्थन करना, आक्रामक युद्धों को रोकना और विभिन्न समाज व्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त को सुसंगत रूप से लागू करना, ठीक ऐसे समय में ग्रहण की गयी है जब शक्तिशाली ताकतें इस दिशा में सोवियत जनता के लक्ष्यों, उद्देश्यों और सुसंगत प्रयासों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं।

संविधान के अन्य प्रावधानों में मतदान की उम्र को कम करने का जो प्रावधान है उसके प्रति भारत मे काफी दिलचस्पी पैदा होगी।

महती राजनैतिक अंशदान

मोहित सेन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य

सोवियत संघ का नया संविधान शान्ति, जनवाद और सामाजिक प्रगति के लिए विश्वव्यापी संघर्ष में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोवियत जनता द्वारा किया गया एक और महान ऐतिहासिक योगदान है।

नये संविधान में और उस पर प्रस्तुत की गयी कामरेड ब्रेजनेव की विचक्षण रिपोर्ट में सोवियत संघ में व्यवहृत और विकसित समाजवादी जनवाद के गहन चरित्र और भव्य संदर्शों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इन दो दस्तावेजों ने लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह बता दिया है कि केवल कम्युनिज्म की दिशा में इसके निरन्तर विकास से विशाल जनता पूर्ण जनवादी अधिकारों का आनन्द उठा सकती है।

सोवियत संघ का नया संविधान सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और समस्त सोवियत जनता के सारे क्रियाकलाप के मार्गदर्शन के सर्वोच्च सिद्धान्त—सब कुछ मनुष्य के लिए और उसकी खुशहाली के लिए—का मूर्त रूप है। यह अब तक की ज्ञात सर्वोत्तम उपलब्धि को सोवियत जनता कहलाने वाले नये ऐतिहासिक समुदाय के निर्माण को प्रतिबिम्बित करता है। यह सबको कम्युनिज्म—पूरी मानवजाति का वह सर्वोत्तम स्वप्न जिसे सोवियत संघ में साकार किया जा रहा है—के सामने की निकट आती जा रही नयी ठोस वास्तविकता की विशद झांकी दिखाता है।

साहसपूर्ण नया अध्याय

हीरेन मुकर्जी

सोवियत संघ के नए संविधान के प्रारूप के पूर्ण पाठ का प्रकाशन युगान्तरकारी घटना है। निस्सन्देह, इस पर बहुजातीय सोवियत देश में तथा विश्व में अन्यत्र भी व्यापक और गम्भीर विचार-विमर्श होगा। इस प्रकार के संकेत मिलने भी लगे हैं कि पूंजीवादी जगत के प्रचारक समाजवादी जन द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण आगेवान कदम की खिल्ली उड़ाने लगे हैं। लेकिन वास्तव में वे अपने ही बचाव पर हैं और सोवियत संघ में जनता की वास्तविक सत्ता के बारे में निंदा और लांछन पलट कर उन्हीं पर आ चिपकेंगे।

१९३६ में स्वीकृत संविधान को उन ४० दुर्धर्ष वर्षों के दौरान अर्जित अनुभव के आधार पर सुधारा जा रहा है, जिन्होंने समाजवादी प्रणाली की शक्ति और सृजनात्मकता को समुज्ज्वल रूप से सिद्ध कर दिया है। पूंजीवाद जगत के तथाकथित "लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता के बहुसंख्यक लोगों के अधिकार भ्रमजाल के अलावा और कुछ नहीं—अधिक से अधिक उन्हें आकांक्षा मात्र कहा जा सकता है। केवल समाजवाद के ही अन्तर्गत ऐसी गारंटियों की ईमानदारी से तामील की जाती है, ताकि नागरिक के लिए वास्तव में जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज के अपने अधिकार के उपभोग के साधन मौजूद रहें।

पिछले चार दशकों में हुए गहन सामाजिक एवं आर्थिक रूपान्तरणों का प्रतिबिम्ब नए संविधान में मिलता है। यह समाजवादी जनवाद के

आगे प्रयाण में नए अध्याय की परिकल्पना प्रस्तुत करता है, अर्थात् ऐसा चरण जो अब सोवियत संघ में उठा पाना संभव हो चुका है। अभिवृद्ध अधिकारों के साथ—संसार में और किस देश के नागरिकों को आवास के अधिकार की गारण्टी है जबकि अच्छा जीवन बिताने के लिए तो सोवियत नागरिकों के लिए पहले से ही सभी उपकरण मुहैया हैं—सोवियत नागरिक अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति अत्यन्त सजग हैं।

मात्रा और गुण दोनों ही दृष्टियों से अभिवृद्ध समाजवादी जनवाद सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव लियोनिद ब्रेझनेव द्वारा प्रारूप पर प्रस्तुत रिपोर्ट की जाज्वल्यमान विशिष्टता है। लेकिन संसार के प्रतिक्रियावादी तो सोवियत संघ में "मानव अधिकारों" के कल्पित वर्जन के बारे में चिल्ल-पों मचाते ही रहेंगे। फिर भी समाजवादी जनवाद का रथ आगे ही बढ़ता जाता है और प्रत्येक देश के मेहनतकश लोगों का प्रशंसापूर्ण साधुवाद प्राप्त कर रहा है, जिन्हें पूंजीवादी जनवाद भविष्य बाबत शंकालु और वंचित बनाए रखना चाहता है।

सर्वतोमुखी विकास की नई सम्भावनाएं

शंभूशरण श्रीवास्तव
अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ

७ अक्तूबर को सर्वोच्च सोवियत द्वारा स्वीकृत नए सोवियत संविधान के अनुच्छेद २० में कहा गया है कि कम्युनिस्ट आदर्श के अनुरूप प्रत्येक के स्वतन्त्र विकास की शर्त ही सभी के स्वतंत्र विकास की परिस्थिति है। सोवियत राज्य नागरिकों के लिए ऐसी वास्तविक संभावनाओं के विस्तारण के लक्ष्य का अनुपालन करेगा, जिससे वे अपनी सृजनात्मक शक्ति, योग्यता और प्रतिभा का विकास और उपयोग व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए करें। सोवियत समाज का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कतिक विकास उस चरण में पहुंच चुका है, जबकि वह लोगों के इस चिर आकांक्षित स्वप्न को यथार्थ रूप प्रदान कर सकता है। स्वाभाविक ही है कि सोवियत युवकों को विशेषकर नवोदित पीढ़ी को इससे मुख्य लाभ होगा।

नया संविधान सोवियत युवकों के लिए सर्वांगीण विकास की नई सम्भावनाएं उन्मुक्त करता है। उनकी महती क्षमताओं को ही ध्यान में रखते हुए नया संविधान न केवल उन्हें अधिक अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता है बल्कि विकास के नए आयाम भी उपलब्ध करता है।

नये संविधान की अत्यधिक उल्लेखनीय विशिष्टताओं में से एक

यह है कि काम के अधिकार की गारंटी के साथ ही यह अधिकार भी दे दिया गया कि व्यक्ति अपना पेशा, और अपने काम को अपनी प्रतिभा और योग्यता प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अनुसार चुन सकता है।

युवकों के दृष्टिकोण से नए संविधान में अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टता २१ वर्ष की आयु वाले सभी युवकों को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में और १८ वर्ष की आयु वाले युवकों को अन्य सभी सोवियतों में निर्वाचित हो पाने का अधिकार है। यह इस बात का पुष्ट प्रमाण है सोवियत संघ में समाजवादी प्रणाली युवा पीढ़ी में कितना विश्वास आरोपित करती है। यह सोवियत युवकों की परिपक्वता, समाजवादी चेतना और सामर्थ्य को भी प्रकट करती है। यहाँ, यह स्मरण करना समीचीन होगा कि विश्व के दूसरे किसी भी देश में युवकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं। अमरीका, ब्रिटेन और संघ गणराज्य जर्मनी जैसे अत्यन्त विकसित पूंजीवादी देशों में भी, १८ वर्षीय युवकों को केवल मताधिकार ही प्रदान किया गया है, निर्वाचित होने का नहीं। अनेक पूंजीवादी देशों में युवकों को इस आयु पर मत देने का भी अधिकार नहीं।

नए संविधान में युवकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण अधिकार, शिक्षा के अधिकार को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है। नए संविधान में अनिवार्य सार्वजनीन माध्यमिक शिक्षा और उद्यम-विषयक एवं उच्चतर शिक्षा के विस्तृत विकास का प्रावधान है। वर्तमान वैज्ञानिक एवं टैक्नॉलाजिक क्रान्ति के कारण सार्वजनिक माध्यमिक शिक्षा आर्थिक आवश्यकता है और सामाजिक आवश्यकता है क्योंकि इससे व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, वह सामाजिक दृष्टि से अधिक सक्रिय बनता है और प्रबन्ध व प्रशासन में भाग ले पाने का अवसर विस्तृत होता है। लेकिन सोवियत संघ मे सांविधानिक रूप से इसे अनिवार्य किया जाना पहले से ही प्राप्त लक्ष्य की केवल औपचारिक घोषणा मात्र है। १६७६ में ६० प्रतिशत युवक-युवतियां पूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त थे।

आवास का अधिकार सोवियत युवकों के लिए एक और उपहार है,

जो नए संविधान ने उन्हें दिया है। इस संदर्भ में भी सोवियत संविधान पहिला संविधान है, जिसने यह अधिकार उद्घोषित किया है और जिससे युवकों और विशेष कर युवक-दम्पत्ति को लाभ होगा। नवोदित पीढ़ी के स्वाथ्य की देखभाल के लिए विशेष प्रावधान के साथ-साथ स्वास्थ्य संरक्षा का अधिकार और बाल-श्रम-निषेध नए संविधान की अन्य स्वागत-योग्य विशिष्टताएं है।

सोवियत युवक उचित ही अपने संविधान पर गर्व कर सकते हैं, यद्यपि इसने उनके कंधों पर भारी उत्तरदायित्व भी सौंप दिया है।

नई सीमा

आनन्द गुप्त

सोवियय संघ की सर्वोच्च सोवियत ने ७ अक्तूबर, १९७७ को नया संविधान स्वीकार किया। ६० वर्षों में यह सोवियत संघ का चौथा संविधान है। पहले संविधान की उद्घोषणा महान अक्तूबर क्रान्ति की जीत के बाद १९१८ में की गई थी। दूसरा सविधान १९२४ मे स्वीकृत हुआ। १९२४ में संविधान के अंतर्गत सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की स्थापना हुई। पहले दो संविधानो ने समाजवाद मे सन्तरण की प्रक्रिया पूरी की। तीसरा सविधान १९३६ मे स्वीकृत हुआ और इसका स्वागत विजयी समाजवाद के संविधान के रूप मे किया गया।

नए संविधान की स्वीकृति के लिए बुलाए गए, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के विशेष अधिवेशन में अपने समापन भाषण मे सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल के अध्यक्ष लियोनिद ब्रेजनेव ने कहा कि सविधान की स्वीकृति सोवियत जन द्वारा कम्युनिज्म की दिशा मे प्रगति की नई ऐतिहासिक सीमा का प्रतीक है।

नया संविधान, जिसमें जनता के अधिकारो को और अधिक विकसित किया गया है, गत दस वर्षों से अधिक ही अवधि से निर्माणाधीन था। इस संविधान का प्रारूप ४ जून १९७७ को प्रकाशित किया गया था और अगले चार महीनों तक इस पर देशव्यापी बहस चली। पहले ६ सप्ताहो में देश के विभिन्न भागों मे ६,५०,००० से अधिक सभायें

, जिनमें ५ करोड़ ७० लाख से ऊपर व्यक्ति उपस्थित थे। अनुमान कि लगभग ७०,००० पत्र, जिनमें टिप्पणियां, सुझाव और संशोधन थे माचारपत्रों को प्राप्त हुए। सोवियत संघ के प्रमुख दैनिक "प्रावदा" ने, जिसे औसतन पाठकों के १३०० पत्र प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, इस दौरान लगभग दुगुने पत्र प्रतिदिन मिलने लगे। सोवियत संघ में प्रकाशित होने वाले ८००० समाचार-पत्रों में से अधिकांश प्रतिदिन संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श पूरे पृष्ठ में प्रकाशित करते रहे। संचार के अन्य साधन यथा, रेडियो, टेलिविज़न ने भी राष्ट्रव्यापी बहस को पर्याप्त समय दिया।

नए संविधान में सोवियत समाज में १९३६ के संविधान की स्वीकृत के बाद से गुजरे गत ४० वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का सार प्रतिबिम्बित है। जैसा कि लियोनिद ब्रेजनेव ने बल देकर कहा था कि प्रारूप में समाविष्ट नए तत्वों की प्रमुख दिशा समाजवादी जनवाद का विस्तारण एवं गहनीकरण है।

नया संविधान अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें सोवियत जनता द्वारा अपने चिर-पोषित लक्ष्य कम्युनिज्म की दिशा में प्रयाण के कृतसंकल्प का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है।

सम्पूर्ण जनता के लिए सम्पूर्ण जनता द्वारा क़ानून

अनवर अज़ीम

लेखक एवं पत्रकार

नए संविधान के अनुच्छेदों का पारायण करते ही यह ज्ञात हो जाता है कि यह दस्तावेज सर्वोच्च महत्व का क्यों है। इसमें न केवल इन्सान के उच्चतम आदर्श ही अंकित हैं बल्कि इसमें उन्हें साकार किये जाने का प्रावधान भी है। इस प्रकार यह संविधान "कार्य प्रदर्शक" भी है। तभी तो सोवियत संविधान इतना अनूठा बन पड़ा है।

संसार से अन्य अनेक राज्यों के अपने संविधान हैं, जिनमें उच्चतम आदर्श अंकित हैं। लेकिन वे तामील में नहीं आ पाते, क्योंकि अपने राज्य की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं। इसलिए वह वास्तविक यथार्थ को प्रकट नहीं करते। वर्ग-अन्तर्विरोध और वर्ग-शत्रुता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का यही तो "सांविधानिक" असमंजस है। लेकिन ऐसे समाज में जहां वर्ग-शत्रुता समाप्त की जा चुकी है, जहां समाजवादी स्वामित्व का स्थान सर्वोच्च है, जहां "एकीकृत और शक्तिशाली राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था" सफलतापूर्वक कार्यरत हैं और वैज्ञानिक तथा टैक्नॉलाजिक क्रांति के समाजवादी प्रणाली के लाभों से संयोजन द्वारा" विकास की निरन्तर प्रक्रिया हो रही है, तो संविधान निश्चय ही अत्यन्त उच्चकोटि

…त कर लेता है। यह सम्पूर्ण जनता की अन्तरात्मा बन जाता है, उसकी …लब्धियों का दर्पण और भवितव्य का दूत बन जाता है।

इस संक्षिप्त सर्वेक्षण में भी संविधान के उस अध्याय की ओर ध्यान …कृष्ट किया जा सकता है जिसका शीर्षक है : "राज्य और व्यक्ति"। …श्चिम जगत के "मानव अधिकारों" के उद्भट पैरोकारों को सोवियत-…विरोध का अपना तमाम विष स्वयं गले उतार कर संविधान के अनुच्छेद …३४ के अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है : सोवियत संघ के नागरिक अपने वर्ग, सामाजिक और सम्पत्ति के कारण पद, राष्ट्रीयता नस्ल अथवा लिंग, शिक्षा, भाषा, धर्म के प्रति दृष्टिकोण, पेशे की किस्म अथवा विषय, आवास अथवा अन्य विवरणों के भेद-भाव के बिना, कानून की दृष्टि में समान हैं।

जब ये शब्द केवल कागज पर काली स्याही से लिखे अक्षर नहीं, बल्कि हाड़-मांस का रूप धारण कर लेते हैं तो वे इंसान के श्रेष्ठतम और विलक्षण सपनों का साकार स्वरूप बन जाते हैं। तब ये शब्द सम्पूर्ण जनता की सम्पूर्ति की भावना के प्रतिविम्ब होते हैं।

जब मैं नए सोवियत संविधान को पढ़ता हूं, जब मैं उसके प्रावधानों को सोवियत जीवन के दैनन्दिन यथार्थ में साकार होते देखता हूं तो मैं शास्त्रीय कुतर्क भूल जाता हूं इस या उस संविधान के गुण अथवा दोषों की बौद्धिक विलासीय समीक्षा भी भूल जाता हूं। मेरा विश्वास है कि इससे बढ़कर और कोई शोभनीय बात नहीं कि इंसान स्वतंत्रतापूर्वक रहे, अपनी योग्यता का सर्वोत्तम प्रयोग कर सके, शिक्षा का अधिकार हो उसे और वह अपनी अन्तरात्मा के अनुसार आचरण पूर्ण गर्व से कर सके। उसे अवकाश का अधिकार हो, चिकित्सा सहायता का अधिकार हो। पूर्ण सामाजिक न्याय और नई व पुरानी संस्कृति की उपलब्धियों के निर्बाध अध्ययन द्वारा अपने व्यक्तित्व को समृद्ध बनाने का अवसर हो। सोवियत संघ का नया संविधान इन सभी के सिवा अन्य सुविधाओं की भी गारण्टी देता है।

इसीलिए मैं बिना किसी खण्डन के भय से यह कहूंगा कि इस
धान का स्वरूप मानवीय है, इसका हृदय मानवीय है और हमारे यु
अत्यन्त विकसित मानव का स्वप्न इसमें संजोया हुआ है।

६० वर्षों की स्पृहणीय उपलब्धियों का स्मारक, सोवियत संघ,
यह नया संविधान दीर्घकाल तक प्रकाश स्तम्भ की नाईं देदीप्यमान रहे
गई परम्परा स्थापित करेगा, जो मानव द्वारा शान्ति और प्रगति की
के इतिहास में अमर रहेगी।

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के संविधान (मूलभूत कानून) के प्रारूप और उस पर हुए राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के परिणामों के सम्बन्ध में

रिपोर्ट

लियोनिद ब्रेज़नेव,

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की
केन्द्रीय समिति के महासचिव,
सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के
अध्यक्षमंडल के अध्यक्ष
और संविधान आयोग के अध्यक्ष,
द्वारा

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के
सातवें असाधारण अधिवेशन में
४ अक्तूबर १९७७ को
प्रस्तुत

आदरणीय कामरेड प्रतिनिधियो,

सर्वोच्च सोवियत के वर्तमान अधिवेशन के समक्ष एक ऐसा कार्य उपस्थित है जो शब्द के अर्थ में ऐतिहासिक है—सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के नये संविधान को स्वीकृति प्रदान करना।

हम लोग महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति की ६०वीं जयन्ती की पूर्ववेला में नया संविधान स्वीकार करने वाले हैं। हमारे देश के जीवन की इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं के समय मे यह अनुरूपता मात्र संयोग नहीं है। दोनों के बीच सम्बन्ध इससे भी अधिक गहरा है। यह कहा जा सकता है कि नया संविधान सोवियत राज्य के विकास के सम्पूर्ण ६० वर्षों का सारसंग्रह है। यह इसका एक अनूठा प्रमाण है कि अक्तूबर क्रान्ति द्वारा घोषित विचारों और लेनिन की अवधारणाओं को जीवन में सफलतापूर्वक साकार किया जा रहा है।

सर्वोच्च सोवियत के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत संविधान का प्रारूप नर-नारियों के विशाल समूह के अनेक वर्षों के गहन प्रयास का परिणाम है। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा स्थापित संविधान आयोग में अनुभव पार्टी तथा सरकारी कर्मी, मेहनतकश वर्ग, सामूहिक फार्म के किसानों और लोक बुद्धिजीवियों तथा देश की अनेकानेक जातियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस प्रारूप को तैयार करने मे प्रमुख वैज्ञानिको, विशेषज्ञों, राजकीय एजन्सियों और सामाजिक संगठनों मे काम करने वाले नर-नारियों ने भाग लिया। इस पर सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशनो मे दो बार विचार किया गया।

म समझता हूं कि हमें यह कहने का पूरा अधिकार है कि संविधान तैयार करने, उस पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के जो महान कर्तव्य हमारे सामने थे उन्हें अत्यन्त ईमानदारी से और समाजवादी जनवाद के सभी सिद्धान्तों का अत्यन्त सुसंगत ढंग से पालन करते हुए पूरा किया गया है।

१

सम्पूर्ण जनता द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार किया जाना तैयारी सम्बन्धी समस्त कार्य के गुण की महत्वपूर्ण कसौटी। यह कार्य लगभग चार महीने तक चला और शब्द के सच्चे अर्थ में राष्ट्रव्यापी था। इसमें कुल मिलाकर १४,००,००,००० से अधिक नर-नारियों ने, अथवा इस देश की बालिग आबादी के ८० प्रतिशत से अधिक ने भाग लिया। देश में इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर कार्यकलाप नहीं हुआ जिसमें जनता ने सक्रिय सहभाग किया है।

राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श का मुख्य राजनीतिक परिणाम इस तथ्य मे निहित है कि सोवियत जनता ने कह दिया है : हां, यही हमारा अपेक्षित मूलभूत कानून है। यह हमारी उपलब्धियों, हमारी आकांक्षाओं और आशाओं का सच्चा प्रतिबिम्ब है तथा हमारे अधिकारों और कर्त्तव्यों की सही परिभाषा प्रस्तुत करता है। जो कुछ उपलब्ध हो चुका है उसे औपचारिक रूप देते हुए यह कम्युनिस्ट निर्माण की आगे की प्रगति के लिए संदर्श प्रस्तुत करता है।

संविधान के प्रारूप पर प्रतिष्ठानों और सामूहिक फार्मों मे, सैनिक यूनिटों और आवासीय क्षेत्रों मे मेहनतकश लोगों की लगभग १५ लाख सभाओं में विचार किया गया। इस पर प्राथमिक सभाओं मे, कार्यकर्ताओं की सभाओं मे, ट्रेड यूनियनों, तरुण कम्युनिस्ट लीग, सहकारी ऐसोसियेशनों, और कलाकारों, लेखकों, संगीतज्ञों की यूनियनों तथा अन्य यूनियनों की सभाओं में विचार किया गया। इस विचार-विमर्श में सम्पूर्ण पार्टी ने भाग लिया। ४,५०,००० से अधिक पार्टी सभाएं हुई

जिनमें २०,००,००० से अधिक लोगों ने भाषण किये। ग्रामीण सोवियतों से लेकर संघ जनतंत्रों की सर्वोच्च सोवियतों तक तमाम सोवियतों ने इस प्रारूप पर विचार किया। इसका अर्थ है कि हमारी सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले २०,००,००० से अधिक प्रतिनिधियों ने इस पर विचार किया। इनमें से प्रत्येक संगोष्ठी ने संविधान के प्रारूप का अनुमोदन किया।

और सत्य ही, सोवियत जनता द्वारा भेजे गये पत्रों का सिलसिला तो अंतहीन ही था।

इनमें से अधिकांश पत्र देशभक्ति, हमारी पार्टी और सोवियत सरकार की नीति का तहेदिल से समर्थन, विशाल दृष्टि और परिपक्व राय तथा अपने प्रति और अपने साथी के प्रति आग्रहशीलता की भावना के उच्च प्रतिमान द्योतक थे। इन्हें लिखने वाले वैसे ही लोग थे जैसे लोगों ने सभाओं में विचार-विमर्श में भाग लिया था। ये जीवन के सभी क्षेत्रों तथा विभिन्न आयु-समूहों के लोग थे। ये हमारी सभी जातियों और उपजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, पार्टी के और गैर-पार्टी लोग थे और उन सबने संविधान के प्रारूप का सम्यक विश्लेषण किया, मूल पाठ में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किये तथा हमारे समाज के जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित अन्य विचार भी प्रकट किये जो देश का मालिक होने के नाते उन्हें करना ही चाहिए था।

वैसे वक्तव्यों और पत्रों पर विचार करते हुए कोई भी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वे समाजवाद द्वारा प्राप्त अद्‌भुत विजय—नये मानव का प्रादुर्भाव जो अपने को राज्य से अलग नहीं समझता, राज्य के हितों को और सम्पूर्ण जनता के हितों को अपना हित समझ कर उन्हें आगे बढ़ाता है—का प्रतिबिम्ब हैं।

आइये, हम याद करें कि अक्तूबर क्रान्ति की विजय के तत्काल बाद लेनिन ने कहा था कि शोषणकारी व्यवस्था हमारे लिए जो विरासत छोड़ गयी है उसमें राज्य से सम्बन्धित किसी भी वस्तु के प्रति जनता में घोर अविश्वास मौजूद है। उन्होंने आगे कहा : "इसे दूर करना बहुत

ही कठिन है और केवल सोवियत सरकार ही यह कर सकती है। नहीं, इसे हासिल करने मे सोवियत सरकार को भी काफी समय लगेगा तथा बहुत धैर्य के साथ कार्य करना पडेगा।" (संग्रहीत रचनाएं, अंग्रेजी खंड २७, पृष्ठ २५३।)

और सोवियत सरकार ने इस काम को पूरा कर लिया है। इसकी सर्वाधिक उत्कृष्ट सम्पुष्टि इस बात से हुई कि नये संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श के सिलसिले में मेहनतकश जनता बहुत सक्रिय रही। हम यह विश्वास और गर्व के साथ कह सकते हैं कि समस्त सोवियत जनता ही वस्तुतः अपने राज्य के मूलभूत कानून की सच्ची सृजनकर्ता बन गयी है।

साथियो, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत की ओर से मुझे संविधान के प्रारूप पर राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श मे भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तहेदिल से धन्यवाद देने और हमारी महान मातृभूमि के लाभार्थ वे जो श्रम कर रहे है उसमें उन सबके लिए नयी सफलताओ की कामना करने, तथा आगे भी हमारे समाजवादी राज्य के मामलो में अधिकाधिक सक्रिय शिरकत करने की शुभकामना प्रकट करने की इजाजत दें।

संविधान आयोग ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श से संविधान के प्रारूप में स्पष्ट सुधार लाना और उसमे कई उपयोगी चीजें जोड़ना, बहुत-सी बातो को स्पष्ट करना तथा संशोधन प्रस्तुत करना सम्भव हुआ है।

प्रारूप की शब्दावली का स्पष्टीकरण करने, उसमे सुधार लाने और जोडने के लिए कुल मिलाकर लगभग ४,००,००० सुझाव अलग-अलग अनुच्छेदो मे संशोधन के उद्देश्य से प्रस्तुत किये गये। इन संशोधनो का सावधानी से अध्ययन करने के बाद—जिनमे नि.सन्देह बहुतो की पुनरावृत्ति हुई है—संविधान आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रारूप के एक सौ दस अनुच्छेदो मे संशोधन किया जाये और एक नया अनुच्छेद जोडा जाये। आयोग की सिफारिशे सभी प्रतिनिधियो को दे दी गयी

है। यहां मेरा काम है अत्यावश्यक विषयों पर आयोग के सुझावों को सम्पुष्ट करना।

मैं यह कहते हुए अपना वक्तव्य शुरू करूंगा कि समाजवाद के अन्तर्गत श्रम की भूमिका के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर सबसे अधिक संख्या में सुझाव आये हैं। साथियों ने यह सुझाव दिया है कि मेहनतकश लोगों के समाज के रूप में हमारे समाज के चरित्र को संविधान में अधिक स्पष्ट शब्दावली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मैं यह समझता हूं कि यह सुझाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है सोवियत समाज केवल मेहनतकश वर्गों तथा सामाजिक समूहों को लेकर गठित है। इस दृष्टि से यह सुझाव दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद १ में यह कहा जाना चाहिए कि सम्पूर्ण जनता का सोवियत राज्य मजदूरों, किसानों, और बुद्धिजीवियों, देश की सभी जातियों और उपजातियों के सभी मेहनतकश लोगों की इच्छा और हितों को अभिव्यक्त करेगा। इसके साथ ही, जाहिर है कि हम लोगों को इस दूसरे सुझाव को भी स्वीकार कर लेना चाहिए: संविधान में न केवल सोवियत संघ की राजनीतिक आधारशिला, न केवल हमारी आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला, बल्कि हमारे राज्य की सामाजिक आधारशिला की भी परिभाषा रहनी चाहिए। हमारे यहां इस समय मजदूर वर्ग, सामूहिक फार्म के किसानों और लोक बुद्धिजीवियों की एकता के रूप में वैसी आधारशिला मौजूद है और इसे स्पष्टत: उल्लिखित किया जाना चाहिए।

साथियों ने यह भी सुझाव दिया है कि सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला से सम्बन्धित अनुच्छेद में अधिक सटीक भाषा का उपयोग किया जाये ताकि यह तथ्य उभर कर सामने आये कि इसकी आधारशिला है राजकीय सम्पत्ति और सामूहिक फार्मों की एवं अन्य सहकारी सम्पत्ति। यह बिल्कुल सही है। आखिरकार उत्पादन के साधनों में समाजवादी सम्पत्ति के यही दो रूप है जो हमारे अर्थतंत्र के चरित्र तथा मजदूरों और किसानों के दो मित्रतापूर्ण वर्गों में सोवियत समाज के

विभाजन का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो गयी है।

श्रम-सामूहिकों की भूमिका और महत्ता से सम्बन्धित अनुच्छेद के लिए कई हजार सुझाव आये। उनके रचयिताओं ने इच्छा प्रकट की है कि संविधान में, विशेषकर उत्पादन के नियोजन तथा सामाजिक विकास, कर्मियों का प्रशिक्षण और नियुक्ति, मेहनतकश लोगों की कार्य-स्थितियों एवं दैनिक हालातों में सुधार, उनके कौशल तथा योग्यता की प्रोन्नति और काम के प्रति कम्युनिष्ट दृष्टिकोण के परिपोषण जैसे क्षेत्रों में श्रम-सामूहिकों के कार्य और अधिकार अधिक व्यापक ढंग से प्रतिबिम्बित होने चाहिए। इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

श्रम-सामूहिक, तथा इसकी पार्टी, ट्रेडयूनियन और तरुण कम्युनिस्ट लीग संगठनों के काम समाज के सम्पूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और आत्मिक जीवन के प्रतिबिम्ब हैं। दरअसल यह हमारे सम्पूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक अवयव का प्राथमिक कोषाणु है। इसीलिए हम उन लोगों के सुझाव को सही समझते हैं जो महसूस करते हैं कि श्रम-सामूहिक से सम्बन्धित अनुच्छेद का प्रथम अध्याय में ही लिखा जाना सर्वोत्तम है, जिसमें हमारी राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है।

हजारों लोगों ने यह सुझाव दिया है कि संविधान में यह कहा जाना चाहिए कि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य से किसी प्रकार कतराना समाजवादी समाज के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। हमारी जनता उन लोगों के लिए अधिक कड़ी सजा चाहती है जो लोग अनुपस्थित रहते हैं और जो बिना अर्जित किये ही आमदनी करना चाहते है। इन न्यायोचित विचारों का समर्थन होना चाहिए।

बहुत से साथियों ने यह लिखा है कि संविधान में सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रति समुचित चिन्ता प्रदर्शित करने, हमारी समाजवादी सम्पत्ति के प्रति चिंता प्रदर्शित करने के नागरिकों के कर्त्तव्य पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह सम्पत्ति लोगों के सामूहिक श्रम का फल और हमारे सम्पूर्ण समाज के विकास का आधार है। संविधान आयोग इस

सवाल पर मेहनतकश लोगों के विचार से सहमत है तथा यह प्रस्ताव करता है कि मूलभूत-कानून के सम्बद्ध अनुच्छेद में इसे जोड़ा जाये।

प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राज्य और व्यक्ति शीर्षक संभाग के कुछ अन्य अनुच्छेदों की शब्दावली को स्पष्ट करने का प्रस्ताव है। उदाहरण के लिए बहुत-से लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आवासीय अधिकार सम्बन्धी अनुच्छेद में कहा गया है कि आवंटित आवास के प्रति चिन्ता रखना नागरिकों का कर्त्तव्य होगा। जिस अनुच्छेद मे बच्चों के लालन-पालन के प्रति चिन्ता नागरिकों का कर्त्तव्य बताया गया है कि बच्चों का भी यह कर्त्तव्य होगा कि वे अपने माता-पिता की देख-भाल करें तथा उनका भरण-पोषण करें। मैं यहा यह कहना चाहूंगा कि इस बात को जोड़ने का सुझाव न केवल बुजुर्गों से प्राप्त हुआ है, बल्कि बहुत-से नौजवानों ने भी यह सुझाव दिया है और यह विशेष संतोष की बात है।

राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श से प्रारूप के उन कई प्रावधानों में सुधार करना सम्भव हो गया है जिनका उद्देश्य समाजवादी जनवाद को और अधिक विकसित करना है।

कई साथियों ने जिनमें स्थानीय सोवियतों के प्रतिनिधि शामिल हैं, यह सुझाव दिया है कि संविधान मे निर्वाचकों के आदेश सम्बन्धी एक नया अनुच्छेद शामिल किया जाये। ये आदेश आबादी की अत्यधिक विविधतापूर्ण आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति होते हैं तथा मेहनतकश लोगों के खास-खास समूहों एवं समग्र रूप मे समाज के ठोस हितों को व्यक्त करते हैं। इसी कारण सोवियतों और उनके सदस्यों के कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन आदेशों को पूरा करना है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा होगा कि विगत दो वर्षों मे निर्वाचकों के सात लाख से अधिक आदेश पूरे किये गये हैं। यह समाजवादी जनवाद की एक वास्तविक अभिव्यक्ति है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि न केवल सोवियतों के सदस्य बल्कि प्रतिष्ठानों, सामूहिक फार्मों, निर्माण परियोजनाओं को भी आदेशों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए।

हमारा इरादा हमारे राज्य में जीवन के जनवादी सिद्धांतों को और विकसित करने से सम्बन्धित मेहनतकश लोगों के कई अन्य विवेकपूर्ण एवं समीचीन प्रस्तावों पर विचार करने का भी है। उदाहरणार्थ, जैसा कि बहुतों का सुझाव है, यह प्रस्थापित किया जाना चाहिए कि आम तौर पर कोई नागरिक एक ही साथ दो से अधिक सोवियतों लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। इससे हमारे राजकीय निकायों में नयी ताकतों का आगमन सुगम होगा तथा राज्य का कामकाज चलाने में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जैसा कि समाचारपत्रों की खबरों से आप जानते हैं, राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर जोरदार बहस हुई कि वह आयु क्या हो जिसे प्राप्त कर नागरिकों को सोवियतों में निर्वाचित होने का अधिकार मिले। प्रारूप के उस अनुच्छेद को व्यापक समर्थन मिला है जिसमें कहा गया है कि १८ साल की आयु के नागरिकों को सभी सोवियतों में निर्वाचित होने का अधिकार होगा। पर साथ ही इस उम्र को २१ वर्ष, २३ वर्ष और यही नही, ३० वर्ष करने के भी सुझाव आये।

संविधान आयोग ने यह मान कर इस विषय पर विचार किया कि सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को नामजाद करने वाले श्रम-सामूहिक और जन-संगठन उनके गुणों पर हर तरह से विचार-विमर्श करते हैं और उनसे उच्च अपेक्षाएं रखते है। यही इसकी विश्वसनीय गारंटी है कि केवल अत्यन्त उपयुक्त साथी ही, जो सदस्य के कठिन कार्यो को कारगर ढंग से पूरा करने में समर्थ है, सोवियतों के लिए निर्वाचित होंगे। दर-असल हमारे नौजवानों मे ऐसे अनेक युवक-युवतियां है।

इसीलिए हम लोग तमाम सोवियतों मे निर्वाचित होने के लिए १८ वर्ष की आयु-सीमा निर्धारित कर सके। इसमे सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत को अत्यधिक दायित्वपूर्ण निर्णय करने पड़ते है जिनका प्रभाव सम्पूर्ण राज्य के हितों पर पड़ता है, इसके लिए नागरिकों को निर्वाचित होने का अधिकार २१ वर्ष की आयु मे प्रदान किया जा सकता है।

बहुत-से भाषणों और पत्रों में यह राय प्रकट की गयी है कि सोवियतों प्राधारी के प्रति सरकारी एजेन्सियों तथा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही के सिद्धान्त को अधिक कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। सम्बन्धित अनुच्छेदों में कार्यकारिणी समितियों, सदस्यों और अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों के लिए अपनी-अपनी सोवियतों और श्रम सामूहिकों तथा अपने पास-पड़ोस में नागरिकों की सभाओं में बराबर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कर्तव्य लिपिबद्ध कर समबद्ध अनुच्छेदों में इन्हें शामिल किया जा सकता है।

अन्त में यह कि बहुतों का यह विश्वास है कि प्रतिनिधियों के प्रश्नों और नागरिकों के प्रस्तावों पर विचार करने की कार्य विधि से सम्बन्धित अनुच्छेदों में कानून के किसी उल्लघन और मेहनतकश लोगों की आलोचनात्मक टिप्पणियों के प्रति गलत रुख अपनाने के लिए पदाधिकारियों की जवाब देही और भी स्पष्ट शब्दावली में सूत्रित किए जाएं। आयोग यह समझता है कि संविधान के सम्बद्ध अनुच्छेदों में इसे शामिल किया जा सकता है।

अब राजकीय निकायों संगठन और कार्यकलाप से सम्बन्धित कतिपय संशोधनों पर आइये।

कुछ साथी यह चाहते हैं कि अपने भूखंड में सर्वांगपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के संघ और स्वायत्त जनतंत्रों तथा स्थानीय सोवियतों के अधिकारों के सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। इसे स्वीकार किया जा सकता है। संविधान में मंत्रालयों और विभागों के दायित्व पर्याप्त स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किये गए हैं। जाहिर है कि किसी खास भूखण्ड में प्रतिष्ठानों और सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थानों के कार्य का सामंजस्य और समन्वय तथा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने वाले स्थानीय निकायों के कार्य को उतने ही स्पष्ट शब्दों में सूत्रित करना उचित होगा, चाहे वे संस्थान के किसी के अधीन क्यों न हों।

कुछ अन्य अनुच्छेदों के स्पष्टीकरण के सिलसिले में भी नागरिक

की इच्छा पर ध्यान दिया जा रहा है। इनमें मंत्रालयों और राजकीय समितियों, स्थानीय सत्ता निकायों, अदालतों, पंच-निर्णय समितियों और प्रोक्यूरेटर-कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित अनुच्छेद उल्लेखनीय हैं।

विचार-विमर्श में भाग लेने वालों ने संविधान के प्रारूप में सोवियत संघ की लेनिनवादी विदेश नीति के सिद्धान्तों और उद्देश्यों से सम्बन्धित विशेष अध्याय को शामिल किये जाने का सर्वसम्मति से स्वागत किया है। इस अध्याय के संदर्भ में एक सुझाव में यह कहा गया है कि सोवियत संघ आम और पूर्ण निरस्त्रीकरण हासिल करना चाहता है। यह दरअसल बिल्कुल ठीक है।

कुल मिलाकर संविधान आयोग ने यह सिफारिश की है कि सर्वोच्च सोवियत को विशुद्ध आलेखन सम्बन्धी परिवर्तनों के अलावा संविधान के पाठ में १५० महत्वपूर्ण संशोधनों और स्पष्टीकरणों को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो वस्तुतः इससे कई गुना अधिक नागरिकों के विचारों का प्रतिबिम्ब हैं। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इसी प्रकार की अन्तर्वस्तु से युक्त दसियों हजार सुझाव प्राप्त हुए जिनके आधार पर एक संशोधन उस अनुच्छेद में किया गया है जिसका सम्बन्ध काम करने के नागरिक कर्त्तव्य से है।

साथियो, दूसरी तरफ, प्रस्तुत किये गये सुझावों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें आयोग ने स्वीकार नहीं किया।

उदाहरण के लिए, बहुत-से नागरिकों ने यह प्रस्ताव किया है कि मूलभूत कानून में उन विविध नियमों को भी शामिल कर लिया जाये जो हमारे कानून में मौजूद हैं और इस प्रकार उन्हें संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाये। इनमें शामिल हैं स्थानीय सोवियतों के अधिवेशनों के आयोजन की ठोस तारीखों से सम्बन्धित सुझाव, प्रतिनिधियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के कार्यक्रम, कुछ प्रशासनिक निकायों के अधिकार और विभिन्न अपराधों के लिए अनुशासितों से सम्बन्धित सुझाव।

बहुत-से लोगों का यह विश्वास है कि उनका कार्यक्षेत्र नये संविधान

में और विस्तार में प्रतिबिम्बित होना चाहिए। इसीलिए बड़े पैमाने पर सुझाव आये कि संविधान के पाठ में आर्थिक जीवन के कानूनी नियमन में सुधार, पर्यावरण की हिफाजत, रेलवे के कार्य-चालन में सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा-प्रणालियों के भौतिक और तकनीकी सुविधाओं का विकास, आदि जैसे ठोस पगों का उल्लेख किया जाये।

साथियो, ये सभी सुझाव मानसिक तौर पर समझ में आने वाले हैं और इनमें से अधिकांश, जाहिर है, सही हैं। पर संविधान तो राज्य का मूलभूत कानून है। यह तो केवल मुख्य और मूलभूत प्रावधानों का रिकार्ड है जो सीधे लागू होते हैं और साथ ही अन्य कानूनों में भी परिभाषित तथा अभिव्यक्त होते हैं। इन प्रावधानों के आधार पर और उनके मुताबिक विभिन्न कानून तथा निदेश, अर्थात वर्तमान कानून तैयार किया जायेगा और उसमें आवश्यकतानुसार सुधार किया जायेगा। इस काम के सिलसिले में संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श के दौरान प्रस्तुत किए गए अनेक ठोस सुझावों पर पूरी तरह ध्यान दिया जाना और गौर किया जाना चाहिए। प्रसंगवश यह बताया जा सकता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रश्न पर केन्द्रीय समिति में आजकल एक आज्ञप्ति के मसौदे पर विचार किया जा रहा है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार सम्बन्धी पगों के एक सर्वांगीण कार्यक्रम से सम्बन्धित है।

अब मैं आपको उन प्रस्तावों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको भावना को आयोग ने गलत माना है।

कुछ प्रस्ताव तो स्पष्टतः हमारे समय से आगे हैं और इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि नया संविधान एक ऐसे राज्य का मूलभूत कानून है जो कम्युनिज्म के चरण में नहीं बल्कि विकसित समाजवाद के चरण में है। हम "प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार" के समाजवादी सिद्धान्त के आधीन हैं। आज के आर्थिक विकास और चेतना का जो स्तर है उसमें उसे छलांग लगा कर पार कर जाना असंभव है। इसीलिए, उदाहरण के लिए, सबके लिए

समान वेतन और पेंशन लागू करने का सुझाव या केवल किसी की श्रम सम्बन्धी वरिष्ठता के आधार पर और उसके कौशल के स्तर और कारीगरी की क्वालिटी का ख्याल किए बिना वेतन और पेंशन का परिमाण निर्धारित किये जाने का सुझाव स्वीकार करना असम्भव है।

सहायक छोटी जोतों को समाप्त करने या उन्हें बहुत परिसीमित कर देने के सम्बन्ध मे सुझाव प्राप्त हुए। किन्तु यह सुविदित है कि श्रम का वह रूप, जिसमें शोषण की गुंजाइश नहीं है आज हमारे अर्थतंत्र में उपयोगी भूमिका निभाता है। इसलिए हमारी राय मे वे साथी ही सही हैं जिनका यह सुझाव है कि संविधान में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि राज्य और सामूहिक फार्म नागरिकों को अपनी सहायक छोटी जोतों संचालन मे सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो लोग छोटी जोतो का विरोध करते हैं उन्हें उनके अस्तित्वमान होने की उतनी चिन्ता नहीं है जितनी इस बात की कि उनका मुनाफाखोरी के लिए दुरुपयोग किया जाता है। दुख की बात है कि ऐसे तौर तरीकों के उदाहरण अभी भी मिलते हैं। यही सम्बन्धित राजकीय एजन्सियों को संविधान द्वारा किए गए नियंत्रण के अपने अधिकार का कड़ाई से प्रयोग करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों को दिए गए भूखंड का विवेक पूर्ण ढंग से समाज के लाभार्थ उपयोग किया जाए, तथा सहायक छोटी जोतो और व्यक्तिगत श्रम से प्राप्त आमदनी समाजवाद के सिद्धान्तो से मेल खाए।

ज्ञात है कि सोवियत संघ मे एक नये ऐतिहासिक समुदाय—सोवियत जनता—का रूपायन हुआ है। कुछ साथियो ने—यह सही है कि उनकी संख्या बहुत नही है—इससे गलत निष्कर्ष निकाले है।

उनका यह सुझाव है कि संविधान मे एकीकृत सोवियत राष्ट्र की अवधारणा का प्रयोग किया जाए। संघ और स्वायत्त जनतंत्र समाप्त कर दिए जायें या संघ जनतंत्रो की सम्प्रभुता अत्यन्त परिसीमित कर दी जाए, उन्हे सोवियत संघ से अलग होने के अधिकार से और विदेशो के साथ सम्बन्ध बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। जातियों

की सोवियत को समाप्त करने, एक ही सदन वाली सर्वोच्च सोवियत स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव भी इसी लाइन पर हैं। मैं समझता हूँ कि इन सुझावों की गलती पूर्णतः स्पष्ट है। सोवियत जनता की सामाजिक आर्थिक एकता का यह अर्थ कतई नहीं है कि जातीय भेद समाप्त हो गए हैं। लेनिनवादी जातीय नीति के सुसंगत अनुपालन की बदौलत हमने समाजवाद के निर्माण के साथ-साथ इतिहास में पहली बार जातियों की समस्या सफलतापूर्वक हल कर ली है। सोवियत जनगण की मित्रता अटूट है और कम्युनिस्ट निर्माण के दौरान वे अधिकाधिक मात्रा में निरन्तर निकटतर आते जा रहे हैं तथा उनका आत्मिक जीवन पारस्परिक तौर पर समृद्ध हो रहा है। पर यदि हम जातियों के एकीकरण की इस वस्तुगत प्रक्रिया को कृत्रिम ढंग से तेज करेंगे तो हम खतरनाक मार्ग अपना लेंगे। यह वही चीज है जिसके विरुद्ध लेनिन ने लगातार चेतावनी दी थी। और हम उनके सिद्धान्तों से विचलित नहीं होंगे।

[illegible] अनुच्छेद पर जानदार बहस हुई जिसमें यह कहा गया है कि स्थानीय सोवियतें ढाई वर्ष के लिए निर्वाचित होती हैं। बहुत से लोग इस अवधि को ५ वर्ष करने के पक्ष में हैं ताकि प्रतिनिधि अपने कर्त्तव्यों को निभाने में अधिक कुशलता प्राप्त करने में समर्थ हों। पर इससे सोवियतों में सरकार के विद्यालय से गुजरने वाले मेहनतकश लोगों की संख्या स्पष्टतः घट जायेगी। यदि ढाई साल के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि ने अच्छी तरह काम किया हो तो दूसरी बार उसकी नामजदगी कैसे रोकी जा सकती है? प्रसंगवश, यह कहना चाहिए कि यही हो रहा है: आधे से अधिक प्रतिनिधि दूसरी बार चुने जाते हैं और इससे सोवियतों के काम की निरन्तरता कायम रखने में मदद मिलती है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि इस अनुच्छेद में परिवर्तन नहीं किया जाये।

संविधान आयोग को ऐसे पत्र भी प्राप्त हुए हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि राज्य का कार्य सीधे पार्टी निकायों में निहित किया जाना चाहिए कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति

के राजनीतिक ब्यूरो को कानून बनाने का अधिकार सौंप दिया जाना चाहिए, आदि।

ये प्रस्ताव बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इनसे समाज में हमारी पार्टी की भूमिका की समझदारी के सम्बन्ध में भ्रम पैदा होता है और सोवियत सत्ता निकायों के कार्य और महत्व धूमिल हो जाते हैं।

जब हमारी पार्टी शासक पार्टी बन गयी, तो उसने अपनी आठवीं कांग्रेस में—जिसका निर्देशन लेनिन ने किया—दृढतापूर्वक घोषित किया कि वह "सोवियत निकायों के माध्यम से, सोवियत संविधान के ढांचे के भीतर" (सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की कांग्रेसों, सम्मेलनों और पूर्णाधिवेशनों में स्वीकृत प्रस्ताव और फ़ैसले, खंड २, आठवां संस्करण, पृष्ठ ७७, रूसी भाषा में प्रकाशित) अपने फैसलों को कार्यान्वित करने का इरादा रखती है, और सोवियतों का पथ-प्रदर्शन करते समय उन्हें अधिकारच्युत नहीं करती, और वह पार्टी तथा राजकीय निकायों के कार्यों के बीच एक विभाजक रेखा खींचती है। यह लेनिनवादी सिद्धान्त सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नियमों में लिपिबद्ध है और नवीनतम पार्टी कांग्रेसों के फैसलों में इस पर पुनः बल दिया गया। इसे नये संविधान में भी प्रतिबिम्बित करना प्रस्तावित है।

पार्टी राजकीय मामलों में सम्बन्धित अपनी नीति प्रथमतः जनता द्वारा सोवियतों में निर्वाचित तथा राजकीय निकायों में कार्यरत कम्युनिस्टों के माध्यम से संचालित करती है। पार्टी का विश्वास है कि उसका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है सोवियतों की शक्ति को सुदृढ तथा सर्वांगपूर्ण बनाने के लिए भरसक प्रयास करना और समाजवादी जनवाद के और विकास के प्रति चिन्ता रखना। यही वह सिद्धान्तनिष्ठ लाइन है जिसका हमने पालन किया है और हमेशा पालन करते रहेंगे।

साथियो, संविधान के प्रारूप पर हुई बहस एवं उसके मूलपाठ के विश्लेषण के ढांचे से बहुत हद तक बाहर निकल गयी। यह हमारे जीवन के प्रधान पहलुओं के सम्बन्ध में, जो समस्त सोवियत जनता की ममभूत

चिन्ता का विषय है, स्पष्ट और सच्चे अर्थों में जनता की बातचीत के रूप में विकसित हो गयी। मेहनतकश लोगों के सामूहिकों ने और अलग-अलग नागरिकों ने अक्सर राजकीय निकायों तथा सामाजिक संगठनों के कार्यकलाप के विविध पहलुओं के सम्बन्ध में उचित और तीव्र आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं और काम में सुधार लाने तथा मौजूदा खामियां दूर करने के लिए पग प्रस्तावित किये हैं।

बहुत-से पत्रों में परजीविता, जानबूझ कर श्रम-अनुशासन का उल्लंघन, बहुत शराबनोशी तथा अन्य समाज-विरोधी घटनाओं के विरुद्ध, जो हमारी समाजवादी जीवन-पद्धति के सार के ही विरुद्ध हैं, और जोरदार अभियान चलाने का आह्वान किया है। मेहनतकश लोगों की इस लगातार मांग से समस्त राजकीय और सामाजिक संगठनों को ठोस सबक निकालने चाहिए।

कुछ पत्रों में कतिपय पदाधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने-सम्बन्धी घृणास्पद तथ्य, अभिलेखों मे हेर-फेर के जरिये राज्य के साथ धोखाधड़ी घूसखोरी, मेहनतकश लोगो की आवश्यकताओं के प्रति उदासीनता और दिखावे का रुख अपनाये जाने से सम्बन्धित तथ्य और आलोचना के लिए परेशान किये जाने के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं।

साथियो, मैं इस पर बल देना चाहूंगा कि आवश्यक पग उठाने के लिए, जिनमें अपराधी व्यक्तियों के लिए कानूनन अत्यन्त कड़ा दंड दिया जाना शामिल है, इस प्रकार की सभी रिपोर्टों की पूरी तरह जाच-पड़ताल की जा रही है। आम तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि उचित व्यवस्था की स्थापना, इस देश मे चाहे जहां कहीं भी उसका उल्लंघन होता हो—उत्पादन के क्षेत्र मे, सरकार मे या सामाजिक जीवन में—हमारे समाज के विकास मे आगे की ओर एक बड़ा कदम होगी। बेढंगा काम, समाजवादी सम्पत्ति की बर्बादी, लालफीताशाही तथा अपने काम और नागरिकों के प्रति नौकरशाहाना रुख जैसी घटनाओं को समाप्त

कर हम देश की प्रगति को पर्याप्त त्वरित करेंगे और सारी जनता के जीवन में सुधार लायेंगे।

बहुत-से पत्रों और भाषणों में जन-नियंत्रण को और सुदृढ़ बनाने तथा उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव दिये गये हैं, जो सही है। इसे विशेषकर सोवियत संघ में जन-नियंत्रण सम्बन्धी कानून के जरिये आगे बढ़ाया जायेगा, जिसे स्वीकार करने की व्यवस्था नये संविधान में है।

कुछ पत्रों में यह सुझाव दिया गया है कि उन लोगों के लिए जो लम्बे अरसे से ईमानदारी और कुशलता के समाज की भलाई के लिए काम करते आ रहे हैं, यानी उत्पादन के अगुआ कर्मियों के लिए दीर्घतर छुट्टियों के रूप में प्रोत्साहन की व्यवस्था लागू की जाये। दूसरी तरफ जो लोग काम के घंटों के दौरान जानबूझ कर समय बर्बाद करते हैं, यानी सीधी-सादी भाषा में कहा जाये तो जो लोग अपना समय यों ही बर्बाद करते हैं, अपने काम से अनुपस्थित रहते हैं, उनके लिए अधिक संक्षिप्त छुट्टियों की व्यवस्था की जाये। श्रम और सामाजिक प्रश्नों से सम्बन्धित समिति को, अन्य विभागों तथा अखिल संघीय केन्द्रीय ट्रेड यूनियन परिषद को छुट्टियों की प्रणाली में सुधार के लिए पगों को सूत्रित करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए तथा इस सिलसिले मे बिरादराना देशों के प्रासंगिक अनुभव से भी फायदा उठाना चाहिए।

हमारा विश्वास है कि महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध मे भाग लेने वाले सैनिकों के, जिनमें वे सैनिक भी शामिल हैं जिन्हें अब पेंशन देकर सेवा-निवृत किया जा चुका है, रहन-सहन और दैनिक हालतों मे और सुधार सम्बन्धी पगों से सम्बन्धित सुझावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में भाग लेने वालों के प्रति निरन्तर चिन्ता प्रदर्शित करते हुए पार्टी और सोवियत राज्य ने इस क्षेत्र मे बहुत काम किया है। जिन लोगों ने अत्यन्त कठिन युद्ध मे हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए जान की बाजी लगा दी, क्या उन्हें कुछ अन्य लाभ प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कोष ढूंढना सम्भव है? मेरा विश्वास है कि यह सम्भव है।

कुछ लोगो ने माताओं के लिए अतिरिक्त लाभों का सुझाव दिया है। चिकित्सा सहायता की प्रणाली मे सुधार लाने, आवास के आवंटन मे अधिक कड़ी कार्यविधि लागू करने तथा कई अन्य प्रकार के सुझाव भी दिए गए हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे मौजूदा संस्थानों तथा क्षमताओं की पूरी तरह छानबीन करने में सोवियत संघ की मंत्रि-परिषद का साथ देना चाहिए और परिणामों के सम्बन्ध में सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमंडल के समक्ष रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।

साथियो, ये वे ही मुख्य प्रश्न हैं जिन पर संविधान आयोग ने सोवियत संघ के संविधान के प्रारूप पर हुई राष्ट्र व्यापी बहस के सिल-सिले में रिपोर्ट पेश करना आवश्यक समझा।

२

साथी प्रतिनिधियो,

संविधान का प्रारूप और उस पर हुई राष्ट्रव्यापी बहस की ओर एक लम्बे अरसे से दुनिया का ध्यान केन्द्रित रहा है। यही नही, यह विचार-विमर्श प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर हो रहा है। यह आज की दुनिया में समाजवाद की विराट भूमिका का नया प्रमाण है।

बन्धु समाजवादी देशों में हमारे मित्रो ने संविधान के प्रारूप पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया और उत्साह के साथ उसका समर्थन किया। उन लोगों ने माथोवत और व्यावहारिक भावना मे इस पर पूरा और गहन रूप से ध्यान दिया। उन्होंने विस्तार से उसका विशलेषण किया और अपना अनुभव हमें बतलाया। इसके लिए हम उनके हार्दिक रूप से आभारी हैं।

समाजवादी देशो के समाचारपत्रो ने प्रारूप के सम्बन्ध मे बड़े पैमाने

पर समाचार प्रकाशित किये हैं। उन्होंने इसका ऐसी दस्तावेज के रूप में मूल्यकांन किया गया है जो विश्व को "समाजवाद और मानव जाति के भविष्य के बारे में सच्चाई" बता रही है। उन्होंने इसे "कम्युनिज्म के निर्माण के युग का घोषणापत्र" भी कहा है। समाजवादी राष्ट्रों के नेताओं ने, हमारे उन जुझार साथियों ने इस बात पर जोर दिया कि उनके देशों मे विकास की सम्भावनाओं की रूपरेखा तैयार करने मे यह प्रारूप अत्यन्त महत्व का है।

समाजवादी देशो में यह संतोष के साथ स्वीकार किया गया है कि संविधान का प्रारूप विविध रूपों में ऐसे तत्वों को प्रतिबिम्बित करता है जो उनके संविधानों की विशेषता हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके संविधान सोवियत विधान के पूर्ववर्ती अनुभव को प्रतिबिम्बित करते हैं। समाजवादी राज्यत्व विकसित करने में सामूहिक अनुभव इसी प्रकार हासिल किया जाता है।

औपनिवेशिक बंधन से नये मुक्त हुए और अब अपने मार्ग का चयन कर रहे देशों मे नये सोवियत संविधान के प्रारूप का गहरी दिलचस्पी से अध्ययन किया गया है। उन देशों के प्रमुख नेताओं ने सोवियत प्रतिनिधियों को बताया है कि वे इस प्रारूप से पर्याप्त लाभान्वित होने की आशा करते हैं, जिसमें विश्व के प्रथम समाजवादी देश के राजकीय संस्थानो को विकसित करने में ६० वर्ष के अनुभव का सार संचित है। अनेक अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमरीकी देशो के समाचारपत्रों ने प्रारूप पर व्यापक रूप से टीका-टिप्पणी की है और विशेषकर इस बात पर बल दिया है कि इसमे प्रतिबिम्बित सोवियत संघ की उपलब्धियां समाजवाद की ओर उन्मुख होने वाले सभी जनगण के लिए प्रेरणादायक उदाहरण हैं।

पूंजीवादी देशों की मेहनतकश जनता ने, सर्वोपरि उसके हरावल कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों ने संविधान के प्रारूप मे असाधारण दिलचस्पी ली है। कम्युनिस्ट समाचारपत्रो ने इसे विस्तार से प्रकाशित किया, इसका विश्लेषण किया तथा इसके महत्व का उच्च मूल्याकन

किया है। बन्धु पार्टियों ने बल देकर कहा है कि यह निर्णायक महत्व की दस्तावेज है जो आज विकसित समाजवाद के सारतत्व और लक्ष्यों का प्रमाण है। सोवियत संघ ने अपने जनवादी विकास में आगे की ओर बहुत लम्बी छलांग लगायी है, सोवियत जनता ने व्यवहार में मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के महान विचारों की सत्यता सिद्ध कर दी है। संविधान के प्रारूप में अध्ययन अभिव्यंजना और बहस के लिए विस्तृत सामग्री मौजूद है—पूंजीवादी जगत के कम्युनिस्टों की टिप्पणियां ऐसी ही हैं जिनके लिए अक्तूबर क्रान्ति के देश के नये संविधान का अर्थ मेहनतकश जनता के ध्येय के लिए उनके न्यायपूर्ण संघर्ष का समर्थन है।

दुनिया की मेहनतकश जनता ने हमारे संविधान के प्रारूप पर जो जानदार टिप्पणियां की हैं, उसमें जो भारी और हार्दिक दिलचस्पी ली है एवं उसका जो पुरजोर अनुमोदन किया है, उससे हमारे हृदय सोवियत जनता की उपलब्धियों के प्रति गौरव से भर गये हैं, और यह सब उनके विराट अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का और अनूठा प्रमाण है।

पूंजीवादी जगत के बुर्जुआ समाचारपत्रों और अन्य संचार-साधनों ने भी संविधान के प्रारूप की उपेक्षा नहीं की है। उनमें से कुछ ने इसकी विषय-वस्तु को कमोवेश वस्तुगत रूप में प्रकाशित किया है।

पश्चिम जगत के कई समाचारपत्रों ने लिखा है कि सोवियत संघ का नया संविधान सोवियत संघ में जनवाद के और विकास का, नागरिकों तथा सार्वजनिक संगठनों के अधिकारों के विस्तार का, राष्ट्रीय नीति पर उनके प्रभाव में वृद्धि का द्योतक है। अमरीकी पत्र बाल्टीमोर सन ने साफ-साफ स्वीकार किया है कि यह प्रारूप पश्चिम के किसी भी संविधान की तुलना में सोवियत नागरिकों के लिए अधिक व्यापक अधिकारों की गारंटी करता है। वे अधिकार हैं काम करने, आराम पाने, व्यवसाय का चयन करने, सामाजिक सुरक्षा, आवास, शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा सहायता पाने के अधिकार। पूंजीवादी देशों के राजनीतिक नेताओं और समाचारपत्रों ने इस बात के महत्व को स्वीकार किया है कि संविधान के विदेश नीति सम्बन्धी अध्याय में सोवियत संघ

ने शान्ति तथा अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के ध्येय के प्रति साविधिक कानून द्वारा अपनी वफादारी की पुनर्पुष्टि की है। ब्रिटिश पत्र फिनांशियल टाइम्स ने संविधान के प्रारूप को एक "ऐतिहासिक दस्तावेज" बताया है। सुदेश्चे जेइतुंग ने इस प्रारूप को "अत्यन्त महत्वपूर्ण" बताया है।

लेकिन साम्राज्यवादी प्रचार के आचार्यगण उस समय स्पष्टतः चिन्तित हुए जब हमारे संविधान पर विचार-विमर्श का परिसर अन्तरराष्ट्रीय हो गया। १३ जून को जनरल अन्जेईगर ने इस तथ्य के प्रति स्पष्ट शब्दों मे अपना असन्तोष व्यक्त किया कि "आजकल पश्चिम नये सोवियत सविधान के बारे मे बहुत बकबक कर रहा है।"

हम लोगो ने सोवियत राज्य के इतिहास मे इसकी पुनरावृत्ति कई बार देखी है : यह साम्राज्यवादी प्रचार-विधियो की हृदयग्राही तस्वीर है। यह प्रचार हमारे महान देश की उपलब्धियो के प्रति, उसके वीरता पूर्ण इतिहास, शानदार और बहुपक्षीय संस्कृति, विश्व मे एक सर्वोत्तम शैक्षिक प्रतिमान, इसकी अनेकानेक जातियों और जनगण के जोरदार सयुक्त सृजनात्मक कार्यकलाप के प्रति आखें मूंदे हुए है। इसमे "मनोवैज्ञानिक युद्ध" के विशेषज्ञ बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य मानव-मस्तिष्क पर समाजवाद के प्रभाव की वृद्धि को रोकना है, किसी भी तरीके से उसमें समाजवाद के प्रति अविश्वास और शत्रुता भरना है। इसी कारण सोवियत संघ के बारे मे घिसी-पिटी बातें, निर्लज्जतापूर्ण झूठ और सफेद झूठ उन लोगों के लिए गढा जाता है जिनके पास सच्ची सूचनाएं नही होती, जो आसानी से धोखा खा जाने वाले पाठक, श्रोता और दर्शक होते हैं। इसलिए इस प्रचार की प्रवृत्ति उतनी यह नही है कि नये सोवियत सविधान के बारे मे सूचना दें, जितनी कि-उसकी अन्तर्वस्तु को विकृत करने की, उसकी महत्ता को कम करने की और, जब कभी सम्भव हो, उसके प्रमुख प्रावधानो को पूरी तरह नजरअन्दाज करने की है।

सोवियत नागरिको के अधिकारो, स्वतन्त्रताओ और कर्त्तव्यो से सम्बन्धित अनुच्छेदो की विशेष तीखे ढग से आलोचना की गयी है।

इसमें शक नहीं कि इसके पीछे अपने आन्तरिक तर्क हैं : दरअसल, पूंजीवादी जगत के प्रमुख नेताओं ने मानवाधिकारों के लिए "चिन्ता" के विचार को इधर समाजवादी देशों के विरुद्ध अपने विचारधारात्मक जेहाद का मुख्य हथियार बनाया है। किन्तु सोवियत संविधान के आलोचक खुद अवांछनीय स्थिति में फंस गये हैं। वे इस तथ्य से बच नहीं सकते कि सोवियत संघ के संविधान के प्रारूप में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रताएं तथा इन अधिकारों के इस्तेमाल की विशिष्ट गारंटियां इतनी अधिक व्यापक, स्पष्ट और पूर्ण रूप से दर्ज हैं, जितनी कि पहले कभी और किसी भी जगह नहीं हुई हैं। सचमुच, पूंजीवादी व्यवस्था के प्रचारक विकसित समाजवाद की इन वास्तविक उपलब्धियों के मुकाबले में क्या पेश कर सकते हैं? वर्तमान साम्राज्यवादी समाज में जनसमुदाय के लिए क्या असली अधिकार और आजादी गारंटीशुदा हैं?

करोड़ों लोगों की बेरोजगारी का "अधिकार"? या बीमारों के दवा के बगैर रहने का "अधिकार" जिसके लिए भारी रकम की जरूरत होती है? या फिर नृवंशीय अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार और शिक्षा के मामले में, राजनीतिक और दैनन्दिन जीवन में अपमानपुर्ण भेदभाव का "अधिकार"? या यह संगठित अपराध के सर्वशक्तिमान भूमिगत गिरोहों के आतंक में हर समय रहने का "अधिकार" और यह देखने का "अधिकार" है कि प्रेस, सिनेमा, टेलिविजन और रेडियो सेवाएं किस प्रकार युवा पीढ़ी को स्वार्थपरता, निर्दयता और हिंसा की भावना में शिक्षित करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने से बाज नहीं आतीं?

पूंजीवाद के प्रचारक और सिद्धान्तकार इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि समाजवाद इन सामाजिक रोगों का बहुत पहले ही इलाज कर चुका है। इसीलिए उन्होंने एक और चाल का सहारा लिया है। उन्होंने उन संवैधानिक प्रावधानों को अपने आक्रमण का लक्ष्य बनाया है जिनमें कहा गया है कि नागरिकों द्वारा अधिकारों और स्वतंत्रताओं

का उपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि उससे समाज एवं राज्य के हितों को, अन्य नागरिकों के अधिकारों को क्षति पहुंचे, तथा किसी नागरिक द्वारा अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के उपयोग का उसके अपने कर्तव्यों के साथ अविभाज्य सम्बन्ध है।

संविधान के प्रारूप के अनुसार नागरिक समाजवादी समाज और राज्य को क्षति पहुंचाते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। आस्ट्रिया के समाचारपत्र **साल्जबर्गर वोक्सब्लात** का कहना है कि इसका यह अर्थ होता है कि "सोवियत नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।" यह उनका विचित्र तर्क है !

इतालवी समाचारपत्र **कोरियेर देल्ला सेरा** प्रारूप से इसलिए नाखुश है कि उसमें सोवियत नागरिकों का कर्त्तव्य सोवियत संघ के संविधान का, सोवियत कानूनों का और समाजवादी समुदाय की जीवन पद्धति के नियमों का आदर करना बताया गया है। इतालवी इजारेदारियों के इस मुखपत्र ने घोषित किया है : "ये सभी प्रतिबन्ध व्यवहारतः नागरिक अधिकारों को शून्य बना देते हैं, कम से कम हम उनका भाष्य करते हैं, उस दृष्टि से।" इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोवियत संघ में नागरिक अधिकारों का प्रयोग मानो कानून के उल्लघंन में निहित है !

आम तौर पर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे वर्ग विरोधियों की दृष्टि से सोवियत नागरिकों के लिए, जाहिर है, सोवियत राज्य और समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने का एक मात्र "अधिकार" स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि साम्राज्यवादियों के हृदय प्रसन्न हों। लेकिन हम अपने संविधान के ऐसे "आलोचकों" को निराश ही करेंगे : सोवियत जनता उनकी इच्छा को कभी पूरा नहीं करेगी।

हमारे "आलोचक" इस तथ्य से अपरिचित होने का बहाना करते हैं कि संविधान के प्रारूप के जिन अनुच्छेदों से उनमें असन्तोष है, वे बुनियादी अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के पूर्णतः अनुरूप हैं। हम उन्हें इस तथ्य की याद दिला दें : मानवाधिकारों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र की सार्वभिक

घोषणा में साफ-साफ कह गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति का समुदाय के प्रति कर्त्तव्य होता है जिसके भीतर ही उसके अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उन्मुक्त और पूर्ण विकास सम्भव है", और यह नागरिक अपने अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का प्रयोग कर सकें इसके लिए जरूरी है कि वे दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को उचित मान्यता दें तथा उनका आदर करें और एक जनवादी समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य मंगल-कल्याण के उचित तकाजे पूरे करें।"

दुनिया भर में मान्य जनवादी सामाजिक जीवन का सिद्धान्त ऐसा ही है। हमारे "आलोचकों" के लिए यह जानकारी लाभदायक होगी कि सोवियत संघ के नये संविधान के प्रावधानों में इसके अलावा और कुछ नहीं है, जिनके प्रति उनका मिथ्या रोग जग गया है।

अधिकांश पूंजीवादी विश्लेषकों ने सोवियत समाज के जीवन में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका को परिभाषित करने वाले प्रावधानों की भी आलोचना की है। उन्होंने कथित रूप से "कम्युनिस्ट पार्टी के अधिनायकत्व की घोषणा," "राज्य पर पार्टी की प्रधानता," "पार्टी और सरकारी संस्थाओं का खतरनाक एकीकरण," और "पार्टी तथा राज्य के बीच की सीमारेखा को मिटाने" आदि का आरोप लगाते हुए काफी शोरगुल मचाया है।

इसे क्या समझा जाये? इस हमले के पीछे मकसद बिलकुल साफ है। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत जनता का हरावल है, उसका सर्वाधिक सचेत और प्रगतिशील हिस्सा है जो सम्पूर्ण जनता के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। पार्टी का जनता के हितों के अतिरिक्त कोई और हित नहीं है। "पार्टी के अधिनायकत्व" की बात कर पार्टी को जनता से अलग करने की कोशिश शरीर से हृदय को अलग करने की कोशिश के बराबर है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ के संविधान के ढांचे के अन्तर्गत ही काम करती है। लेकिन पूंजीवादी आलोचक इसकी परवाह नहीं करते। वे सोवियत समाज में पार्टी की भूमिका को कमजोर

करना चाहेंगे, क्योंकि वे यह उम्मीद करते हैं कि इससे वे हमारे देश को, हमारी समाजवादी व्यवस्था को कमजोर कर सकेंगे, और हमारे कम्युनिस्ट आदर्शों को मिटा सकेंगे। सौभाग्य से, यह उनके बूते के बाहर की बात है। ज्यों-ज्यों सोवियत जनता कम्युनिज्म के निर्माण के जटिल और दायित्वपूर्ण कर्त्तव्यों को अधिकाधिक हल करती जायेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी। यह चीज बन्दिशों की ओर नहीं बल्कि हमारे पार्टी कार्यक्रम के पूर्णतः अनुरूप समाजवादी जनवाद के अधिकाधिक गहन विकास की ओर ले जाती है।

यह रहा एक और मुद्दा। हमारे नये संविधान के कुछ पश्चिमी आलोचकों ने इस पर "वामपक्ष से" हमला करने की कोशिश की है, मानो वे इस आशय की सैद्धान्तिक बहस चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के प्रारूप के निर्माता इस मार्क्सवादी सिद्धान्त के प्रति वफादार नहीं हैं कि कम्युनिजम के अन्तर्गत "राज्य का लोप" हो जायेगा। इतालवी पत्र इल मेसाजेरो ने इस बात पर विलाप किया है कि सोवियत संविधान ने "राज्य के लोप होने" के कम्युनिस्ट सिद्धान्त का "बेशर्त परित्याग" कर दिया है, जिसकी भूमिका सामाजिक संगठनों को निभानी थी। न्यूयार्क टाइम्स ने शिकायत की है कि सोवियत राज्य लोप होने में असमर्थ और अनिच्छुक है। उसका समर्थन टाइम्स ने किया है जिसका कहना है कि राज्य के लोप होने का तो कोई चिह्न नज़र नहीं आता।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त के अनुरूप हमारे समाजवादी राज्य के विकास के लिए पूंजीवादी सिद्धांतकारों की ऐसी चिन्ता सचमुच मर्मस्पर्शी है। किन्तु उनकी चिन्ता निराधार है। घटनाएं ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं जिसकी मार्क्सवादी गौरव-ग्रन्थों में भविष्य-वाणी की गयी है और जिसे हमारी पार्टी ने अपने नीति सम्बन्धी वक्तव्यों में निरूपित किया है।

पूंजीवादी शिविर में हमारे आलोचक (और साफ-साफ कहूं तो उनके साथ अन्तर्राष्ट्रीय मेहनतकश वर्ग आन्दोलन की क़तारों के कुछ साथी भी) मुख्य वस्तु को—हमारे राज्य और समाज के विकास की द्वन्द्वात्म-

कता को—या तो समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। इसका अर्थ यह है कि समाजवादी राज्य के विकास और उन्नयन के साथ-साथ करोड़ों नागरिक सरकारी और जन-नियंत्रण निकायों के कार्यकलाप में, उत्पादन और वितरण के प्रबन्ध में, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में और न्याय प्रशासन मे अधिकाधिक मात्रा में भाग लेने लगते हैं। संक्षेप में, हमारा राज्यत्व समाजवादी जनवाद के विकास के साथ क्रमश: कम्युनिस्ट सामाजिक स्वशासन में रूपान्तरित हो रहा है। निश्चय ही यह एक लम्बी प्रक्रिया है लेकिन यह अडिग रूप से निरन्तर आगे बढ़ रही है। हमें विश्वास है कि नया सोवियत संविधान कम्युनिस्ट निर्माण के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में कारगर योगदान करेगा।

३

साथियो,

नये संविधान को उचित ही विकसित समाजवादी समाज के जीवन का कानून कहा गया है। सोवियत संघ में जिस समाज का निर्माण किया गया वह वस्तुत: यही है ऐसा ही विकसित, परिपक्व समाजवादी समाज समाजवादी समुदाय के अन्य देशों में भी निर्मित हो रहा है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी लाक्षणिक विशेषताओं और कम्युनिस्ट व्यवस्था के उदय की ऐतिहासिक प्रक्रिया में इसके स्थान के बारे में हमारी धारणा स्पष्ट हो।

स्मरणीय है कि प्रारम्भिक सोवियत वर्षों में लेनिन ने भविष्य की परिकल्पना करते हुए "पूर्ण", "समग्र", "विकसित" समाजवाद के एक संदर्भ के रूप में, समाजवादी निर्माण के एक लक्ष्य के रूप में चर्चा की थी और उसके बारे में लिखा था।

अब यह लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। सोवियत संघ के अनुभव और उसके बाद अन्य समाजवादी देशों के अनुभव से यह प्रमाणित हुआ है कि

समाजवाद का आधार तैयार कर देने से ही, अर्थात् शोषक वर्गों के उन्मूलन और राष्ट्रीय अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में सामाजिक सम्पत्ति की स्थापना से ही सीधे कम्युनिज्म में संक्रमण नहीं हो जाता। विजयी समाजवाद को परिपक्वता से निश्चित चरणों से गुजरना होगा और केवल विकसित समाजवादी समाज ही कम्युनिस्ट निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना सम्भव बनाता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि आप जानते हैं, समाजवाद का विकास और प्रगति भी एक ऐसा कार्य है जो उसकी आधारशिला रखने की बनिस्बत किसी भी तरह कम पेचीदा और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं है।

थोड़े-से प्रभावशाली आंकड़े हमारे देश में समाजवाद के प्रारम्भिक चरण और आज के चरण के बीच की दूरी को स्पष्ट कर देते है।

१९७७ के इस वर्ष में एक महीने से कुछ कम समय के भीतर ही जितना सामाजिक उत्पादन होता है उतना पूरे १९३६ में हुआ था। तब से ही भौतिक उत्पादन के क्षेत्र मे परिसम्पत्ति और मनुष्य के बीच का अनुपात १४ गुना बढ़ गया है, उद्योग के क्षेत्र में बिजली और मनुष्य के बीच के अनुपात में लगभग ८ गुनी और कृषि के क्षेत्र में उस अनुपात में १५ गुनी से अधिक की वृद्धि हो चुकी है।

न केवल प्रविधि, बल्कि उसे संचालित करने वाले लोग भी बहुत बदल गये हैं। आज ७३.२ प्रतिशत मजदूर उच्चतर या माध्यमिक (पूर्ण या अपूर्ण) शिक्षा प्राप्त हैं, जबकि ४० साल पहले यह आंकड़ा ८ प्रतिशत से कम था। इस अवधि में उच्चतर और विशेषीकृत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की संख्या में उद्योग में ३४ गुनी तथा कृषि में ४७ गुनी वृद्धि हो चुकी है।

सोवियत जनता का जीवन-स्तर भी अति प्रभावशाली रूप से उन्नत हुआ है। यहां केवल दो आंकड़े पेश हैं। १९३६ में हमने १.४९ करोड़ वर्ग मीटर में आवास-निर्माण किया था, जबकि १९७७ में यह आंकड़ा ११ करोड़ वर्ग मीटर से अधिक होगा। १९३६ में सामाजिक उपभोग

कोष से प्राप्त भुगतान और लाभ प्रति व्यक्ति २१ रूबल था, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा ३८२ रूबल हो गया है।

तो, जैसा कि आप देखते हैं, यह तय की गयी दूरी बहुत ज्यादा है। किन्तु हर चीज तो आंकड़ों में व्यक्त की नहीं जा सकती। इतने बड़े पैमाने पर हुई भौतिक और सांस्कृतिक प्रगति से शहर और गांव में तथा मानसिक और शारीरिक श्रम के क्षेत्रों में कार्य और जीवन की स्थितियों के बीच के अन्तर का काफी समतलीकरण हो गया है। समाजवाद के अन्तर्गत सोवियत जनता की नयी पीढ़ियां विकसित हुई हैं, शिक्षित हुई हैं और उनकी समाजवादी चेतना रूपायित हुई है।

यही वे प्रक्रियाएं हैं जो हमें यह कहने का अधिकार देती है कि सोवियत संघ में विकसित समाजवाद का निर्माण किया जा चुका है। यह नये समाज की परिपक्वता का एक ऐसा चरण है जब समाजवाद में अन्तर्निहित सामूहिकता के सिद्धान्त के आधार पर सामाजिक सम्बन्धों की सम्पूर्ण प्रणाली की पुनर्रचना की जा चुकी है। इसलिए अब समाजवाद के नियमों की क्रियात्मकता के लिए, इसके लाभों को सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से लागू करने के लिए पूर्ण अवसर उपलब्ध है। यही इस सामाजिक व्यवस्था की आंगिक अखंडतता और गतिशील शक्ति का, उसकी राजनीतिक स्थिरता, और उसकी अटूट आन्तरिक एकता का कारण है। यही सभी वर्गों और सामाजिक समूहों के, सभी जातियों और उपजातियों के ऐतिहासिक रूप से एक नयी स माजिक और अन्तर्राष्ट्रीय इकाई—सोवियत जनता—के रूप में बढ़ते हुए एकीकरण का कारण है। यही एक नयी, समाजवादी संस्कृति के अभ्युदय का और नयी समाजवादी जीवन-पद्धति की स्थापना का कारण है।

दरअसल, हम केवल एक ऐसे समाजवादी समाजवादी समाज को ही विकसित कह सकते हैं जो एक शक्तिशाली और विकसित उद्योग पर, बड़े पैमाने के और अत्यधिक यंत्रीकृत कृषि पर आधारित होता है, जो व्यवहार में सामाजिक विकास के मुख्य और प्रत्यक्ष उद्देश्य—नागरिकों की विविध आवश्यकताओं की सतत पूर्णतर पूर्ति—को सम्भव बनाता

है हमारे देश की परिस्थिति में नयी व्यवस्था की आधारशिला रखने के बाद परिपक्व समाजवाद के लिए अपरिहार्य इस प्रकार के भौतिक और प्राविधिक आधार के निर्माण का कर्त्तव्य सम्पन्न करना पड़ा। जाहिर है, कमजोर अथवा मध्यम रूप से विकसित अर्थतंत्र के साथ समाजवाद के मार्ग पर अग्रसर होने वाले दूसरे देशों को भी इन समस्याओं के सम्बन्ध में यही करना होगा।

उन देशों में जहां विजयी समाजवादी क्रान्ति के समय अत्यधिक विकसित उत्पादक शक्तियां उपलब्ध होंगी, स्थिति भिन्न होगी। लेकिन उन्हें भी परिपक्व समाजवाद के निर्माण की पेचीदा समस्याओं, जैसे समाजवादी आधारों पर समस्त सामाजिक जीवन को संगठित करने का जटिल विज्ञान, विशेष रूप से अर्थतंत्र के नियोजन और प्रबन्ध का विज्ञान सीखने और नागरिकों में समाजवादी चेतना का विकास करने आदि जैसे पेचीदा कर्त्तव्यों से निबटना पड़ेगा।

संक्षेप में यह कि समाजवाद का निर्माण करने वाले देशों में विशिष्ट स्थितियां चाहे जो भी हों, स्वयं अपने आधार पर उसकी पूर्णता का का चरण, परिपक्व, विकसित समाजवादी समाज का चरण सामाजिक रूपान्तरणों का एक अपरिहार्य तत्व है, पूंजीवाद से कम्युनिज्म तक जाने के मार्ग पर एक अपेक्षाकृत लम्बा दौर है। इसके साथ ही विकसित समाजवाद की समस्त क्षमताओं को सामने लाने और उनका इस्तेमाल करने का अर्थ कम्युनिज्म के निर्माण मे संक्रमण करना भी होता है। भविष्य वर्तमान की सीमा से परे नहीं होता। भविष्य वर्तमान में ही निहित होता है। और आज के कर्त्तव्यों को, समाजवादी वर्तमान के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए, हम क्रमशः कल की ओर, कम्युनिस्ट भविष्य की ओर बढ रहे हैं।

जैसा कि हमारे अनुभव ने दिखा दिया है, सर्वहारा अधिनायकत्व के राज्य का क्रमशः सम्पूर्ण जनता के राज्य में विकास समाजवादी सामाजिक सम्बन्धों की पूर्ण विजय का परिणाम है। आज का सोवियत संघ अक्तूबर क्रान्ति से पैदा हुए राज्य के विकास का एक उचित चरण

है—ऐसा चरण है जिसकी विशिष्टता परिपक्व समाजवाद है। फलतः, राजकीय संस्थाओं के कर्त्तव्य, उनका ढांचा, उनके कार्य और कार्य-विधियां उस चरण के अनुरूप होनी चाहिए जिसे समाज के विकास में प्राप्त किया जा चुका है।

सोवियत संघ का नया संविधान् ऐसी अनुरूपता की गारन्टी करता है। इसे स्वीकृत कर हम पूरी तरह यह कहने के अधिकारी होंगे कि हमारे देश को हमारी पार्टी और जनता के महान लक्ष्यों के निकटतर लाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा चुका है।

साथियो, ठीक बीस वर्ष पहले, ४ अक्तूबर को मानवजाति ने वाह्य अन्तरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। इसकी शुरूआत उस कृत्रिम भू-उपग्रह से हुई जिसकी रचना सोवियत जनता की मेधा और श्रम ने की थी। लेनिन ने सोवियत काल की ऊषावेला में ही "विज्ञान, सर्वहारा और प्रविधि के प्रतिनिधियों के मोर्चे" की जा परिकल्पना की थी उसकी महान उपलब्धि को सारी दुनिया ने देखा। हमारे देश में समाजवादी निर्माण के व्यवहारों में यह मित्रता मूर्त हुई है और विकसित समाजवाद की विराट उपलब्धियों का मुख्य स्रोत बन गयी है।

संविधान के प्रारूप पर हुई बहस ने कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे एकजुट सोवियत समाज के सभी वर्गों और सामाजिक समूहों, सभी जातियों और उपजातियों, सभी पीढ़ियों की एकता की शक्ति और जीविष्णुता का पुनः प्रमाण प्रस्तुत किया है।

शहरों और गावों के करोड़ो मेहनतकश लोगों ने अपने वचन और कर्म से नये संविधान को समर्थन दिया है। उन्होंने प्रारूप की प्रत्येक पंक्ति से स्वयं अपने व्यावहारिक कार्य की, अपने श्रम-सामूहिकों के कार्य की। उन्होंने बढ़ी हुई समाजवादी शपथ ली, उत्पादन योजनाओं को संशोधित किया, उत्पादन की कार्यकुशलता बढ़ाने और कार्य को उन्नत बनाने के लिए नये सरक्षित साधन ढूंढ निकाले और विराट श्रम-चमत्कारों से अपने नये संविधान का स्वागत किया। संक्षेप में यह कि हमारी जनता ने पुनः यह दिखा दिया है कि वह समाजवादी स्वदेश की पूर्ण स्वामी है।

कम्युनिज्म की निर्माता वीर सोवियत जनता की प्रतिष्ठा और यश बढ़े!

साथी प्रतिनिधियों, मैं यह विश्वास प्रकट करना चाहूंगा कि सोवियत संघ के संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के बाद सर्वोच्च सोवियत इसका अनुमोदन करेगी और इस प्रकार सोवियत जनता को कम्युनिज्म के निर्माण के लिए एक नये शक्तिशाली हथियार से लैस करेगी।

(लियोनिद ब्रेजनेव का भाषण बहुत ध्यान से सुना गया और बीच-बीच में तुमुल करतल-ध्वनि गूंजती रही।)

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ का संविधान

(मूलभूत कानून)

महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति ने, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी की रह-नुमाई में, जिसके नेता लेनिन थे, रूस के मेहनतकशों और किसानों ने सम्पन्न किया था, पूंजीपतियों और जमीदारों की सत्ता को उलट दिया, उत्पीडन की वेड़ियों को तोड डाला, सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित किया, और नये प्रकार के राज्य, सोवियत राज्य की रचना की जो क्रान्ति की उपलब्धियों की रक्षा और समाजवाद तथा कम्युनिज्म के निर्माण का बुनियादी उपकरण है। फलतः, मानवजाति ने पूंजीवाद से समाजवाद की दिशा में युगान्तरकारी मोड शुरू किया।

गृह-युद्ध मे विजय प्राप्त करने और साम्राज्यवादी हस्तक्षेप को परा-जित करने के बाद सोवियत सरकार ने गहन सामाजिक एवं आर्थिक रूपान्तरण कार्यान्वित किये, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को, वर्गों के बीच विग्रहों और जातियो के बीच संघर्ष को सदा-सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया। सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ मे सोवियत जनतंत्रों के एकीकरण ने समाजवाद के निर्माण मे देश के जनगण की शक्तियों और सुअवसरो को संवर्धित किया। उत्पादन के साधनो पर सामाजिक स्वा-स्वामित्व और मेहनतकश जनता के लिए सच्चा जनवाद स्थापित हुआ।

मानवजाति के इतिहास में पहली बार एक समाजवादी समाज का निर्माण हुआ।

समाजवाद की शक्ति का एक उल्लेखनीय प्रमाण सोवियत जनता और उसकी सशस्त्र सेनाओं का वह अमर साहस भरा कारनामा था जब उन्होंने महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में ऐतिहासिक विजय हासिल की। इस विजय ने सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके प्रभाव को मजबूत किया तथा समाजवाद, राष्ट्रीय मुक्ति, जनवाद और सम्पूर्ण विश्व में शान्ति की शक्तियों के विकास के लिए नये सुअवसर सर्जित किये।

अपने सृजनात्मक प्रयासों को जारी रखते हुए सोवियत संघ की मेहनतकश जनता ने देश का तेज, चहुंमुखी विकास तथा समाजवादी व्यवस्था का निरन्तर उन्नयन सुनिश्चित किया। उसने मेहनतकश वर्ग, सामूहिक फार्म के किसानों और लोक बुद्धिजीवियों के मोर्चे को तथा सोवियत संघ की जातियों और उपजातियों की मैत्री को सुदृढ़ बनाया है। सोवियत समाज की सामाजिक-राजनीतिक और वैचारिक एकता हासिल हुई है जिसमें मेहनतकश वर्ग नेतृत्वकारी शक्ति है। सर्वहारा अधिनायकत्व के लक्ष्योंको पूरा कर लेने के बाद सोवियत राज्य समस्त जनता का राज्य बन गया है। समस्त जनता का हरावल कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका बढ़ गयी है।

सोवियत संघ में एक विकसित समाजवादी समाज का निर्माण हो चुका है। इस चरण में, जब समाजवाद स्वयं अपनी नींव पर विकसित हो रहा है, नयी व्यवस्था की सृजनात्मक शक्तियां और समाजवादी जीवन-पद्धति के लाभ अधिकाधिक स्पष्ट हो रहे हैं, और मेहनतकश जनता अपनी महान क्रान्तिकारी उपलब्धियों के फल का अधिकाधिक मात्रा में लाभ उठा रही है।

यह एक ऐसा समाज है जिसमें शक्तिशाली उत्पादक शक्तियों का और उन्नत विज्ञान तथा संस्कृति का निर्माण किया गया है, एक ऐसा समाज है जिसमें जनता के मंगल-कल्याण में निरन्तर वृद्धि होती जा रही

है और व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास के लिए अधिकाधिक अनुकूल स्थितियां निर्मित होती जा रही हैं।

यह परिपक्व समाजवादी सामाजिक सम्बन्धों का समाज है, जिसमें सभी वर्गों और सामाजिक तबक़ों के एक-दूसरे के निकट आने और उसकी सभी जातियों एवं उपजातियों की कानूनी और वास्तविक समानता तथा उनके बीच बिरादराना सहयोग के आधार पर जनता के एक नये ऐति-हासिक समुदाय—सोवियत जनता—का गठन हुआ है।

यह मेहनतकश लोगों की, जो देशभक्त और अन्तर्राष्ट्रीयतावादी है, उच्च संगठनात्मक क्षमता, विचारधारात्मक प्रतिबद्धता और चेतना से युक्त समाज है।

यह एक ऐसा समाज है जिसमे जीवन का नियम ऐसा है कि प्रत्येक का मंगल-कल्याण सभी की चिन्ता का और सभी का मगल-कल्याण प्रत्येक की चिन्ता का विषय है।

यह सच्चे जनवाद का समाज है जिसकी राजनीतिक व्यवस्था समस्त सार्वजनिक मामलों का कारगर प्रबन्ध, राज्य के संचालन मे मेहनतकश जनता की अधिकाधिक सक्रिय भागीदारी, तथा नागरिक के सच्चे अधि-कारों और स्वतंत्रताओं का समाज के प्रति उसके कर्त्तव्यों और उत्तर-दायित्व के साथ समन्वय सुनिश्चित बनाती हैं।

विकसित समाजवादी समाज कम्युनिज्म के मार्ग पर स्वाभाविक तर्कसंगत चरण है।

सोवियत राज्य का चरम लक्ष्य वर्गविहीन कम्युनिस्ट समाज निर्मित करना है, जिसमे सार्वजनिक, कम्युनिस्ट स्वशासन होगा। जनता के समाजवादी राज्य के प्रधान लक्ष्य ये हैं: कम्युनिज्म का भौतिक और तकनीकी आधार निर्मित करना, समाजवादी सामाजिक सम्बन्धों को सर्वांगपूर्ण बनाना और उन्हें कम्युनिस्ट सम्बन्धों मे रूपान्तरित करना, कम्युनिस्ट समाज के नागरिक को ढालना, जनता के जीवनमान और सांस्कृतिक स्तर को उन्नत करना, देश की सुरक्षा की हिफाजत करना,

तथा शान्ति के दृढ़ीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास को बढ़ावा देना।

सोवियत जनता

वैज्ञानिक कम्युनिज्म के विचारों से निर्देशित होकर और अपनी क्रान्तिकारी परम्पराओं के प्रति वफादार रहते हुए,

समाजवाद की विराट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों को आधार बनाते हुए,

समाजवादी जनवाद के और अधिक विकास के लिए प्रयत्न करते हुए,

विश्व समाजवादी व्यवस्था के एक अंग के रूप में सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और अपने अन्तर्राष्ट्रीयतावादी उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहते हुए,

१६१८ के प्रथम सोवियत संविधान में, सोवियत संघ के १६२४ के संविधान में तथा सोवियत संघ के १६३६ के संविधान मे अन्तर्निहित विचारों और सिद्धान्तों की निरन्तरता को कायम रखते हुए,

एतद्द्वारा सोवियत संघ की सामाजिक संरचना तथा नीति के सिद्धान्तों को सम्पुष्ट करती है, तथा नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और दायित्वों को, और समस्त जनता के समाजवादी राज्य के संगठन के सिद्धान्तों तथा उसके लक्ष्यों को परिभाषित करती और उनकी इस संविधान मे घोषणा करती है।

१. सोवियत संघ की सामाजिक संरचना और नीति के सिद्धान्त

अध्याय १. राजनीतिक व्यवस्था

अनुच्छेद १. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ समस्त जनता का समाजवादी राज्य है, जो मजदूरों, किसानों और बुद्धिजीवियों की, देश

सभी जातियों और उपजातियों के मेहनतकश लोगों की इच्छा और हितों को अभिव्यक्त करता है।

अनुच्छेद २. सोवियत संघ में जनता सम्पूर्ण सत्ता की स्वामी है।

जनता राज्यसत्ता का उपभोग जन-प्रतिनिधियों की सोवियतों के माध्यम से करती है, जो सोवियत संघ का राजनीतिक आधार हैं।

अन्य सभी राजकीय निकाय जन-प्रतिनिधियों की सोवियतों के नियंत्रण में हैं और उनके प्रति उत्तरदायी हैं।

अनुच्छेद ३. सोवियत राज्य जनवादी केन्द्रीयता के सिद्धान्त के आधार पर गठित है और वह इसी सिद्धान्त पर कार्य करता है, यानी निम्नतम से लेकर उच्चतम तक राज्यसत्ता के सभी निकायों का निर्वाचित होना, उनका जनता के प्रति उत्तरदायी होना, और उच्चतर निकायों के निर्णयों का निम्नतर निकायों द्वारा अनिवार्य परिपालन। जनवादी केन्द्रीयता केन्द्रीय नेतृत्व को स्थानीय पेशकदमी और सृजनात्मक कार्यकलाप के साथ और सम्मुख उपस्थित कार्य के लिए प्रत्येक राजकीय निकाय और पदाधिकारी के उत्तरदायित्व के साथ समन्वित करती है।

अनुच्छेद ४. सोवियत राज्य और उसके सभी निकाय समाजवादी कानून के आधार पर कार्य करते हैं, कानून एवं व्यवस्था की हिफाजत, और समाज के हितों तथा नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की हिफ़ाजत सुनिश्चित बनाते हैं।

राजकीय संगठन, सार्वजनिक संगठन और अधिकारी सोवियत संघ के संविधान का और सोवियत कानूनों का पालन करेंगे।

अनुच्छेद ५. राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामलों को राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जायेगा और उन्हें जनता के मत (जनमत-संग्रह) के लिए भी पेश किया जायेगा।

अनुच्छेद ६. सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत समाज की नेतृत्वकारी और पथ-प्रदर्शक शक्ति तथा उसकी राजनीतिक व्यवस्था, सभी राजकीय संगठनों एवं सार्वजनिक संगठनों का नाभि-केन्द्र है।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जनता के लिए है तथा यह जनता की सेवा करती है।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद से लैस कम्युनिस्ट पार्टी समाज के विकास के सामान्य सन्दर्श तथा सोवियत संघ की गृह और विदेश नीति के मार्ग को निर्धारित करती है, सोवियत जनता के महान रचनात्मक कार्य का निर्देशन करती है, और कम्युनिज्म की विजय के लिए उसके संघर्ष को एक नियोजित, क्रमबद्ध तथा सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्पुष्ट चरित्र प्रदान करती है।

सभी पार्टी संगठन सोवियत संघ के संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करेंगे।

अनुच्छेद ७. अपने नियमों में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप ट्रेड यूनियनें, अखिल संघीय लेनिनवादी तरुण कम्युनिस्ट लीग, सहकार और अन्य सार्वजनिक संगठन राजकीय तथा सार्वजनिक मामलों के प्रबन्ध में, और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों के समाधान में सहभागिता करते हैं।

अनुच्छेद ८. कार्य-सामूहिक राजकीय और सार्वजनिक मामलों पर विचार-विमर्श और फैसला करने में, उत्पादन और सामाजिक विकास की योजना बनाने में, कर्मियों के प्रशिक्षण और उनकी नियुक्ति में, और प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों के प्रबन्ध कार्य एवं रहन-सहन की स्थितियों के उन्नयन, तथा उत्पादन के विकास और सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों तथा वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आवंटित कोषों के उपयोग से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श और फैसला करने में भाग लेते हैं।

कार्य-सामूहिक समाजवादी होड़, कार्य की उन्नत विधियों के प्रसार और उत्पादन सम्बन्धी अनुशासन के दृढ़ीकरण को बढ़ावा देते हैं, कम्युनिस्ट नैतिकता की भावना में अपने सदस्यों को शिक्षित करते हैं, तथा उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ाने और उनका सांस्कृतिक स्तर और कौशल तथा योग्यता समुन्नत करने का प्रयास करते हैं।

अनुच्छेद ९. सोवियत समाज की राजनीतिक व्यवस्था के विकास

को मुख्य दिशा समाजवादी जनवाद का और विस्तार है, यानी समाज और राज्य के मामलों के प्रबंध में नागरिकों की अधिकाधिक व्यापक भागीदारी, राज्य-तंत्र का निरन्तर उन्नयन, सार्वजनिक संगठनों के कार्यकलाप में वृद्धि, जन-नियंत्रण प्रणाली का दृढ़ीकरण, राज्य और सार्वजनिक जीवन के कानूनी आधारों का दृढ़ीकरण, अधिक खुलापन और प्रचार तथा जनमत को निरन्तर ध्यान में रखना।

अध्याय २. आर्थिक व्यवस्था

अनुच्छेद १०. सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला है राज्य की सम्पत्ति (जिसकी स्वामी समस्त जनता है) के रूप में उत्पादन के साधनों का समाजवादी स्वामित्व और सामूहिक फार्म एवं सहकारी सम्पत्ति।*

समाजवादी स्वामित्व में ट्रेड यूनियनों तथा अन्य सार्वजनिक संगठनों की सम्पत्ति भी समाहित है, जिसकी उन्हें अपने नियमों के अधीन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकता होती है।

राज्य समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा करता है और उसके संवर्धन की स्थितियां निर्मित करता है।

किसी को भी समाजवादी सम्पत्ति का व्यक्तिगत लाभ के लिए या अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद ११. राज्य की सम्पत्ति, अर्थात् सोवियत जनता की समान सम्पत्ति समाजवादी सम्पत्ति का प्रधान रूप है।

भूमि, उसके खनिज द्रव्य, जल-साधन और वन एकमात्र राज्य की सम्पत्ति हैं। राज्य उद्योग, निर्माण और कृषि में उत्पादन के बुनियादी साधनों; परिवहन और संचार के साधनों; बैंकों; राज्य द्वारा संचालित व्यापार संगठनों और जनपयोगी सेवाओं एवं राज्य द्वारा संचालित अन्य उद्यमों की सम्पत्ति; अधिकांश शहरी आवास-भवन; और राजकीय कार्यों के लिए आवश्यक अन्य सम्पत्ति का स्वामी है।

अनुच्छेद १२. सामूहिक फार्मों और अन्य सहकारी संगठनों, तथा उनके संयुक्त उद्यमों की सम्पत्ति के अन्तर्गत उत्पादन के साधन और ऐसी अन्य परिसम्पत्ति शामिल हैं जिसकी उन्हें अपने नियमों में निर्धारित उद्देश्यों के लिए जरूरत होती है।

सामूहिक फार्मों के अधिकार में जो भूमि है वह उन्हें अनन्तकाल के लिए निःशुल्क उपयोग के लिए आवंटित है।

राज्य सामूहिक फार्म-एवं-सहकारी सम्पत्ति के विकास तथा उसे राजकीय सम्पत्ति के सन्निकट लाने को बढ़ावा देता है।

भूमि के अन्य उपयोगकर्त्ताओं की तरह सामूहिक फार्म भूमि का कारगर एवं मितव्ययितापूर्ण उपयोग करने तथा उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए बाध्य हैं।

अनुच्छेद १३. उपार्जित आय सोवियत नागरिक की व्यक्तिगत सम्पत्ति का आधार है। सोवियत संघ के नागरिकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति में शामिल हो सकते हैं दैनिक उपयोग, व्यक्तिगत उपभोग और सुविधा की वस्तुएं, छोटी जोत तथा उससे सम्बन्धित औजार और अन्य वस्तुएं, एक मकान और उपार्जित बचत। नागरिकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसे विरासत में पाने का अधिकार राज्य द्वारा रक्षित हैं।

नागरिक कानूनी क्रियाविधि के अनुसार (मवेशी और मुर्गी पालन सहित) सहायक छोटी जोतों के लिए, फल और सब्जी उगाने के लिए भूमि-खण्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह आवश्यक है कि नागरिक आबंटित भूमि-खण्डों का विवेक पूर्ण ढंग से उपयोग करें। राज्य और सामूहिक फार्म अपनी छोटी जोतों पर काम करने में नागरिकों को सहायता प्रदान करते हैं।

नागरिकों के व्यक्तिगत स्वामित्व अथवा उपयोग में जो सम्पत्ति होगी उसका उपयोग अनुपार्जित आय प्राप्त करने अथवा समाज के हितों को क्षति पहुंचाने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

अनुच्छेद १४. सोवियत जनता शोषणमुक्त श्रम सामाजिक संपदा

में, तथा जनता के और प्रत्येक व्यक्ति के मंगल-कल्याण में वृद्धि का स्रोत है।

राज्य श्रम और उपभोग की मात्रा पर इस सिद्धान्त के अनुसार नियंत्रण रखता है: "प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार"। राज्य ही कर के योग्य आय पर कर की दर निर्धारित करता है।

समाज में नागरिक की हैसियत का निर्धारण सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य और उसके परिणामों के आधार पर किया जाता है। भौतिक और नैतिक प्रोत्साहनों को संयुक्त कर और नवीकरण तथा कार्य के प्रति सृजनात्मक दृष्टि को प्रोत्साहन देकर राज्य श्रम को प्रत्येक सोवियत नागरिक की प्राथमिक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में बदल देने में सहायता करता है।

अनुच्छेद १५. समाजवाद के अन्तर्गत सामाजिक उत्पादन का सर्वोच्च लक्ष्य जनता की बढ़ती हुई भौतिक और सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्णतम सम्भव तुष्टि करना है।

मेहनतकश जनता की रचनात्मक पहलकदमी, समाजवादी प्रतियोगिता और वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति पर भरोसा करते हुए तथा आर्थिक प्रबन्ध के रूपों एवं विधियों को उन्नत बनाते हुए राज्य श्रम-उत्पादकता की वृद्धि, उत्पादन की कार्यकुशलता और कार्य के गुण में संवर्धन को तथा अर्थतंत्र के गतिशील, नियोजित और सानुपातिक विकास को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद १६. सोवियत संघ का अर्थतंत्र अखण्ड आर्थिक समुच्चय है, जिसमें उसके भूखंड के सामाजिक उत्पादन, वितरण और विनिमय के सभी तत्व समाविष्ट हैं।

अर्थतंत्र का प्रबन्ध आर्थिक और सामाजिक विकास की राजकीय योजनाओं के आधार पर किया जाता है जिसमें शाखा तथा क्षेत्र के सिद्धान्तों को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाता है और केन्द्रीकृत निर्देशन के साथ व्यक्ति तथा समामेलित प्रतिष्ठानों और अन्य सगठनों

की प्रबन्धकीय स्वतन्त्रता एवं पहलकदमी को संयुक्त किया जाता है। इसके लिए प्रबन्धकीय लेखा-विधि, मुनाफे, लागत और अन्य आर्थिक उत्तोलकों तथा प्रोत्साहनों का सक्रिय उपयोग किया जाता है।

अनुच्छेद १७. सोवियत संघ में कानून हस्तकला, कृषि और जनता के लिए सेवाओं की व्यवस्था में व्यक्तिगत श्रम की और कार्य के ऐसे रूपों की अनुमति देता है जो नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों के केवल व्यक्तिगत काम पर आधारित होते हैं। राज्य वैसे काम के लिए अधिनियम बनाता है ताकि उससे समाज के हितों की सेवा सुनिश्चित हो।

अनुच्छेद १८. वर्तमान और भावी पीढ़ियों के हित में सोवियत संघ में भूमि और उसके खनिज द्रव्यों तथा जल-संसाधनों और वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं की रक्षा तथा उसका विज्ञानसम्मत, विवेकपूर्ण उपयोग करने, वायु तथा जल की शुद्धता बनाये रखने, प्राकृतिक सम्पदा के पुनरुत्पादन को सुनिश्चित बनाने तथा मनुष्य के पर्यावरण को बेहतर के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

अध्याय ३. सामाजिक विकास और संस्कृति

अनुच्छेद १९. मेहनतकशों, किसानों और बुद्धिजीवियों का अटूट मोर्चा सोवियत संघ का सामाजिक आधार है।

राज्य समाज की सामाजिक एकरूपता बढ़ाने में यानी वर्गों के बीच अन्तर तथा नगर एवं गांव और शारीरिक एवं मानसिक श्रम के बीच मूल अन्तर को दूर करने में, तथा सोवियत संघ की सभी जातियों एवं उपजातियों के सर्वतोमुखी विकास और उन्हें एक-दूसरे के निकटतर आने में सहायता करता है।

अनुच्छेद २०. इस कम्युनिस्ट आदर्श के अनुरूप कि "प्रत्येक का मुक्त विकास सबके मुक्त विकास की शर्त है," सोवियत राज्य नागरिकों के लिए अपनी सृजनात्मक शक्ति, क्षमताओं और प्रतिभाओं के विकास

तथा हर प्रकार से उनके व्यक्तियों के विकास के लिए अधिकाधिक वास्तविक अवसर प्रदान करने का लक्ष्य अपनाता है।

अनुच्छेद २१. सोवियत राज्य काम की स्थितियों में सुधार, बचाव तथा श्रम सुरक्षा एवं कार्य के वैज्ञानिक संगठन, और उत्पादन-प्रक्रियाओं के सर्वांगीण यंत्रीकरण एवं स्वचालन के माध्यम से समस्त कठिन शारीरिक श्रम को घटाने तथा अंततः उसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के प्रति चिन्ता प्रदर्शित करता है।

अनुच्छेद २२. सोवियत संघ में कृषि कार्य को एक प्रकार के औद्योगिक कार्य में बदलने, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं चिकित्सा संस्थानों के तथा व्यापारिक, सार्वजनिक भोजनालय सेवा एवं जनोपयोगी सुविधाओं के ताने-बाने का विस्तार करने, और छोटे गांवों एवं गांवों को सुनियोजित और सुविधाओं से युक्त बस्तियों में बदलने का कार्यक्रम निरन्तर कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुच्छेद २३. राज्य श्रम-उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से लोगों के वेतन के स्तर तथा वास्तविक आय में वृद्धि करने की सतत नीति का पालन करता है।

सोवियत जनता की आवश्यकताओं की अधिक पूर्ण तुष्टि के लिए सामाजिक उपभोग कोषों का निर्माण किया जाता है। सार्वजनिक संगठनों और कार्य-सामूहिकों की व्यापक सहभागिता से राज्य इन कोषों की वृद्धि और इनका न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद २४. सोवियत संघ में स्वास्थ्य रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यापार एवं सार्वजनिक भोजन व्यवस्था, सामुदायिक सेवाओं एवं सुविधाओं, और जनोपयोगी सेवाओं की राज्य प्रणालियां कार्य करती हैं तथा उन्हें विस्तारित किया जा रहा है।

राज्य आबादी को हर प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारियों और अन्य सार्वजनिक संगठनों को प्रोत्साहन देता है। वह बड़े पैमाने पर व्यायाम तथा खेलकूद के विकास को प्रोत्साहन देता है।

अनुच्छेद २५. सोवियत संघ में जन-शिक्षा की समरूप प्रणाली

है, जिसमें निरन्तर सुधार लाया जा रहा है, जो नागरिकों के लिए सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है, युवा लोगों की कम्युनिस्ट शिक्षा और उनके बौद्धिक तथा शारीरिक विकास की सेवा करती है, और उन्हें कार्य एवं सामाजिक कार्यकलाप के लिए प्रशिक्षित करती है।

अनुच्छेद २६. समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य विज्ञान के योजनाबद्ध विकास और वैज्ञानिक कर्मिदलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और अर्थतन्त्र एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में अनुसन्धान के परिणामों को लागू करने के कार्य को संगठित करता है।

अनुच्छेद २७. राज्य सोवियत जनता की नैतिक और सौन्दर्य सम्बन्धी शिक्षा के लिए उसका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए समाज की सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण, संवर्धन और उसके व्यापक उपयोग के प्रति चिन्ता प्रदर्शित करता है।

सोवियत संघ में पेशेवर, शौकिया और लोक कला के विकास को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है।

अध्याय ४ : विदेश नीति

अनुच्छेद २८. सोवियत संघ अविचल रूप से शान्ति की लेनिनवादी नीति का पालन करता है और राष्ट्रों की सुरक्षा एवं व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के दृढ़ीकरण का समर्थन करता है।

सोवियत संघ की विदेश नीति का लक्ष्य है सोवियत संघ में कम्युनिज्म के निर्माण के लिए अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सुनिश्चित करना, सोवियत संघ के राजकीय हितों की हिफाजत करना, विश्व समाजवाद की स्थितियां सुदृढ़ बनाना, राष्ट्रीय मुक्ति और सामाजिक प्रगति के लिए जनगण के संघर्ष का समर्थन करना, आक्रामक युद्धों को रोकना, सार्वत्रिक और पूर्ण निरस्त्रीकरण हासिल करना, और भिन्न

समाज व्यवस्थाओं वाले राज्यों के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को अविचल रूप से कार्यान्वित करना।

सोवियत संघ मे युद्ध का प्रचार वर्जित है।

अनुच्छेद २६. अन्य राज्यो के साथ सोवियत संघ के सम्बन्ध निम्न सिद्धान्तों के परिपालन पर आधारित हैं : सम्प्रभु समानता; बलप्रयोग या उसकी धमकी का पारस्परिक परित्याग; सीमाओं की अनुलंघनीयता; राज्यों की क्षेत्रीय अखण्डता; विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान; आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप; मानवाधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं के प्रति आदर; जनगण के समान अधिकार और अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करने का अधिकार; राज्यो के बीच सहयोग; और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आम तौर पर मान्य सिद्धान्तों एवं नियमों, तथा सोवियत संघ ने जिन अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियो पर हस्ताक्षर किये हैं उनसे उत्पन्न दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करना।

अनुच्छेद ३०. विश्व समाजवादी व्यवस्था तथा समाजवादी समुदाय के एक अंग के रूप में सोवियत संघ अन्य समाजवादी देशों के साथ समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धान्त के आधार पर मैत्री, सहयोग और साथीवत् पारस्परिक सहायता को आगे बढाता है और उन्हें सुदृढ बनाता है तथा समाजवादी आर्थिक एकीकरण और समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन मे सक्रिय रूप से भाग लेता है।

अध्याय ५. समाजवादी मातृभूमि की प्रतिरक्षा-

अनुच्छेद ३१. समाजवादी मातृभूमि की प्रतिरक्षा राज्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण कर्तव्य है, तथा यह समस्त जनता का ध्येय है।

समाजवाद के लाभों की, सोवियत जनता के शान्तिपूर्ण श्रम और राज्य की सम्प्रभुता एवं क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा के उद्देश्य से सोवियत संघ मे सशस्त्र सेनाएं रखी गयी है, और सार्वजनिक सैनिक सेवा लागू की गयी है।

जनता के प्रति सोवियत संघ की सशस्त्र सेनाओं का कर्तव्य समाजवादी मातृभूमि की विश्वसनीय रूप से रक्षा करना, और निरन्तर ऐसी युद्धात्मक सन्नद्धता बनाये रखना है जिससे किसी भी आक्रामक को तुरन्त मार भगाने की पक्की गारंटी हो।

अनुच्छेद ३२. राज्य देश की सुरक्षा और उसकी प्रतिरक्षा-क्षमता को सुनिश्चित बनाता है, तथा इस उद्देश्य से सोवियत संघ की सशस्त्र सेनाओं को हर आवश्यक चीज की आपूर्ति करता है।

देश की सुरक्षा की हिफाजत करने और उसकी प्रतिरक्षा-क्षमता के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में राजकीय निकायों, सार्वजनिक संगठनों, अधिकारियों और नागरिकों के कर्त्तव्य सोवियत संघ के कानून में परिभाषित हैं।

२. राज्य और व्यक्ति

अध्याय ६. सोवियत संघ की नागरिकता, नागरिकों के अधिकारों की समानता

अनुच्छेद ३३. सोवियत संघ के लिए समरूप संघीय नागरिकता स्थापित है। संघ जनतंत्र का प्रत्येक नागरिक सोवियत संघ का नागरिक है।

सोवियत नागरिकता प्राप्त करने अथवा खोने के आधार एवं कार्यविधि सोवियत संघ की नागरिकता से सम्बन्धित कानून में परिभाषित हैं।

विदेशों में रहने वाले सोवियत नागरिकों को सोवियत राज्य का संरक्षण और सहायता प्राप्त है।

अनुच्छेद ३४. सोवियत संघ के नागरिक कानून के समक्ष बराबर हैं और इसमें उनकी वंशगत उत्पत्ति, सामाजिक या माली स्थिति, जाति या नस्ल, स्त्री-पुरुष, शिक्षा, भाषा, धर्म के प्रति रुख, उनके पेशे के

प्रकार या चरित्र, निवास या अन्य बातों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

सोवियत संघ के नागरिकों के अधिकारों की समानता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में गारंटी-शुदा है।

अनुच्छेद ३५. सोवियत संघ में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार हैं।

इन अधिकारों का प्रयोग महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर शिक्षा और व्यावसायिक एवं पेशा सम्बन्धी प्रशिक्षण तक समान पहुंचने की व्यवस्था कर, रोजगार, पारिश्रमिक और पदोन्नति के लिए, तथा सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप के लिए समान अवसर उपलब्ध कर, तथा महिलाओं के श्रम और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष कदम उठा कर; माताओं के लिए काम करने की स्थितियां मुहैया कर; माताओं और शिशुओं को कानूनी संरक्षण, एवं भौतिक और नैतिक समर्थन प्रदान कर, जिसमें माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सवेतन छुट्टियां और अन्य लाभ भी शामिल है, तथा छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए धीरे-धीरे कार्य-समय घटा कर सुनिश्चित बनाया गया है।

अनुच्छेद ३६. विभिन्न जातियों और नस्लों के सोवियत नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

इन अधिकारों का प्रयोग सोवियत संघ की सभी जातियों एवं उप-जातियों के सर्वतोमुखी विकास और उन्हें एक-दूसरे के निकटतर लाने की नीति द्वारा, सोवियत देशभक्ति और समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयता-वाद की भावना मे सोवियत नागरिकों को शिक्षित करके, और मातृ-भाषा तथा सोवियत संघ के अन्य जनगण की भाषाओं के उपयोग का अवसर प्रदान कर सुनिश्चित किया गया है।

नस्ल या जाति के आधार पर नागरिकों के अधिकारों का किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष परिसीमन, अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष

रूप से उनके लिए किसी प्रकार की विशेष सुविधा स्थापित करना, और नस्ली या जातीय अनन्यता, शत्रुता अथवा घृणा का किसी प्रकार का प्रतिपादन कानूनन दण्डनीय है।

अनुच्छेद ३७. सोवियत संघ में अन्य देशों के नागरिकों और राज्यविहीन व्यक्तियों को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी की गयी है जिनमें व्यक्तिगत, साम्पत्तिक, पारिवारिक तथा अन्य अधिकारों के रक्षार्थ अदालतों और अन्य राजकीय निकायों में मुकदमा दायर करने का अधिकार भी शामिल है।

सोवियत संघ में रहने पर अन्य देशों के नागरिकों तथा राज्यविहीन व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वे सोवियत संघ के संविधान का सम्मान करें तथा सोवियत कानूनों का पालन करें।

अनुच्छेद ३८. सोवियत संघ उन विदेशी नागरिकों को जो मेहनतकश जनता के हितों और शान्ति के ध्येय की हिफाजत के लिए, या क्रान्तिकारी और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने के लिए, या अपने प्रगतिशील सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक अथवा किसी अन्य सृजनात्मक कार्यकलाप में भाग लेने के लिए उत्पीड़ित किये गये हों, अपने यहां शरण लेने का अधिकार प्रदान करता है।

अध्याय ७. सोवियत संघ के नागरिकों के मूल अधिकार, स्वतंत्रताएं और कर्तव्य

अनुच्छेद ३९. सोवियत संघ के नागरिकों को वे समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैयक्तिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताएं प्राप्त हैं, जिनकी सोवियत संघ के संविधान और सोवियत कानूनों द्वारा घोषणा और गारन्टी की गयी है। समाजवादी व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के विस्तार को तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति के साथ-साथ उनके रहन-सहन के लगातार उन्नयन को सुनिश्चित बनाती है।

नागरिकों द्वारा अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का उपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि उससे समाज या राज्य के हितों को क्षति पहुंचे या अन्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो।

अनुच्छेद ४०. सोवियत संघ के नागरिकों को काम पाने का (अर्थात् उन्हें गारन्टीशुदा रोजगार और अपने काम के लिए उसके परिमाण और गुण के अनुसार, जो राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम नहीं होगा, पारिश्रमिक पाने का) अधिकार है, जिसमें उनका यह अधिकार भी शामिल है कि वे अपनी प्रवृत्ति, योग्यता, क्षमता, प्रशिक्षण और शिक्षा के अनुसार, तथा समाज की आवश्यकताओं को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए अपने काम का, अपने पेशे या व्यवसाय के प्रकार का चयन कर सकते हैं।

यह अधिकार समाजवादी आर्थिक व्यवस्था द्वारा, उत्पादक शक्तियों के निरन्तर विकास द्वारा, निःशुल्क व्यावसायिक और पेशे सम्बन्धी प्रशिक्षण, कौशल में वृद्धि, नये व्यवसायों या पेशों में प्रशिक्षण, और व्यावसायिक निर्देशन तथा कार्य-नियुक्ति प्रणालियों के विकास द्वारा सुनिश्चित है।

अनुच्छेद ४१. सोवियत संघ के नागरिकों को विश्राम और अवकाश पाने का अधिकार है।

इस अधिकार को मेहनतकशों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा ४१ घंटे का कार्य-सप्ताह लागू कर, कई पेशों एवं उद्योगों के लिए कार्य-दिवस की अवधि में और रात में काम के घंटों में कमी कर; वार्षिक सवेतन छुट्टी, साप्ताहिक अवकाश-दिवसों द्वारा और सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य-निर्माण संस्थाओं के ताने-बाने में विस्तार कर, और बड़े पैमाने पर खेलकूद, शारीरिक व्यायाम, शिविर लगाने एवं पर्यटन का विकास कर; पास-पड़ोस में मनोरंजन की सुविधाएं मुहैया कर, तथा अवकाश के समय के विवेकसंगत उपयोग के लिए अन्य अवसर उपलब्ध कर सुनिश्चित बनाया गया है।

सामूहिक फार्म के किसानों के लिए कार्य और अवकाश का समय उनके सामूहिक फार्मों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अनुच्छेद ४२. सोवियत संघ के नागरिकों को स्वास्थ्य-सुरक्षा का अधिकार है।

यह अधिकार राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा की जाने वाली निःशुल्क, योग्यतापूर्ण डाक्टरी देखभाल द्वारा; चिकित्सा और स्वास्थ्य-निर्माण संस्थानों के ताने-बाने के विस्तार द्वारा; उद्योग में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के विकास और सुधार द्वारा; व्यापक निरोधात्मक उपायों द्वारा; नयी पौध के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल के द्वारा जिसमें बाल श्रम का निषेध शामिल है, और अपने स्कूल पाठ्यक्रम के अंग के रूप में बच्चों द्वारा किया जाने वाला कार्य शामिल नहीं है; रोगों की रोकथाम और रोगों की घटनाओं में कमी करने तथा नागरिकों का दीर्घ और सक्रिय जीवन सुनिश्चित बनाने के लिए अनुसंधान के विकास द्वारा सुनिश्चित है।

अनुच्छेद ४३. सोवियत संघ के नागरिकों को वृद्धावस्था में, बीमारी की अवस्था में, और पूर्ण या आंशिक अक्षमता या रोटी कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में भरण-पोषण पाने का अधिकार है।

यह अधिकार मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों और सामूहिक फार्म के किसानों के सामाजिक बीमे द्वारा; अस्थायी अक्षमता के लिए भत्तों द्वारा; राज्य या सामूहिक फार्मों से वृद्धावस्था और अपंगुता सम्बन्धी पेंशनों तथा रोटी कमाने वाले की मृत्यु की अवस्था में पेंशनों के प्रावधान द्वारा; आंशिक रूप से अक्षम नागरिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था द्वारा; वृद्ध और अक्षम लोगों की देखभाल द्वारा; तथा सामाजिक सुरक्षा के अन्य रूपों द्वारा गारण्टीशुदा है।

अनुच्छेद ४४. सोवियत संघ के नागरिकों को आवास पाने का अधिकार है।

यह अधिकार राज्य तथा सामाजिक स्वामित्व के आवास के विकास और रखरखाव द्वारा; सहकारी और व्यक्तिगत आवास-निर्माण को सहायता देकर; सुसज्जित आवास तैयार करने के कार्यक्रम की पूर्ति से

सुलभ घरों के सार्वजनिक नियंत्रण में उचित वितरण द्वारा, और मकान कम किराये तथा जनोपयोगी सेवाओं के लिए कम शुल्क द्वारा सुनिश्चित है। सोवियत संघ के नागरिक आवंटित घरों की अच्छी तरह देखभाल करेंगे।

अनुच्छेद ४५. सोवियत संघ के नागरिकों को शिक्षा पाने का अधिकार है।

यह अधिकार सभी प्रकार की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था द्वारा, सार्वत्रिक, अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा की स्थापना और व्यवहारिक कार्यकलाप तथा उत्पादन की ओर अभिमुख व्यवसायिक, विशेषीकृत माध्यमिक, तथा उच्चतर शिक्षा के व्यापक विकास द्वारा; पाठ्येतर, पत्राचार और सायंकालीन शिक्षा के विकास द्वारा; स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों के निःशुल्क वितरण द्वारा; स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाई के अवसर सुलभ कर; और स्वशिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा सुनिश्चित है।

अनुच्छेद ४६. सोवियत संघ के नागरिकों को संस्कृति के लाभों का अधिकार है।

यह अधिकार राज्य और अन्य सार्वजनिक संग्रहालयों में संरक्षित देश तथा विश्व की सांस्कृतिक निधि तक व्यापक पहुंच द्वारा; देश में शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के विकास और उचित वितरण द्वारा; टेलिविजन और रेडियो प्रसारण तथा पुस्तकों, समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन के विकास द्वारा, और निःशुल्क सेवा के विस्तार द्वारा; और अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के विस्तार द्वारा सुनिश्चित है।

अनुच्छेद ४७. सोवियत संघ के नागरिकों के लिए कम्युनिज्म के निर्माण के लक्ष्यों के अनुरूप वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक कार्य की स्वतंत्रता गारंटीशुदा है। यह स्वतंत्रता वैज्ञानिक शोध के विस्तार, आविष्कारों और नव प्रवर्तनों के प्रोत्साहन तथा साहित्य और कलाओं के विकास [illegible] सुनिश्चित है। राज्य इसके लिए आवश्यक भौतिक

स्थितियों की तथा कलाकर्मियों के संघों और स्वैच्छिक सोसाइटियों के लिए समर्थन की व्यवस्था करता है, उत्पादन तथा कार्यकलाप के अन्य क्षेत्रों में आविष्कारों तथा नवीनीकरणों का प्रयोग संगठित करता है।

लेखकों, आविष्कारकों और नवप्रवर्तकों के अधिकार राज्य द्वारा रक्षित हैं।

अनुच्छेद ४८. सोवियत संघ के नागरिकों को राजकीय और सार्वजनिक मामलों के प्रबन्ध और प्रशासन में तथा अखिल संघीय और स्थानीय महत्व के कानूनों और पगों पर विचार-विमर्श और उनकी स्वीकृति में भाग लेने का अधिकार है।

यह अधिकार जन-प्रतिनिधियों की सोवियतों और अन्य निर्वाचित राजकीय संस्थाओं को निर्वाचित होने, राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श और जनमत संग्रह में भाग लेने, जन-नियंत्रण में, राजकीय निकायों, सार्वजनिक संगठनों और स्थानीय सामुदायिक समूहों के कार्य में, तथा कार्यस्थल पर या रहने की जगह पर होने वाली सभाओं में भाग लेने के अवसर द्वारा सुनिश्चित है।

अनुच्छेद ४९. सोवियत संघ में प्रत्येक नागरिक को राजकीय निकायों और सार्वजनिक संगठनों के कार्यों में सुधार लाने का प्रस्ताव पेश करने, और उनके काम की आलोचना करने का अधिकार है।

अधिकारीगण निर्धारित समय सीमा के भीतर नागरिकों के प्रस्तावों और अनुरोधों की जांच करने, उनके उत्तर देने और उचित कारवाई करने के लिए बाध्य हैं।

आलोचनाओं के लिए उत्पीड़न निषिद्ध है। वैसे उत्पीड़न के अपराधी व्यक्तियों को जवाब देना होगा।

अनुच्छेद ५०. जनता के हितों के अनुरूप और समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ बनाने तथा विकसित करने के उद्देश्य से सोवियत संघ के नागरिकों के लिए भाषण की, प्रेस की, एकत्र होने, सभा करने, सड़कों पर जलूस निकालने और प्रदर्शन करने की गारंटी है।

इन राजनीतिक स्वतंत्रताओं को सार्वजनिक भवनों, सड़कों और

चीजों को मेहनतकश जनता और उसके संगठनों के उपयोग के लिए सुलभ बनाकर, सूचना के व्यापक प्रसार द्वारा और समाचारपत्रों, टेलिविजन तथा रेडियो के उपयोग का अवसर प्रदान कर सुनिश्चित बनाया गया है।

अनुच्छेद ५१. कम्युनिज्म के निर्माण के लक्ष्यों के अनुरूप सोवियत संघ के नागरिकों को वैसे सार्वजनिक संगठनों मे शामिल होने के अधिकार हैं जो उनके राजनीतिक कार्यकलाप और पहलकदमी को तथा उनकी विविध रुचियों की तुष्टि को बढ़ावा देते हों।

सार्वजनिक संगठनों के लिए उनके नियमों में परिभाषित कार्यकलाप के सफल निष्पादन की स्थितियां गारंटीशुदा है।

अनुच्छेद ५२. सोवियत संघ के नागरिकों के लिए अन्तःकरण की स्वतंत्रता' अर्थात् किसी भी धर्म को मानने अथवा न मानने और धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करने अथवा अनीश्वरवादी प्रचार करने का गारंटीशुदा अधिकार है। धर्म के आधार पर शत्रुता अथवा घृणा भड़काना वर्जित है।

सोवियत संघ मे चर्च राज्य से और स्कूल चर्च से पृथक है।

अनुच्छेद ५३. परिवार को राज्य का सरंक्षण प्राप्त है।

विवाह इच्छुक स्त्री-पुरुषों की स्वतंत्र सहमति पर आधारित है; पति-पत्नी अपने पारिवारिक सम्बन्धों में पूरी तरह समान है।

राज्य शिशुओं की देखभाल करने वाली संस्थाओं की विस्तृत प्रणाली की व्यवस्था कर और उनका विकास कर, सामुदायिक सेवाओं और सार्वजनिक भोजन-व्यवस्था प्रणाली सगठित कर तथा उनमें सुधार लाकर, बच्चे के जन्म पर अनुदान देकर, बड़े परिवारों को बच्चों के लिए भत्ते और लाभ प्रदान कर तथा पारिवारिक भत्ते और सहायता के अन्य रूपों द्वारा परिवार की सहायता करता है।

अनुच्छेद ५४. सोवियत संघ के नागरिकों को व्यक्ति की निरापदता की गारंटी है। किसी भी व्यक्ति को अदालत के निर्णय अथवा किसी प्रोक्यूरेटर के वारंट के बिना गिरफ्तार नही किया जा सकता।

अनुच्छेद ५५. सोवियत संघ के नागरिकों के लिए घर की अनुल्लंघनीयता गारंटीशुदा है। बिना कानूनी आधार के कोई भी व्यक्ति किसी घर में, उसमें रहने वाले व्यक्तियों की इच्छा के विपरीत, प्रवेश नहीं कर सकता।

अनुच्छेद ५६. नागरिकों की एकान्तता, उनके पत्र-व्यवहार, टेलीफोन वार्ता और तार-सन्देशों की गोपनीयता कानून द्वारा रक्षित है।

अनुच्छेद ५७. व्यक्ति का सम्मान और नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा सभी राजकीय निकायों, सार्वजनिक संगठनों और अधिकारियों का कर्तव्य है।

सोवियत संघ के नागरिकों को अपने सम्मान और प्रतिष्ठा, जीवन और स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्पत्ति के अतिक्रमण के खिलाफ अदालतों का संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद ५८. सोवियत संघ के नागरिकों को अधिकारियों, राजकीय निकायों और सार्वजनिक संगठनों की कारंवाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। इन शिकायतों की जांच कानून में प्रस्थापित क्रियाविधि के अनुसार और समय-सीमा के भीतर की जायेगी।

अधिकारियों की ऐसी कारंवाइयों के विरुद्ध जिनसे कानून का उल्लंघन हो, या जो उन्हें प्रदत्त अधिकारों का सीमोल्लंघन करती हों, और जो नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करती हों, कानून में विहित विधि के अनुसार अदालत में अपील की जा सकती है।

सोवियत संघ के नागरिकों को राजकीय संगठनों और सार्वजनिक संगठनों की, या अपना कर्त्तव्य निभाने के दौरान अधिकारियों की गैर-कानूनी कारंवाइयों के हुई क्षति के लिए मुआवजा पाने का अधिकार है।

अनुछेद ५ नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का प्रयोग उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों के परिपालन के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है।

सोवियत संघ के नागरिकों का यह दायित्व है कि वे सोवियत

संघ के संविधान का और सोवियत कानूनों का पालन करें और सोवियत नागरिकता के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करें।

अनुच्छेद ६०. अपने चुने हुए, सामाजिक रूप से उपयोगी पेशे में ईमानदारी से काम करना, और श्रम-अनुशासन का कड़ाई से पालन करना सोवियत संघ के प्रत्येक कार्यक्षम नागरिक का कर्तव्य है, और सम्मान का विषय है। समाजिक रूप से उपयोगी काम से जी चुराना समाजवादी समाज के सिद्धान्तों से असंगत है।

अनुच्छेद ६१. समाजवादी सम्पत्ति की हिफाजत और रक्षा सोवियत संघ के नागरिकों का दायित्व है। सोवियत संघ के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राज्य और सामाजिक स्वामित्व की सम्पत्ति के दुरुपयोग और अपव्यय का मुकाबला करे तथा जनता की सम्पदा का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करे।

समाजवादी सम्पत्ति को किसी प्रकार क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति कानूनन दण्डनीय होंगे।

अनुच्छेद ६२. सोवियत संघ के नागरिकों का दायित्व है कि वे सोवियत राज्य के हितों की रक्षा करें, तथा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की वृद्धि करें।

समाजवादी मातृभूमि की रक्षा सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है।

मातृभूमि से गद्दारी जनता के विरुद्ध गम्भीरतम अपराध है।

अनुच्छेद ६३. सोवियत संघ की सशस्त्र सेनाओं की कतारों में सैनिक सेवा सोवियत नागरिकों का सम्मानपूर्ण कर्तव्य है।

अनुच्छेद ६४. सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और वैध हितों का सम्मान करे, और बहुजातीय सोवियत राज्य की जातियों एवं उपजातियों की मैत्री को सुदृढ़ बनाये।

अनुच्छेद ६५. सोवियत संघ के नागरिक का यह दायित्व है कि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और वैध हितों का सम्मान करे, समाज

विरोधी व्यवहार के प्रति असहिष्णु हो, तथा सार्वजनिक शान्ति-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करे।

अनुच्छेद ६६. सोवियत संघ के नागरिको का दायित्व है कि वे अपने बच्चो के लालन-पालन से सरोकार रखें, उन्हें सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य के लिए प्रशिक्षित करें, और उन्हें समाजवादी समाज के सुयोग्य सदस्य के रूप मे विकसित करें। बच्चो का यह दायित्व है कि वे अपने माता-पिता की देखभाल करें और उन्हें सहायता दें।

अनुच्छेद ६७. सोवियत संघ के नागरिकों का यह दायित्व है कि वे प्रकृति की रक्षा करें और उसकी हिफाजत करें।

अनुच्छेद ६८. ऐतिहासिक स्मारकों और अन्य सास्कृतिक मूल्यों के सरक्षण की चिन्ता सोवियत सघ के नागरिको का कर्तव्य और दायित्व है।

अनुच्छेद ६९. अन्य देशों के जनगण के साथ मैत्री और सहयोग को आगे बढाना तथा विश्व शान्ति को कायम रखने और उसे सुदृढ बनाने में सहायता करना सोवियत सघ के नागरिको का अन्तर्राष्ट्रीयतावादी कर्तव्य है।

३. सोवियत संघ की जातीय-राज्यीय संरचना

अध्याय ८. सोवियत संघ—एक संघीय राज्य

अनुच्छेद ७०. सोवियत समाजवादी जनतंत्र सघ एक अखंड, संघीय बहुजातीय राज्य है जो समाजवादी संघबद्धता के सिद्धान्त पर जातियों के स्वतन्त्र आत्मनिर्णय और समान सोवियत समाजवादी जनतन्त्रों के स्वैच्छिक संयोजन के फलस्वरूप गठित हुआ है।

सोवियत सघ सोवियत जनता की राज्यीय एकता का मूर्त रूप है और कम्युनिज्म का मिलजुल कर निर्माण करने के उद्देश्य से अपनी सभी जातियो एवं उपजातियों को एकजुट करता है।

अनुच्छेद ७१. सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ में निम्नलिखित जनतन्त्र एकबद्ध हैं :

रूसी सोवियत संघीय समाजवादी जनतन्त्र,
उक्राइनी सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
बेलोरूसी सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
उजबेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
कजाख सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
ज्यार्जियाई सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
अजरबैजान सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
लिथुआनियाई सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
मोल्दावियाई सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
लातवियाई सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
किरगिज सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
ताजिक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
आर्मीनियाई सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
तुर्कमेन सोवियत समाजवादी जनतन्त्र,
एस्तोनियाई सोवियत समाजवादी जनतन्त्र।

अनुच्छेद ७२. प्रत्येक संघ जनतंत्र सोवियत संघ से इच्छानुसार अलग होने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

अनुच्छेद ७३. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ का अधिकार क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसत्ता और प्रशासन के उसके उच्चतम निकाय, निम्नलिखित तक विस्तारित होगा :

१) सोवियत संघ में नये जनतंत्रों को सम्मिलित करना; संघ जनतंत्रों के अन्तर्गत नये स्वायत्त जनतंत्रों और स्वायत्त क्षेत्रों के गठन को स्वीकृति देना;

२) सोवियत संघ की राज्यीय सीमाओं का निर्धारण और संघ जनतंत्रों के बीच की सीमाओं में परिवर्तनों को स्वीकृति देना;

३) राज्यसत्ता और प्रशासन के जनतंत्रीय और स्थानीय निकायों

के सगठन और कार्य सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तों की प्रस्थापना करना;

४) पूरे सोवियत सघ में विधायी मानदडो की एकरूपता सुनिश्चित करना और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ तथा सघ जनतंत्रो के विधि-निर्माण सम्बन्धी मूल सिद्धान्तों को प्रस्थापित करना;

५) एकीकृत सामाजिक और आर्थिक नीति का अनुसरण; देश के अर्थतंत्र का निर्देशन; वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति की मुख्य दिशाओ का निर्धारण और प्राकृतिक ससाधनो के विवेकपूर्ण निष्कर्षण और संरक्षण के लिए सामान्य पगो का निर्धारण; सोवियत संघ के आर्थिक और सामाजिक विकास की राजकीय योजनाएं तैयार और स्वीकार करना, तथा उनकी पूर्ति सम्बन्धी रिपोर्टों का अनुमोदन;

६) सोवियत संघ का समेकित बजट तैयार करना और उसे स्वीकार करना, तथा उसकी पूर्ति सम्बन्धी रिपोर्ट का अनुमोदन करना; अखंड मौद्रिक और ऋण प्रणाली का प्रबन्ध; सोवियत संघ के बजट में जाने वाले टैक्सो तथा राजस्व का निर्धारण: तथा मूल्य और वेतन नीति का प्रस्थापन;

७) संघीय अधिकार-क्षेत्र के भीतर पडने वाले अर्थतंत्र के क्षेत्रों, प्रतिष्ठानो और समामेलनो का निर्देशन, तथा संघ जनतंत्रीय अधिकार-क्षेत्र के उद्योगों का सामान्य निर्देशन;

८) युद्ध और शान्ति के मसले, सोवियत संघ की सम्प्रभुता की हिफाजत, तथा उसकी सीमाओं और भूखड की हिफाजत, एवं प्रतिरक्षा का संगठन; सोवियत सघ की सशस्त्र सेनाओं का निर्देशन,

९) राज्य की सुरक्षा;

१०) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व, अन्य राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो के साथ सोवियत संघ के सम्बन्ध; अन्य राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो के साथ संघ जनतंत्रों के सम्बन्धो और उनके समन्वय के लिए सामान्य कार्यविधि स्थापित करना; राजकीय इजारेदारी के आधार पर विदेश व्यापार और वैदेशिक आर्थिक कार्यकलाप के अन्य रूप:

११) सोवियत संघ के संविधान के परिपालन पर नियंत्रण, और सोवियत संघ के संविधान के साथ संघ जनतंत्रों के संविधानों की अनुरूपता को सुनिश्चित बनाना; और

१२) अखिल संघीय महत्व के अन्य विषयों का निबटारा।

अनुच्छेद ७४. सोवियत संघ के कानून सभी संघ जनतंत्रों के भूखंड पर समान रूप से लागू होंगे। संघ जनतंत्रों के कानून और किसी अखिल संघीय कानून के बीच अन्तर होने पर सोवियत संघ का कानून ही चलेगा।

अनुच्छेद ७५. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ का भूखंड एकीकृत है और उसमें संघ जनतंत्रों के भूखंड शामिल हैं।

अपने सम्पूर्ण भूखंड में सोवियत संघ की सम्प्रभुता है।

अध्याय ९. संघ सोवियत समाजवादी जनतंत्र

अनुच्छेद ७६. संघ जनतंत्र एक सम्प्रभु सोवियत समाजवादी राज्य है जो सोवियत समाजवादी जनतंत्रों के संघ में अन्य सोवियत जनतंत्रों के साथ ऐक्यबद्ध हुआ है।

सोवियत संघ के संविधान के अनुच्छेद ७३ में परिभाषित क्षेत्रों के बाहर संघ जनतंत्र अपने भूखंड में स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करता है।

संघ जनतंत्र का उस जनतंत्र की खास विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ के संविधान के समनुरूप अपना संविधान होगा।

अनुच्छेद ७७. संघ जनतंत्र सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल, सोवियत संघ की सरकार तथा सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के अन्य निकायों में सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के विषयों के फैसले में भाग लेते हैं।

संघ जनतंत्र अपने भूखंड में सर्वांगीण आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करेगा, अपने भूखंड में सोवियत संघ के अधिकारों के

प्रयोग को सुगम बनायेगा, और सोवियत संघ की राज्यसत्ता तथा प्रशासन के उच्चतम निकायों के फैसलों को क्रियान्वित करेगा।

अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर आने वाले विषयों में संघ जनतंत्र संघाधीन प्रतिष्ठानों, संस्थानों और संगठनों के कार्यकलाप को समन्वित एवं नियंत्रित करेगा।

अनुच्छेद ७८. संघ जनतंत्र के भूखंड में उसकी सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। संघ जनतंत्रों की सीमाएं सम्बन्धित जनतंत्रों की पारस्परिक सहमति से परिवर्तित की जा सकती हैं, और यह सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के अनुसमर्थन के अधीन होगा।

अनुच्छेद ७९. संघ जनतंत्र अपने प्रादेशिक, क्षेत्रीय, इलाक़ाई और जिला प्रभाग का निर्धारण करेगा, तथा अपनी प्रशासनिक और प्रादेशिक संरचना से सम्बन्धित अन्य विषयों का फैसला करेगा।

अनुच्छेद ८०. संघ जनतंत्र को अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध बनाने, उनके साथ सन्धियां सम्पन्न करने, राजनयिक तथा कौंसुलर प्रतिनिधियों का आदान-प्रदान करने और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य में भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद ८१. सोवियत संघ संघ जनतंत्रों के सम्प्रभु अधिकारों की हिफ़ाजत करेगा।

अध्याय १०. स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतंत्र

अनुच्छेद ८२. स्वायत्त जनतंत्र एक संघ जनतंत्र का अंगीभूत हिस्सा है।

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ और संघ जनतंत्र के अधिकार-क्षेत्र के बाहर एक स्वायत्त जनतंत्र अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर के विषयों का निबटारा स्वतंत्र रूप से करेगा।

स्वायत्त जनतंत्र का उस जनतंत्र की खास विशिष्टताओं को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ तथा संघ जनतंत्र के संविधानों के समनुरूप अपना संविधान होगा।

अनुच्छेद ८३. स्वायत्त जनतंत्र क्रमशः सोवियत संघ और संघ जनतंत्र के उच्चतम राज्यसत्ता और प्रशासनिक निकायों के माध्यम से सोवियत संघ तथा संघ जनतंत्र के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आने वाले विषयो पर फैसले में भाग लेता है।

स्वायत्त जनतंत्र अपने भूखंड मे सर्वांगीण आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करेगा, अपने भूखंड मे सोवियत संघ और संघ जनतंत्र के अधिकारों के प्रयोग को सुगम बनायेगा, और सोवियत सघ तथा संघ जनतंत्र के उच्चतम राज्यसत्ता और प्रशासनिक निकायों के फैसलों को क्रियान्वित करेगा।

अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर के विषयों मे स्वायत्त जनतंत्र सघ या संघ जनतंत्र के अधीनस्थ प्रतिष्ठानों, संस्थानो और संगठनों के कार्य-कलाप को समन्वित एव नियंत्रित करेगा।

अनुच्छेद ८४ स्वायत्त जनतत्र के भूखंड मे उसकी सहमति के बिना कोई परिवर्तन नही किया जा सकता।

अनुच्छेद ८५. रूसी सोवियत सघीय समाजवादी जनतत्र मे बश्कीर, बुर्यात, दागेस्तान, कबारदीन-बल्कार, काल्मिक, करेलिया, कोमी, मारी, मोर्दोविया, उत्तर ओस्सेतिया, तातार, तूवा, उद्मुर्त, चेचेन-इन्गुश, चुवाश और याकूत स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतत्र शामिल है।

उज़्बेक सोवियत समाजवादी जनतंत्र मे कारा-कल्पाक स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतत्र शामिल हैं।

ज्यार्जियाई सोवियत समाजवादी जनतत्र मे अब्खाज़िया और अद्-जार स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतत्र शामिल हैं।

अज़रबैजान सोवियत समाजवादी जनतत्र मे नख़ीचेवान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतत्र शामिल है।

अध्याय ११. स्वायत्त क्षेत्र और स्वायत्त इलाका

अनुच्छेद ८६. स्वायत्त क्षेत्र एक सघ जनतत्र या प्रदेश का अग

है। संघ जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत सम्बन्धित स्वायत्त क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों की सोवियत के निवेदन पर स्वायत्त क्षेत्र से सम्बन्धित कानून को स्वीकार करेगी।

अनुच्छेद ८७. रूसी सोवियत संघीय समाजवादी जनतंत्र में अदिगेई, गोर्नो-अल्ताई, येविश, काराचाई-सिरकासियाई और खकास स्वायत्त क्षेत्र शामिल है।

ज्यार्जियाई सोवियत समाजवादी जनतंत्र में दक्षिण ओस्सेतिया स्वायत्त क्षेत्र शामिल है।

अजरबैजान सोवियत समाजवादी जनतंत्र में नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र शामिल है।

ताजिक सोवियत समाजवादी जनतंत्र में गोर्नो-बदख्शान स्वायत्त क्षेत्र शामिल है।

अनुच्छेद ८८. स्वायत्त इलाका प्रदेश या क्षेत्र का अंग है। सम्बन्धित संघ जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत स्वायत्त इलाके से सम्बन्धित कानून को स्वीकार करेगी।

४. जन-प्रतिनिधियों की सोवियतें और निर्वाचन प्रक्रिया

अध्याय १२. जन-प्रतिनिधियों की सोवियतों की प्रणाली और उनके कार्य के सिद्धान्त

अनुच्छेद ८९. जन-प्रतिनिधियों की सोवियतें, अर्थात् सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत, संघ जनतंत्रों की सर्वोच्च सोवियतें, स्वायत्त जनतंत्रों की सर्वोच्च सोवियतें, जन-प्रतिनिधियों की प्रादेशिक और क्षेत्रीय सोवियतें, स्वायत्त क्षेत्रों और स्वायत्त इलाकों के जन-प्रतिनिधियों की सोवियतें,

और जन-प्रतिनिधियों की जिला, नगर, नगरीय जिला, उपनगर और ग्राम सोवियतें राज्यसत्ता के निकायों की अखंड प्रणाली का गठन करेंगी।

अनुच्छेद ९०. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत, संघ जनतंत्रों की सर्वोच्च सोवियतों और स्वायत्त जनतंत्रों की सर्वोच्च सोवियतों का कार्यकाल ५ वर्षों का होगा।

जन-प्रतिनिधियों की स्थानीय सोवियतों का कार्यकाल ढाई साल का होगा।

जन-प्रतिनिधियों की सोवियतों का चुनाव सम्बन्धित सोवियत के कार्यकाल की समाप्ति के दो महीने पूर्व ही होगा।

अनुच्छेद ९१. जन-प्रतिनिधियों की सम्बन्धित सोवियतों के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों पर उनके अधिवेशनों में विचार और फैसला किया जायेगा।

जन-प्रतिनिधियों की सोवियतें स्थायी आयोगों का चुनाव करेंगी और अपने प्रति जिम्मेदार कार्यकारी-प्रशासनिक, तथा अन्य निकायों का गठन करेंगी।

अनुच्छेद ९२. जन-प्रतिनिधियों की सोवियतें प्रतिष्ठानों, सामूहिक फार्मों, संस्थानों और संगठनों में मेहनतकश लोगों द्वारा नियंत्रण के साथ राजकीय नियंत्रण को समन्वित कर जन-नियंत्रण निकायों का गठन करेंगी।

जन-नियंत्रण निकाय राजकीय योजनाओं और दायित्वों की पूर्ति की जांच करेंगे, राजकीय अनुशासन के उल्लंघन, स्थानवादी प्रवृत्तियों, संकीर्ण विभागीय दृष्टिकोण, कुप्रबन्ध, बर्बादी और फिजूलखर्ची, लाल-फीताशाही और नौकरशाही का मुकाबला करेंगे, और राज्य-तंत्र के कार्य मे सुधार लाने में सहायक होंगे।

अनुच्छेद ९३. जन-प्रतिनिधियों की सोवियतें प्रत्यक्ष रूप से या अपने द्वारा स्थापित निकायों के माध्यम् से राज्य से, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों का निर्देशन करेंगी, फैसले करेंगी। उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगी और उनकी पूर्ति की जांच करेंगी।

अनुच्छेद ९४. जन-प्रतिनिधियों की सोवियतें सामूहिक, स्वतंत्र और रचनात्मक विचार-विमर्श तथा निर्णय करने, अपने कार्यकारी-प्रशासनिक निकायों तथा अन्य निकायों की सोवियतों के समक्ष सिलसिलेवार रिपोर्ट पेश करने और अपने कार्य मे नागरिकों को बड़े पैमाने पर शामिल करने के आधार पर कार्य करेंगी।

जन-प्रतिनिधियों की सोवियतें और उनके द्वारा स्थापित निकाय अपने कार्य और किये गये फैसलों के बारे में आम जनता को सिलसिलेवार ढंग से सूचित करते रहेंगे।

अध्याय १३. निर्वाचन प्रणाली

अनुच्छेद ९५. सभी सोवियतों में प्रतिनिधियों के चुनाव सार्विक, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होंगे।

अनुच्छेद ९६. चुनाव सार्विक होंगे : १८ साल की उम्र के सोवियत संघ के सभी नागरिकों को मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार होगा, इसका अपवाद केवल वे व्यक्ति होंगे जो कानूनी तौर पर पागल प्रमाणित हुए हों।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में चुनाव की योग्यता के लिए सोवियत संघ के नागरिक की उम्र २१ साल होनी चाहिए।

अनुच्छेद ९७. प्रतिनिधियों का चुनाव समतापूर्ण होगा : प्रत्येक नागरिक का एक वोट होगा; सभी मतदाता बराबरी के आधार पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

अनुच्छेद ९८. चुनाव प्रत्यक्ष होगा : जन-प्रतिनिधियों की सभी सोवियतों के सदस्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष मत से चुने जायेंगे।

अनुच्छेद ९९. चुनाव मे गुप्त मतदान होगा : मतदाताओं के मताधिकार पर नियंत्रण अमान्य है।

अनुच्छेद १००. निम्न को उम्मीदवारों की नामजदगी का अधिकार होगा : सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, ट्रेड यूनियनों और अखिल

संघीय लेनिनवादी तरुण कम्युनिस्ट लीग की शाखाएं और उनके संगठन; सहकार तथा अन्य सार्वजनिक संगठन; कार्य सामूहिक और सैनिक यूनिटों मे सैनिकों की सभाएं।

सोवियत संघ के नागरिकों और सार्वजनिक संगठनों के लिए चुनाव मे खड़े होने वाले उम्मीदवारों के राजनीतिक और व्यक्तिगत गुणों तथा योग्यता पर उन्मुक्त और सर्वतोमुखी विचार-विमर्श करने का अधिकार, और उन्हे उनके लिए सभाओं में, समाचार-पत्रों, टेलिविज़न और रेडियो द्वारा प्रचार करने का अधिकार गारंटीशुदा है।

जन-प्रतिनिधियों की सोवियतो के चुनाव का खर्च राज्य वहन करेगा।

अनुच्छेद १०१. जन-प्रतिनिधियों की सोवियतों के सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा चुने जायेंगे।

आम तौर पर सोवियत संघ का नागरिक जन-प्रतिनिधियो की दो से अधिक सोवियतों में निर्वाचित नही हो सकता।

सार्वजनिक संगठनों तथा कार्य-सामूहिकों के प्रतिनिधियों को लेकर गठित चुनाव आयोग तथा सैनिक यूनिटों मे सैनिकों की सभाएं सोवियतों के चुनाव का संचालन करेंगे।

जन-प्रतिनिधियों की सोवियतों के चुनाव की कार्यविधि सोवियत संघ, संघ और स्वायत्त जनतंत्रों के कानूनों मे परिभाषित की जायेगी।

अनुच्छेद १०२. निर्वाचक अपने प्रतिनिधियों को आदेश देते हैं।

जन-प्रतिनिधियो की समुचित सोवियतें निर्वाचकों के आदेशों की पड़ताल करेंगी, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं और बजट तैयार करते समय उन पर ध्यान देंगी, आदेशों का कार्यान्वयन संगठित करेंगी, और इसके बारे मे नागरिकों को सूचना देंगी।

अध्याय १४. जन-प्रतिनिधि

अनुच्छेद १०३. प्रतिनिधिगण जन-प्रतिनिधियो की सोवियतों में जनता के सर्वाधिकारसम्पन्न प्रतिनिधि है।

सोवियतो में प्रतिनिधि राज्य मे, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास से सम्बन्धित विषयो का हल निकालते हैं, सोवियतों के फैसलो का कार्यान्वयन संगठित करते हैं, और राजकीय निकायों, प्रतिष्ठानो, संस्थानों तथा संगठनों के कार्य पर नियंत्रण रखते हैं।

प्रतिनिधि अपने कार्य मे राज्य के हितो से प्रेरित होंगे, और अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाशिंदो की जरूरतो पर ध्यान देंगे और अपने निर्वाचकों के आदेशो के कार्यान्वयन के लिए कार्य करेंगे।

अनुच्छेद १०४. प्रतिनिधि अपने नियमित रोजगार या कर्तव्यों को जारी रखते हुए अपने अधिकारो का प्रयोग करेंगे।

सोवियतो के अधिवेशनो के दौरान और अन्य मामलों मे कानून द्वारा व्यवस्थित अपने अधिकारो के प्रयोग के लिए प्रतिनिधियों को अपने नियमित रोजगार या कर्तव्यो से मुक्त कर दिया जायेगा, पर अपने स्थायी कार्य की जगह पर उनकी औसत आमदनी बरकरार रखी जायेगी।

अनुच्छेद १०५. प्रतिनिधि को समुचित राजकीय निकायों तथा अधिकारियो से पूछताछ करने का अधिकार है जो सोवियत के अधिवेशन मे उसका उत्तर देने के लिए बाध्य हैं।

प्रतिनिधियो को सदस्य के रूप मे अपने कार्य से सम्बन्धित विषयो पर किसी राजकीय या सार्वजनिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान या संगठन से पूछताछ करने और अपने द्वारा उठाये गये प्रश्नो पर विचार-विमर्श मे भाग लेने का अधिकार है। सम्बन्धित राजकीय या सार्वजनिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान या संगठन देर किये बिना प्रतिनिधियों से बात करने और कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके सुझावो पर विचार करने के लिए बाध्य हैं।

अनुच्छेद १०६. प्रतिनिधियो द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यो के अबाध और कारगर प्रयोग के लिए स्थितिया सुनिश्चित की जायेंगी।

प्रतिनिधियो की निरापदता, साथ ही प्रतिनिधि के रूप मे उनके कार्य की अन्य गारंटिया प्रतिनिधियों के दर्जे से सम्बन्धित कानून मे और

सोवियत संघ तथा संघ और स्वायत्त जनतंत्रों के अन्य कानूनों में परिभाषित हैं।

अनुच्छेद १०७. प्रतिनिधि अपने कार्य और सोवियतो के कार्य के सम्बन्ध में अपने निर्वाचकों के समक्ष और उन्हें नामजद करने वाले कार्य-सामूहिकों और सार्वजनिक संगठनों के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

जिन प्रतिनिधियों ने अपने निर्वाचकों के विश्वास का औचित्य सिद्ध नही किया हो उन्हें कानून द्वारा स्थापित कार्यविधि के अनुसार निर्वाचकों के बहुमत के फैसले से किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है।

५. सोवियत संघ की राज्यसत्ता और प्रशासन के उच्चतर निकाय

अध्याय १५. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत

अनुच्छेद १०८. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत सोवियत संघ में राज्यसत्ता का सर्वोच्च निकाय होगी।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत को इस संविधान में परिभाषित सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के अधिकार-क्षेत्र के भीतर रखे गये सभी विषयो से निबटने का अधिकार है।

सोवियत संघ के संविधान और उसमें संशोधनों को स्वीकृति प्रदान करना; सोवियत संघ में नये जनतंत्रों को शामिल करना; नये स्वायत्त जनतंत्रों और स्वायत्त क्षेत्रों के गठन को स्वीकृति प्रदान करना; आर्थिक और सामाजिक विकास की राजकीय योजनाओं का, सोवियत संघ के बजट का और उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी रिपोर्टों का अनुमोदन; और अपने प्रति जिम्मेदार सोवियत संघ के निकायों का गठन सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के एकान्तिक विशेषाधिकार हैं।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा या सोवियत संघ की सर्वोच्च

सोवियत के फैसले से राष्ट्रव्यापी मतदान (जनमत संग्रह) द्वारा सोवियत संघ के लिए कानून बनाये जायेंगे।

अनुच्छेद १०९. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में दो सदन होंगे : संघ सोवियत और जातियों की सोवियत।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के अधिकार बराबर होंगे।

अनुच्छेद ११०. संघ सोवियत और जातियों की सोवियत के सदस्यों की संख्या बराबर होगी।

संघ सोवियत का चुनाव बराबर आबादी वाले निर्वाचन-क्षेत्र करेंगे।

जातियों की सोवियत निम्नलिखित प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनी जायेगी : प्रत्येक संघ जनतंत्र से ३२ प्रतिनिधि, प्रत्येक स्वायत्त जनतंत्र से ११ प्रतिनिधि, प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र से ५ प्रतिनिधि और प्रत्येक इलाके से एक प्रतिनिधि।

उनके द्वारा निर्वाचित प्रमाण आयोगों के निवेदन पर संघ सोवियत प्रतिनिधियों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में फैसले करेंगी और जिन मामलों में चुनाव कानून का उल्लंघन किया गया हो उन मामलों से सम्बन्धित प्रतिनिधियों के चुनाव को अवैध घोषित कर देंगी।

अनुच्छेद १११. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का प्रत्येक सदन अपना अध्यक्ष और चार उपाध्यक्ष चुनेगा।

संघ सोवियत और जातियों की सोवियत के अध्यक्ष अपने-अपने सदनों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी कार्यवाही का संचालन करेंगे।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता संघ सोवियत और जातियों की सोवियत के अध्यक्ष बारी-बारी से करेंगे।

अनुच्छेद ११२. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन साल में दो बार आयोजित किया जायेगा।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्षमण्डल अपनी इच्छा-

नुसार या किसी एक संघ जनतंत्र के सुझाव पर या किसी एक सदन के सदस्यों के कम से कम एक तिहाई हिस्से के सुझाव पर विशेष अधिवेशन बुलायेगा।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन में शामिल माने जायेंगे : सदनों के अलग-अलग और संयुक्त अधिवेशन, तथा सदनों के स्थायी आयोगों की बैठकें या सदनों के अधिवेशनों के दौरान आयोजित सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के आयोगों की बैठकें। सदनों के अधिवेशन का उद्घाटन और समापन सदनों की अलग-अलग या संयुक्त बैठकों में होगा।

अनुच्छेद ११३. संघ सोवियत और जातियों की सोवियत को, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल को, सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद को, राज्यसत्ता के अपने उच्चतर निकायों के माध्यम से संघ जनतंत्रों को, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के आयोगों और उसके सदनों के स्थायी आयोगो को, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों को, सोवियत संघ की सर्वोच्च अदालत को और सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर-जनरल को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में कानून का सूत्रपात करने का अधिकार होगा।

अपने अखिल संघीय निकायों के माध्यम से सार्वजनिक संगठनों को भी कानून का सूत्रपात करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद ११४. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत किये गये विधेयकों तथा अन्य विषयों पर उसके सदनों की अलग-अलग या संयुक्त बैठकों में वाद-विवाद होंगे। आवश्यक होने पर किसी विधेयक या अन्य विषय को प्राथमिक या अतिरिक्त विचार के लिए एक या अधिक आयोगों में भेजा जा सकता है।

सोवियत संघ का कोई कानून सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक सदन में उसके सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से स्वीकार हुआ माना जायेगा। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के फैसले या अन्य कानून सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों की कुल संख्या

में बहुमत से स्वीकार किये जाते है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत या उसके अध्यक्षमण्डल के फैसले से, जो उनकी पहल पर या किसी संघ जनतंत्र के प्रस्ताव पर स्वीकृत हुआ हो, विधेयकों और राज्य के अन्य बहुत महत्वपूर्ण मामलों को राष्ट्र-व्यापी विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनुच्छेद ११५. संघ सोवियत और जातियों की सोवियत के बीच मतभेद होने की हालत मे उपस्थित प्रश्न का फैसला करने के लिए उसे बराबरी के आधार पर सदनों द्वारा गठित पंच आयोग के पास भेजा जायेगा, जिसके बाद उस प्रश्न पर संघ सोवियत और जातियों की सोवियत के संयुक्त अधिवेशन में दूसरी बार विचार होगा। यदि पुनः सहमति नहीं हो तो उस विषय को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अगले अधिवेशन मे वाद-विवाद के लिए स्थगित रखा जायेगा या सर्वोच्च सोवियत उसे राष्ट्रव्यापी मतदान (जनमत-संग्रह) के लिए प्रस्तुत करेगी।

अनुच्छेद ११६. सोवियत संघ के कानून और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के फैसले तथा अन्य कानून सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल के अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से संघ जनतंत्रो की भाषाओं में प्रकाशित होंगे।

अनुच्छेद ११७. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के किसी सदस्य को सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद से, मंत्रियों से और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा गठित अन्य निकायों के प्रधानों से पूछताछ करने का अधिकार है। सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद या जिस किसी अधिकारी से यह पूछताछ की जायेगी वह तीन दिन के भीतर ही सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सम्बन्धित अधिवेशन में उसका मौखिक या लिखित उत्तर देने के लिए बाध्य है।

अनुच्छेद ११८. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत की या उसके अधिवेशनों के बीच सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल की स्वीकृति के बिना सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के किसी सदस्य

पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे गिरफ्तार नही किया जा सकता या अदालत द्वारा दण्डित नही किया जा सकता।

अनुच्छेद ११६. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत अपने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल का चुनाव करेगी, जो सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का स्थायी निकाय होगा, अपने समस्त कार्यकलाप के लिए उसके प्रति जिम्मेदार होगा, और संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के बीच सोवियत संघ की राज्यसत्ता के उच्चतम निकाय के कार्य निष्पादित करेगा।

अनुच्छेद १२०. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्ष-मण्डल प्रतिनिधियों के बीच से निर्वाचित किया जायेगा और उसमें होंगे अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, १५ उपाध्यक्ष (प्रत्येक संघ जनतंत्र से एक-एक उपाध्यक्ष), एक सचिव, और २१ सदस्य।

अनुच्छेद १२१. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्षमण्डल

१) सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के चुनाव की तिथि निर्धारित करेगा;

२) सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन आयोजित करेगा;

३) सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सदनों के स्थायी आयोगों के कार्य को समन्वित करेगा;

४) सोवियत संघ के संविधान का परिपालन और सोवियत संघ के संविधान एवं कानूनों के साथ संघ जनतंत्रों के संविधानों और कानूनों की समनुरूपता सुनिश्चित करेगा;

५) सोवियत संघ के कानूनों का भाष्य करेगा;

६) सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को अनुसमर्थन प्रदान करेगा और समाप्त करेगा;

७) कानून के अनुरूप नही होने पर सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद और संघ जनतंत्रों की मंत्रिपरिषदों के फैसलों और अध्यादेशों को मंसूख करेगा;

८) सैनिक और राजनयिक पदवी एवं अन्य विशेष उपाधियां स्थापित करेगा; तथा उच्चतम सैनिक और राजनयिक पदवी और अन्य विशेष उपाधिया प्रदान करेगा;

९) सोवियत संघ के आर्डर और तमगे तथा सोवियत संघ की सम्मानप्रद उपाधियां स्थापित करेगा; सोवियत संघ के आर्डर और तमगे प्रदान करेगा; सोवियत संघ की सम्मानप्रद उपाधियां प्रदान करेगा;

१०) सोवियत संघ की नागरिकता प्रदान करेगा, और सोवियत संघ की नागरिकता के परित्याग या उससे वंचित किये जाने सम्बन्धी तथा शरण देने सम्बन्धी मामलों का निर्णय करेगा;

११) क्षमादान सम्बन्धी अखिल संघीय कानून जारी करेगा और क्षमादान के अधिकार का प्रयोग करेगा;

१२) अन्य देशों मे और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सोवियत संघ के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगा या वापस बुलायेगा;

१३) अपने समक्ष प्रत्यायित विदेशी राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियो के परिचय-पत्र और वापसी-पत्र ग्रहण करेगा;

१४) सोवियत संघ की प्रतिरक्षा परिषद का गठन करेगा और उसकी संरचना का अनुमोदन करेगा; सोवियत संघ की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान को नियुक्त और बर्खास्त करेगा;

१५) सोवियत संघ की प्रतिरक्षा के हितो मे किन्ही विशेष इलाकों या पूरे देश मे मार्शल-ला की घोषणा करेगा;

१६) आम या आंशिक लामबन्दी का आदेश देगा;

१७) सोवियत संघ पर सशस्त्र हमला होने की हालत में या आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक प्रतिरक्षा से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता उत्पन्न होने पर सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनो के बीच युद्ध-स्थिति की घोषणा करेगा;

१८) तथा सोवियत संघ के संविधान और कानूनो द्वारा उसे प्रदान किये गये अन्य अधिकारो का प्रयोग करेगा।

अनुच्छेद १२२. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों

के बीच और अगले अधिवेशन में उसे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाने के अधीन, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्षमण्डल

१) आवश्यक होने पर सोवियत संघ के मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगा;

२) संघ जनतंत्रों की सीमाओं में परिवर्तन का अनुमोदन करेगा;

३) सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर सोवियत संघ के मंत्रालयों तथा राजकीय समितियों को गठित और भंग करेगा;

४) सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष की सिफारिश पर सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अलग-अलग सदस्यों को अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त करेगा और लोगों को मंत्रिपरिषद मे नियुक्त करेगा।

अनुच्छेद १२३. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्षमण्डल आज्ञप्तियाँ जारी करता है और फैसले करता है।

अनुच्छेद १२४. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के कार्यकाल की समाप्ति पर सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल के अधिकार सोवियत संघ की नव निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत द्वारा नये अध्यक्षमण्डल के निर्वाचन तक कायम रहेंगे।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का निवर्तमान अध्यक्षमण्डल सोवियत संघ की नवनिर्वाचित सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन चुनाव के दो महीने के भीतर ही बुलायेगा।

अनुच्छेद १२५. सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के मामलो का प्राथमिक सिंहावलोकन करने, सोवियत संघ के कानूनो और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत एव उसके अध्यक्षमण्डल के अन्य कानूनो के क्रियान्वयन को बढ़ावा देने, और राजकीय निकायो तथा संगठनों के कार्य की जाच-पड़ताल करने के लिए संघ सोवियत और जातियों की सोवियत प्रतिनिधियों के बीच से स्थायी आयोगों का निर्वाचन करेंगी। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सदन बराबरी के आधार पर संयुक्त आयोग भी गठित कर सकते है।

आवश्यक होने पर सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत जाच आयोग

और लेखा-परीक्षा आयोग, तथा किसी अन्य विषय पर आयोग गठित करती है।

सभी राजकीय और सार्वजनिक निकाय, संगठन तथा अधिकारीगण सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत तथा उसके सदनों के आयोगों के अनुरोध का पालन करने, और आवश्यक सामग्री तथा दस्तावेजें उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं।

आयोग की सिफारिशें राजकीय और सार्वजनिक निकायों, संस्थानों और संगठनों के विचाराधीन होंगी। आयोगों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर वैसे विचार के परिणामों या की गयी कार्रवाई की सूचना दे दी जायेगी।

अनुच्छेद १२६. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत अपने प्रति जिम्मेदार सभी राजकीय निकायों के कार्य का परिनिरीक्षण करेगी।

जन-नियंत्रण प्रणाली की अगुवाई करने के लिए सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत सोवियत संघ की जन-नियंत्रण समिति का गठन करेगी।

सोवियत संघ के जन-नियंत्रण कानून मे जन-नियंत्रण निकायों का संगठन और कार्यविधि परिभाषित हैं।

अनुच्छेद १२७. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत और उसके निकायो की कार्यविधि सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के नियमों और अधिनियमों में तथा सोवियत संघ के संविधान के आधार पर अधिनियमित सोवियत संघ के अन्य कानूनों में परिभाषित की जायेगी।

अध्याय १६. सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद १२८. सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद अथवा सोवियत संघ की सरकार सोवियत संघ में राज्यसत्ता की उच्चतम कार्यपालिका और प्रशासनिक निकाय है।

अनुच्छेद १२९. संघ सोवियत और जातियों की सोवियत के संयुक्त अधिवेशन में सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद का गठन करेगी और इसमें होंगे : सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद

का अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्षगण तथा उपाध्यक्षगण, सोवियत संघ के मंत्रिगण और सोवियत संघ की राजकीय समितियों के अध्यक्षगण।

सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद में संघ जनतंत्रों के मंत्रिपरिषदों के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।

सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष की सिफारिश पर सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत सोवियत संघ की सरकार में सोवियत संघ के अन्य निकायों और संगठनों के प्रधानों को शामिल कर सकती है।

सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद सोवियत संघ की नवनिर्वाचित सर्वोच्च सोवियत के प्रथम अधिवेशन में ही अपना इस्तीफा पेश कर देगी।

अनुच्छेद १३०. सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार होगी तथा सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के बीच सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल के प्रति जिम्मेदार होगी।

सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद अपने कार्य के सम्बन्ध में सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के समक्ष नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अनुच्छेद १३१. सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद को सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के अधिकार-क्षेत्र के भीतर राज्य-प्रशासन के सभी विषयों को निबटाने का अधिकार है जब तक वे संविधान के अन्तर्गत सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत या सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल के अधिकार-क्षेत्र के भीतर नहीं आते हों।

अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद

१) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का मार्गदर्शन सुनिश्चित करेगी; जनता के मंगल-कल्याण और सांस्कृतिक विकास के संवर्धन, विज्ञान और इंजीनियरी के विकास, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण निष्कर्षण और संरक्षण सुनिश्चित करने, मौद्रिक और ऋण प्रणाली को मजबूत बनाने, एकरूप मूल्य, वेतन, और सामाजिक सुरक्षा नीति पर चलने, और राजकीय बीमा का संगठन तथा लेखा और सांख्यिकी की एकरूप प्रणाली संगठित करने के लिए पग तैयार और क्रियान्वित करेगी; तथा संघाधीन औद्योगिक, निर्माण सम्बन्धी और कृषि प्रतिष्ठानों

एवं समामेलनों, परिवहन और संचार सम्बन्धी उद्यमों, बैंकों और अन्य संगठनों एवं संस्थानों का प्रबन्ध संगठित करेगी;

२) सोवियत संघ के आर्थिक और सामाजिक विकास की चालू और दीर्घकालिक राजकीय योजनाएं, और सोवियत संघ का बजट तैयार करेगी और उन्हें सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में प्रस्तुत करेगी; राजकीय योजनाओं और बजट के कार्यान्वयन के लिए पग उठायेगी; और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के समक्ष योजनाओं के क्रियान्वयन और बजट के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

३) राज्य के हितों की हिफाजत के लिए, समाजवादी सम्पत्ति की हिफाजत करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने, तथा नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी और उनकी रक्षा करने के लिए पग उठायेगी;

४) राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पग उठायेगी;

५) सोवियत संघ की सशस्त्र सेनाओं के विकास का सामान्य मार्गदर्शन करेगी, और सक्रिय सैनिक सेवा के लिए बुलाये जाने वाले नागरिकों की वार्षिक टुकड़ियों का निर्धारण करेगी;

६) अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध, विदेश व्यापार, और अन्य देशों के साथ सोवियत संघ के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में सामान्य मार्गदर्शन करेगी; सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय संधियों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पग उठायेगी; और अन्तर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय करारों का अनुसमर्थन और उन्हें समाप्त करेगी; और

७) आवश्यक होने पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, तथा प्रतिरक्षा से सम्बन्धित विषयों का निबटारा करने के लिए सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अधीन समितियां, केंद्रीय बोर्ड और अन्य विभाग गठित करेगी।

अनुच्छेद १३२. सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों को लेकर गठित सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद का अध्यक्षमण्डल अर्थतंत्र के निर्देशन से सम्बन्धित प्रश्नों और

राजकीय प्रशासन के अन्य विषयों मे निवटने के लिए सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के स्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगा।

अनुच्छेद १३३. सोवियत संघ के कानूनों और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत तथा उसके अध्यक्षमण्डल के अन्य फैसलों के आधार पर और उनके मुताबिक सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद फैसले करेगी तथा अध्यादेश जारी करेगी और उनके कार्यान्वियन की जांच करेगी। सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के फैसले और अध्यादेश सोवियत संघ के सम्पूर्ण भूखंड में लागू होंगे।

अनुच्छेद १३४. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आने वाले विषयों में सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद को संघ जनतंत्रों की मंत्रिपरिषदों द्वारा जारी फैसलों और अध्यादेशों का कार्यान्वियन स्थगित कर देने, और सोवियत संघ के मंत्रालयों तथा राजकीय समितियों और अपने अधीनस्थ अन्य निकायों के अधिनियमों को रद्द कर देने का अधिकार है।

अनुच्छेद १३५. सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद अखिल संघीय और संघ-जनतंत्रीय मंत्रालयों, सोवियत संघ की राजकीय समितियों और अपने अधीनस्थ अन्य निकायों के कार्य को समन्वित और निर्देशित करेगी।

अखिल संघीय मंत्रालय और सोवियत संघ की राजकीय समितियां सोवियत संघ के सम्पूर्ण भूखंड मे सीधे या अपने द्वारा गठित निकायो के माध्यम से उन्हें सौंपी गयी प्रशासन की शाखाओं के कार्य का निर्देशन करेंगे, अथवा अन्तर-शाखाई प्रशासन का संचालन करेंगे।

संघ-जनतंत्रीय मंत्रालय और सोवियत संघ की राजकीय समितियां उन्हें सौंपी गयी प्रशासन की शाखाओं के कार्य का आम तौर पर संघ जनतंत्रो के सम्बन्धित मंत्रालयों और राजकीय समितियों के माध्यम से निर्देशन करते हैं, या अन्तर-शाखाई प्रशासन का संचालन करते हैं, और संघाधीन प्रतिष्ठानों तथा समामेलनों का सीधे प्रशासन चलाते हैं। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्षमण्डल प्रतिष्ठानों और समामेलनों को जनतंत्रीय या स्थानीय अधीनता से संघीय अधीनता मे हस्तांतरण की कार्यविधि परिभाषित करेगा।

सोवियत संघ के मंत्रालय और राजकीय समितियां उन्हें सौंपे गये प्रशासनिक क्षेत्रों की स्थिति और विकास के लिए उत्तरदायी होंगे; सोवियत संघ के कानूनों और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत तथा उसके अध्यक्षमण्डल के अन्य फैसलों, और सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के फैसलों तथा अध्यादेशों के आधार पर और उनके क्रियान्वयन के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर आदेश तथा अन्य अधिनियम जारी करते है और उनके कार्यान्वयन का संगठन तथा जांच करते हैं।

अनुच्छेद १३६. सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद और उसके अध्यक्ष-मण्डल का अधिकार-क्षेत्र, उनकी कार्यविधि, मंत्रिपरिषद एवं अन्य राजकीय निकायों के बीच सम्बन्ध, और अखिल सघीय तथा संघ-जन-तंत्रीय मंत्रालयों और सोवियत मघ की राजकीय समितियों की सूची, संविधान के आधार पर, सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद से सम्बन्धित कानून मे परिभाषित हैं।

६. संघ जनतंत्रों में राज्यसत्ता और प्रशासन के निकायों की संरचना के बुनियादी सिद्धान्त

अध्याय १७. संघ जनतंत्र में राज्यसत्ता और प्रशासन के उच्चतर निकाय

अनुच्छेद १३७. संघ जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत उस जनतंत्र में राज्यसत्ता का उच्चतम निकाय होगी।

संघ जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत को सोवियत संघ और जनतंत्र के संविधानो के अधीन जनतंत्र के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के सभी विषयों से निबटने का अधिकार होगा।

संघ जनतंत्र के संविधान और उसमें संशोधन को स्वीकार करना; आर्थिक और सामाजिक विकास की राजकीय योजनाओं को जनतंत्र के बजट को और उसकी पूर्ति सम्बन्धी रिपोर्ट को स्वीकृत करना;" और

संघ जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत के प्रति जिम्मेदार निकायों का गठन करना उस सर्वोच्च सोवियत के एकान्तिक विशेषाधिकार हैं।

संघ जनतंत्र के लिए कानून संघ जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत द्वारा बनाये जायेंगे या जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत के फैसले से जनता के मतदान (जनमत-संग्रह) द्वारा।

अनुच्छेद १३८. संघ जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत अध्यक्षमण्डल का, जो उस सर्वोच्च सोवियत का एक स्थायी निकाय है तथा अपने समस्त कार्य के लिए उसके प्रति जिम्मेदार है, निर्वाचन करेगी। संघ जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल की संरचना और अधिकार संघ जनतंत्र के संविधान में परिभाषित किये जायेंगे।

अनुच्छेद १३९. संघ जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत संघ जनतंत्र की मंत्रिपरिषद का, यानी उस जनतंत्र की सरकार का गठन करेगी, जो जनतंत्र में राज्यसत्ता का उच्चतम कार्यकारी और प्रशासनिक निकाय होगी।

संघ जनतंत्र की मंत्रिपरिषद उस जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत के प्रति, या सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के बीच उसके अध्यक्षमण्डल के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार होगी।

अनुच्छेद १४०. संघ जनतंत्र की मंत्रिपरिषद सोवियत संघ और संघ जनतंत्र के कानूनों के आधार पर तथा उनके मुताबिक, और सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के फैसलों एवं अध्यादेशों के मुताबिक फैसले और अध्यादेश जारी करती है, और उनके कार्यान्वयन का संगठन तथा जांच करेगी।

अनुच्छेद १४१. संघ जनतंत्र की मंत्रिपरिषद को स्वायत्त जनतंत्र की मंत्रिपरिषदों के फैसलों और अध्यादेशों का कार्यान्वयन स्थगित कर देने, जन-प्रतिनिधियों की प्रादेशिक, क्षेत्रीय और नगर (जनतंत्र के अधिकार-क्षेत्र के नगर) सोवियतों की कार्यकारिणी समितियों और जो संघ जनतंत्र क्षेत्रों में नहीं बंटे हों वहां जन-प्रतिनिधियों की जिला सोवियतों और सम्बन्धित नगर सोवियतों की कार्यकारिणी समितियों के फैसलों और आदेशों को रद्द कर देने का अधिकार है।

अनुच्छेद १४२. संघ जनतंत्र की मंत्रिपरिषद संघ-जनतंत्रीय और

जनतंत्रीय मंत्रालयों तथा संघ जनतंत्र की राजकीय समितियों एवं अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्य निकायों के कार्य को समन्वित और निर्देशित करेगी।

संघ जनतंत्रीय मंत्रालय और संघ जनतंत्र की राजकीय समितियां उन्हें सौंपी गयी प्रशासनिक शाखाओं का निर्देशन करेंगी, या अन्तर-शाखाई नियंत्रण करेंगी, और संघ जनतंत्र की मंत्रिपरिषद तथा सम्बन्धित संघ-जनतंत्रीय मंत्रालय या सोवियत संघ की राजकीय समिति दोनों के अधीन होंगी।

जनतंत्रीय मंत्रालय और राजकीय समितियां उन्हें सौंपी गयी प्रशासनिक शाखाओं का निर्देशन करेंगी, या अन्तर-शाखाई नियंत्रण करेंगी, तथा संघ जनतंत्र की मंत्रिपरिषद के अधीन होंगी।

अध्याय १८. स्वायत्त जनतंत्र की राज्यसत्ता और प्रशासन के उच्चतर निकाय

अनुच्छेद १४३. स्वायत्त जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत उस जनतंत्र में राज्यसत्ता का उच्चतम निकाय होगी।

स्वायत्त जनतंत्र के संविधान को और उसमें संशोधन को स्वीकार करना; आर्थिक और सामाजिक विकास की राजकीय योजनाओं को मंजूरी देना और जनतंत्र के बजट को स्वीकार करना; और स्वायत्त जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत के प्रति जिम्मेदार निकायों का गठन करना उस सर्वोच्च सोवियत के एकान्तिक विशेषाधिकार हैं।

स्वायत्त जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत स्वायत्त जनतंत्र के लिए कानून बनायेगी।

अनुच्छेद १४४. स्वायत्त जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत स्वायत्त जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल को निर्वाचित करेगी और स्वायत्त जनतंत्र की मंत्रिपरिषद यानी उस जनतंत्र की सरकार का गठन करेगी।

अध्याय १९. राज्यसत्ता और प्रशासन के स्थानीय निकाय

अनुच्छेद १४५. जन-प्रतिनिधियों की सम्बन्धित सोवियतें प्रदेशों, क्षेत्रों, स्वायत्त क्षेत्रों, स्वायत्त इलाकों, जिलों, नगरों, नगरीय जिलों,

उपनगरों और ग्रामीण समुदायों में राज्यसत्ता का निकाय होंगी।

अनुच्छेद १४६. जन-प्रतिनिधियों की स्थानीय सोवियतें सम्पूर्ण राज्य के और अपने अधिकार-क्षेत्र में बसने वाले नागरिकों के हितों के मुताबिक स्थानीय महत्व के सभी विषयों का निबटारा करेंगी, राज्यसत्ता के उच्चतर निकायों के फैसलों को क्रियान्वित करेंगी, जन-प्रतिनिधियों की निम्नतर सोवियतों के कार्य का मार्गदर्शन करेंगी, जनतंत्रीय और अखिल संघीय महत्व के विषयों पर विचार-विमर्श में भाग लेंगी, तथा उनके सम्बन्ध में अपने सुझाव पेश करेंगी।

जन-प्रतिनिधियों की स्थानीय सोवियतें अपने भूखंड के भीतर राज्यीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का निर्देशन करेंगी; आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं तथा स्थानीय बजट को स्वीकार करेंगी; अपने अधीनस्थ राजकीय निकायों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों और संगठनों का सामान्य मार्गदर्शन करेंगी; कानूनों का पालन, कानून और व्यवस्था का अनुरक्षण और नागरिको के अधिकारों की हिफाजत सुनिश्चित करेंगी, और देश की प्रतिरक्षा शक्ति बढाने में सहायता करेंगी।

अनुच्छेद १४७. जन-प्रतिनिधियों की स्थानीय सोवियतें अपने अधिकारों के भीतर अपने इलाके में सर्वांगीण, बहुमुखी आर्थिक तथा सामाजिक विकास सुनिश्चित करेंगी; उच्चतर अधिकारियो के अधीनस्थ तथा अपने इलाके मे स्थित प्रतिष्ठानो, संस्थानों और संगठनों द्वारा कानून के परिपालन पर नियंत्रण रखेंगी; और जमीन के उपयोग, प्रकृति संरक्षण, निर्माण, जनबल को रोजगार, उपभोक्ता माल के उत्पादन तथा जनता के लिए सामाजिक सांस्कृतिक, सामुदायिक और अन्य सेवाओं तथा सुविधाओं के सम्बन्ध मे उनके कार्यकलाप का समन्वय तथा परिनिरीक्षण करेंगी।

अनुच्छेद १४८. जन-प्रतिनिधियो की स्थानीय सोवियतें सोवियत संघ और समुचित संघ जनतंत्र तथा स्वायत्त जनतंत्र के कानूनो द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारो के भीतर मामलो का फैसला करेंगी। उनके फैसले उनके इलाके मे स्थित सभी प्रतिष्ठानो, संस्थानों और सगठनों पर, और अधिकारियो तथा नागरिकों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद १४९. स्थानीय सोवियतो द्वारा अपने सदस्यो के बीच मे

निर्वाचित कार्यकारिणी समितियां स्थानीय सोवियतों का कार्यकारी-प्रशासनिक निकाय होंगी।

अपने कार्यकलाप के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समितियां उन्हें निर्वाचित करने वाली सोवियतों के समक्ष और कार्यस्थल पर या रहने की जगह पर नागरिकों की सभाओं में साल में कम से कम एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

अनुच्छेद १५०. जन-प्रतिनिधियों की स्थानीय सोवियतों की कार्यकारिणी समितियां उन्हें निर्वाचित करने वाली सोवियत और उच्चतर कार्यकारी प्रशासनिक निकाय दोनों के प्रति सीधे जिम्मेदार होंगी।

७. न्याय, पंच-निर्णय, और प्रोक्यूरेटर का परिनिरीक्षण

अध्याय २०. अदालतें और पंच-निर्णय

अनुच्छेद १५१. सोवियत संघ में केवल अदालतें ही न्याय करती हैं।

सोवियत संघ में निम्न अदालतें हैं: सोवियत संघ की सर्वोच्च अदालत, संघ जनतंत्रों की सर्वोच्च अदालतें, स्वायत्त जनतंत्रों की सर्वोच्च अदालतें, प्रादेशिक, क्षेत्रीय और नगर अदालतें, स्वायत्त क्षेत्रों की अदालतें, स्वायत्त इलाकों की अदालतें, जिला (नगर) जन-अदालतें और सशस्त्र सेनाओं में सैनिक ट्रिब्यूनल।

अनुच्छेद १५२. सोवियत संघ की सभी अदालतें जजों और जन-पंचों की निर्वाचकता के सिद्धान्त पर गठित होंगी।

जिला (नगर) जन-अदालतों में जनता के जज नागरिकों द्वारा सार्विक, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के जरिए ५ साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होंगे। जिला (नगर) जन-अदालतों के जन-पंच कार्य या रहने की जगहों पर मेहनतकश लोगों की आम सभाओं द्वारा हाथ उठाकर ढाई साल के लिए चुने जायेंगे।

जन-प्रतिनिधियों की सम्बन्धित सोवियत ५ वर्ष के कार्यकाल के लिए उच्चतर अदालतों का चुनाव करेगी।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्षमण्डल ५ साल के कार्यकाल के लिए सैनिक ट्रिब्यूनलों के जजों को और सैनिकों की आम सभाएं ढाई साल के लिए जन-पंचों को निर्वाचित करेंगी।

जज और जन-पंच अपने निर्वाचकों या निर्वाचित करने वाले निकायों के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार हैं, उन्हें रिपोर्ट करेंगे, और कानून में विहित ढंग से वापस बुलाये जा सकते हैं।

अनुच्छेद १५३. सोवियत संघ की सर्वोच्च अदालत सोवियत संघ का उच्चतम न्यायिक निकाय है और कानून द्वारा प्रस्थापित सीमाओं के भीतर सोवियत संघ और संघ जनतंत्रों की अदालतों द्वारा न्याय-प्रशासन की देखरेख करती है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च अदालत सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा चुनी जायेगी और उसमे होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण, सदस्यगण और जन-पंच। संघ जनतंत्रों की सर्वोच्च अदालतों के अध्यक्ष सोवियत संघ की सर्वोच्च अदालत के पदेन सदस्य हैं।

सोवियत संघ की सर्वोचच अदालत सम्बन्धी कानून में सोवियत संघ की सर्वोच्च अदालत का संगठन और कार्यविधि परिभाषित हैं।

अनुच्छेद १५४. सभी अदालतों में दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर सामूहिक तौर पर सुनवाई होती है; और प्राथमिक अदालतों में जन-पंचों की शिरकत से मुकदमों की सुनवाई होती है। न्याय करने में जन-पंचों को एक जज के सभी अधिकार प्राप्त हैं।

अनुच्छेद १५५. जज और जन-पंच स्वतंत्र और केवल कानून के अधीन हैं।

अनुच्छेद १५६. सोवियत संघ में न्याय कानून और अदालत के समक्ष नागरिकों की समानता के सिद्धान्त पर किया जाता है।

अनुच्छेद १५७. सभी अदालतों मे कार्यवाहिया जनता के लिए खुली रहेंगी। कमरे के भीतर केवल उन्ही मामलों की सुनवाई होती है जिनका कानून में प्रावधान है, और वहां न्यायिक कार्यविधि के समस्त नियमों

का पालन किया जाता है।

अनुच्छेद १५८. किसी फौजदारी कार्रवाई में प्रतिवादी के लिए कानूनी सहायता का अधिकार गारंटीशुदा है।

अनुच्छेद १५९. कानूनी कार्यवाही संघ या स्वायत्त जनतंत्र, स्वायत्त इलाके की भाषा में या किसी स्थान की बहुमत आबादी की भाषा में संचालित की जायेगी। जिस भाषा में कार्यवाही संचालित होती हो उससे अपरिचित, कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए मामले की सामग्री से पूरी तरह परिचित होने का अधिकार; कार्यवाही के दौरान दुभाषिये की सेवा पाना; और अपनी भाषा में अदालत को सम्बोधित करने का अधिकार सुनिश्चित होगा।

अनुच्छेद १६०. किसी व्यक्ति को किसी अपराध का अपराधी तब तक नहीं समझा और अपराधी के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता जब तक अदालत कानून के अनुरूप वैसा दंड नहीं देती।

अनुच्छेद १६१. नागरिकों और संगठनों को कानूनी सहायता देने के लिए वकीलों के कालेज सुलभ हैं। कानून द्वारा विहित मामलों में नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होगी।

विधिज्ञ वर्ग का संगठन और कार्यविधि सोवियत संघ तथा संघ जनतंत्रों के कानून द्वारा निर्धारित हैं।

अनुच्छेद १६२. सार्वजनिक संगठनों और कार्य सामूहिकों के प्रतिनिधि दीवानी और फौजदारी कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं।

अनुच्छेद १६३. प्रतिष्ठानों, संस्थानों और संगठनों के बीच आर्थिक विवादों को हल करने का काम राजकीय पंच-निर्णय निकाय अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर करते हैं।

राजकीय पंच-निर्णय निकायों का संगठन और उनकी कार्यविधि सोवियत संघ के पंच-निर्णय कानून में परिभाषित हैं।

अध्याय २१. प्रोक्यूरेटर का कार्यालय

अनुच्छेद १६४. सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर-जनरल और उसके अधीनस्थ प्रोक्यूरेटरों को सभी मंत्रालयों, राजकीय समितियों और

विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों और संगठनों, जन-प्रतिनिधियों की स्थानीय सोवियतों के कार्यकारी-प्रशासनिक निकायों, सामूहिक फार्मों, सहकारी तथा अन्य सार्वजनिक संगठनों, अधिकारियों और नागरिकों द्वारा कानूनों के ठीक-ठीक तथा एकरूप परिपालन की देखरेख का सर्वोच्च अधिकार है।

अनुच्छेद १६५. सोवियत संघ का प्रोक्यूरेटर-जनरल सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा नियुक्त होता है तथा उसके प्रति, और सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के बीच सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार है।

अनुच्छेद १६६. संघ जनतंत्रों, स्वायत्त जनतंत्रों, प्रदेशों, क्षेत्रों और स्वायत्त क्षेत्रों के प्रोक्यूरेटर सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। स्वायत्त इलाकों के तथा जिला और नगरों के प्रोक्यूरेटरों की नियुक्ति संघ जनतंत्रों के प्रोक्यूरेटर करते हैं और सोवियत संघ का प्रोक्यूरेटर-जनरल उनकी नियुक्ति को स्वीकृति देता है।

अनुच्छेद १६७. सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर-जनरल और सभी अधीनस्थ प्रोक्यूरेटरों का कार्यकाल ५ वर्ष का होगा।

अनुच्छेद १६८. प्रोक्यूरेटर के कार्यालय की एजेन्सियां किसी और सभी स्थानीय निकायों से स्वतंत्र रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करती हैं और एकमात्र सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर-जनरल के अधीन हैं।

सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर के कार्यालय की एजेन्सियों का संगठन और कार्यविधि सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर के कार्यालय से सम्बन्धित कानून में परिभाषित हैं।

८. सोवियत संघ का राज्य-चिन्ह, झंडा, राष्ट्रीय गान और राजधानी

अनुच्छेद १६९. सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ का राज्य-चिह्न है सूर्य की किरणों मे चित्रित और गेहूं की बालियों में जड़ी धरती की

पृष्ठभूमि मे हथौड़ा और हंसिया जिस पर संघ जनतंत्रों की भाषाओं मे अंकित है "सभी देशो के मजदूरो, एक हो!" राज्य-चिह्न के ऊपर एक पंचमुखी सितारा लगा है।

अनुच्छेद १७०. सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ का राजकीय झंडा है एक आयताकार लाल कपड़ा जिसमें डंडे के पास के ऊपरी कोने मे एक सुनहला हथौड़ा और हंसिया तथा उसके ऊपर स्वर्णजटित लाल पंचमुखी सितारा अंकित है। झंडे की चौड़ाई के मुकाबले लम्बाई का अनुपात १ : २ है।

अनुच्छेद १७१. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ का राष्ट्रीय गान सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल द्वारा सम्पुष्ट है।

अनुच्छेद १७२. मास्को नगर सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की राजधानी है।

९. सोवियत संघ के संविधान की कानूनी शक्ति और उसमें संशोधन की कार्यविधि

अनुच्छेद १७३. सोवियत सघ के संविधान को सर्वोच्च कानूनी शक्ति प्राप्त होगी। सभी कानून और राजकीय निकायों के अन्य अधि-नियम उसके आधार पर और उसके अनुरूप जारी किये जायेंगे।

अनुच्छेद १७४. सोवियत संघ के संविधान में संशोधन सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत फैसले से होगा।